पंचम माला, खंड 37, अंक 26, बुधवार, 27 मार्च, 1974/6 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 26, Wednesday, March 27, 1974/Chaitra 6, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसम अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, बुधवार 27 मार्च, 1974/6 चैत्र 1896 (शक)

No. 26, Wednesday March 27, 1974/Chaitra 6, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
466.	पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में औद्योगिक सम्पदायें	Industrial Estates in West Bengal, Gujarat and Maharashtra	1—4
467.	गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड, दिल्ली को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना	Take over of Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi	4—7
469.	वर्ष 1974-75 में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था	Special Provision for U.P. for 1974-75	7—8
470.	तस्करी रोकने के लिए राज्य की सीमा बंद करने का बिहार सरकार द्वारा अनुरोध	Request from Bihar Government for sealing the Borders of State for Checking smuggling	8—10
471.	गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियों के निर्माण के लिए लाइसेंस देना	Issue of License for manufacture of watches in Private Sector	10—13
473.	मुनाफ़ाखोरी, चोर बाज़ारी तथा मिलावट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही	Action against persons indulging in profiteering black-marketing and adulteration	13—17

प्रश्नों के लिखित उत्तर / Written Answer to Questions

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
465.	उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक दंगों में विदेशी शक्तियों का कथित हाथ	Alleged involvement of Foreign Powers in the Communal troubles in U.P.	17
468.	शिमोगा में माइक्रोवेव परियोजना	Microwave Project at Shimoga	17—18

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
472.	'फोम ग्लास' के कारखानों की स्थापना	Establishment of foam glass factories	18
474.	"हाफ़ ए मिलियन जोब्स प्रोग्राम" (पांच लाख नौकरियों वाला कार्यक्रम) के अन्तर्गत केरल में रोजगार की व्यवस्था	Provision of employment in Kerala under 'Half-a-million jobs' Programme	18
475.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों की मृत्यु	Death of Scientists of Bhabha Research Centre	19
476.	दिल्ली पुलिस के जांच कर्मचारी	Investigating Staff of Delhi Police	19
477.	विदेशी फर्मों को सी० ग्रो० बी० लायसेंस देने सम्बन्धी शर्तें	Condition on issue of COB licence to foreign firms	19—20
478.	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward areas	20
479.	कैल्शियम कार्बाईड का उत्पादन करने के लिए गुजरात में बलगारिया के सहयोग से एक कारखाना खोला जाना	Setting up of a plant in Gujarat to produce Calcium Carbide in collaboration with Bulgaria	20—21
480.	सीमेंट कारखाने	Cement Plants	21
481.	सरकार को मिजो विद्रोहियों की पेशकश	Offer from Rebel Mizos to Government	21
482.	पूंजीगत वस्तुग्रों के आयात के मामलों सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Group on capital goods import cases.	21—22
483.	नेता जी जाँच ग्रायोग के सामने साक्ष्य	Evidence before Netaji Inquiry Commission	22
484.	चम्पारन में सीमा सुरक्षा बल की संख्या	Strength of BSF in Champaran	23
485.	पोषाहार योजनाओं की क्रियान्विति के लिए मंत्रालयों में ताल-मेल	Coordination among various Ministries for implementation of Nutrition Schemes	23
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
4720.	रेडियो तथा टेलीविज़न लायसेंस शुल्क	Radio and Television Licence fees	23—24
4721.	हैवी वाटर प्लांट, तूतीकोरिन की रोज़गार संभावना	Employment Potential of Heavy Water Plant, Tuticorin	24
4722.	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाग्रों के लिए अधिक परीक्षा-केन्द्र	More examination centres for UPSC examinations	24
4723.	कुचले के सत्त का उत्पादन करने के लिए संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Plant for producing Strychin	25—26
4724.	सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को घरेलू प्रयोग के लिए बदलना	Conversion of Solar energy for domestic use	26—27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4725.	मासमा गांव, सूरत (गुजरात) के व्यक्तियों द्वारा छात्रों को नहर में फेंकना	Throwing of students in a canal by persons of Masma village, Surat, (Gujarat)	27
4726.	राऊज़ एवेन्यू, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में खुले "मैनहोल" में लड़की की मृत्यु	Death of a girl in an open Manhole in Rouse Avenue, Minto Road, New Delhi	27—28
4727.	अनुसूचित जातियों की सूची में जोगी जाति को शामिल करना	Inclusion of 'Jogi' caste in list of Scheduled castes	28
4728.	लघु उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Foreing exchange allocation to small scale industries	29
4729.	प्राकृतिक प्रकोप से बाढ़ राहत कार्य के लिए आकस्मिक योजना	Contingency Plan for Flood Relief in natural calamities .	29
4730.	कन्नौर जिले में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialling system in Cannanore District	29—30
4731.	मद्रास में संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों में नियंत्रकों की नियुक्ति	Appointment of Controllers in sick textile mills, Madras	30
4732.	आसाम में दीर्घावधि के लिए विजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिक	Pak nationals holding long-term visas in Assam	31
4733.	मध्य प्रदेश में सूक्ष्म उपकरण और टायर कारखाने	Precision equipment and tyre factories in M.P.	31
4734.	मध्य प्रदेश में टेलीफ़ोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of telephone bills in M.P. . .	31
4735.	योजना के प्रभावी प्रभार के लिए ग्रामीण लोगों की सहायता प्राप्त करना	Mobilisation of support of rural people for effective publicity of plan.	31—32
4737.	बैंक ड्राफ्टों को चुराने के लिए दिल्ली में डाकियों की धोखेबाज़ व्यक्तियों के साथ कथित सांठ-गांठ	Alleged collusion of Postmen in Delhi with cheats for stealing Bank drafts	32
4738.	गुजरात के छात्रों और युवकों द्वारा 'दिल्ली चलो' का आह्वान	Call for 'Delhi Chalo' by students and youths of Gujarat . .	32—33
4739.	रोहतक में स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange in Rohtak	33
4740.	भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का विकास	Growth of Indian Sector . .	33—34
4741.	आयात प्रतिस्थापन का पुनर्विलोकन	Review of import substitution .	34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4742.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में तकनीकी कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Technical Staff in K. V. I.C.	34—35
4743.	पोटाशियम क्लोरेट का उत्पादन	Production of Potassium Chlorate	35
4744.	सरकारी क्षेत्र में संगणक निगम	Computer Corporations in Public Sector	35—36
4745.	कनाडा से केरल अखबारी कागज़ परियोजना के लिए संयंत्र की खरीद के लिये बिशेषज्ञों का दौरा	Visit of experts for purchase of Plant for Kerala News Print from Canada	36
4746.	मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफ़ोन प्रणाली	Automatic Telephone System in M.P.	36—37
4747.	इंजीनियरिंग स्नातकों की श्रेणी-III के पदों पर नियुक्ति	Recruitment of Engineering Graduates to Class III posts . .	37
4748.	इंजीनियरिंग विभागों में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातक	Engineering Graduates working in Engineering Departments .	37—39
4749.	सभी इंजीनियरों तथा डाक्टरों को उच्च संवर्ग में पदोन्नति का समान अवसर दिया जाना	Equal opportunity of promotion to the higher cadre to all Engineers and doctors . . .	39—40
4750.	सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में स्नातक तथा गैर स्नातक कनिष्ट इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए कोटा	Quota for appointment of Graduate and non-graduate Junior Engineers to the grade of Assistant Engineers	40
4751.	विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संसद् सदस्यों और मंत्रियों को दिखाई गई फ़िल्मों को देखने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश	Unauthorised entry for Films shown to MPs and Ministers at Vigyan Bhawan, New Delhi . . .	40—41
4752.	पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए व्यक्तियों की इलाहाबाद में गिरफ्तारी	Arrest in Allahabad for spying for Pakistan	41
4753.	सी० आई० ए० प्रायोजित रेडियो प्रसारण	CIA sponsored Radio Broadcasts .	41—42
4754.	भारत-रूस संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना	Formation of a Joint Indo-Soviet Study Group	42
4755.	बिहार में अत्यावश्यक वस्तुओं का तस्कर व्यापार	Smuggling Business in essential commodities in Bihar . . .	42
4756.	कर्नाटक में काम कर रहे जनजाति विकास-खण्ड	Tribal Development Blocks functioning in Karnataka	42—43

ता०प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4757.	अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में शिकायत	Complaint regarding Scholarships to Scheduled caste candidates for studies abroad . . .	43
4758.	पशुओं के खिलाने के लिए प्रोटीन-युक्त पदार्थों का उत्पादन	Production of protein concentrates for animal consumption .	43—44
4759.	उड़ीसा में जनजाति विकास निगम की स्थापना	Setting up of a Tribal Development Corporation in Orissa . .	44
4760.	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	Centre for training candidates for Central Engineering Service Examinations	44
4761.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जयश्री कैमीकल्स के साथ पक्षपात	Favour shown to Jayshree Chemicals by I.D.B.I.	45
4762.	अलायेंस आफ़ यंग एन्टरप्राइज़ेज को प्रदान की गई सुविधाएं	Facilities provided to Alliance of Young Enterpreneurs . .	45—46
4763.	आकाशवाणी अहमदाबाद से प्रसारित गुजरात के मुख्य मंत्री के भाषण	Speeches of the Chief Minister of Gujarat from A.I.R., Ahmedabad	46—47
4764.	बंगलौर में श्रमजीवी पत्रकारों की यूनियन हेतु इमारत के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance for construction of building for union of working journalists in Bangalore . .	47
4765.	पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में रोज़गार की संभावनाएं	Employment prospects in Fifth Plan period	47—48
4766.	बिहार में मुंगेर के निकट आत्म-निर्भर आयुक्त कारखाने का पता लगाना	Unearthing of a self-contained Ordinance factory near Monghyr, Bihar	48
4767.	कोयले को तरल ईंधन में बदलना	Conversion of coal into Liquid Fuel	48—49
4768.	पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने पर भी मध्य प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals staying in Madhya Pradesh after expiry of the term of their passports	49
4769.	दिल्ली में सीमेंट की भारी चोर-बाजारी	Black marketing of cement in Delhi	49
4770.	श्री आशीश मुखर्जी द्वारा नेता जी पर बनाए वृत्त चित्र को विदेशों में भेजना	Sending of documentary film on Netaji by Shri Ashish Mukherjee to foreign countries . . .	50
4771.	राज्यों में प्रति-व्यक्ति वार्षिक आय	Per capita annual income in States	50
4772.	मध्य प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक एककों को लायसेंस जारी करना	Licences issued to various industrial units in M.P.	50

ता0 प्र0 संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4773.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यलय तथा पुरानी दिल्ली में ईदगाह से सिमेंट की धोखाधड़ी	Swindling of cement from the office of Delhi Development Authority and Idgah in Old Delhi . .	50—51
4774.	नेशनल रबड़ मैनुफेक्चरिंग लिमिटेड तथा इचक टायर्स लिमिटेड कलकत्ता में पूंजी-निवेश	Investment in National Rubber Manufacturing Ltd., and Incheck Tyres Ltd., Calcutta . . .	51
4775.	हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिल्ली प्रशासन को धनराशि का नियतन	Allocation to Delhi Administration for various projects for Harijans and Scheduled Castes . .	52
4776.	पंजाब विश्वविद्यालय चन्डीगढ़ में छात्र उपद्रवों की जांच	Enquiry into students' disturbances in Punjab University, Chandigarh	52
4777.	राजभाषा के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक आयोग का गठन	Constitution of a commission to review the progress made in use of official language . .	52—53
4778.	बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए छात्रावासों की संख्या	Number of Hostels for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Bihar State	53
4779.	उड़ीसा में छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों/जन जातियों के विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	Facilities provided to students of Scheduled Castes/Tribes living im Hostels in Orissa . .	53
4780.	गुजरात में समाज कल्याण योजना के लिए धन राशि	Funds for Social Welfare Schemes in Gujarat	53—54
4781.	राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं का सती हो जाने का कथित समाचार	Alleged Sati committed in Rajasthan and Madhya Pradesh . .	54
4782.	तेल की खोज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ़ ओसियनो ग्राफी को निदेश	Directive to National Institute of Ocianography for Oil explorations . . .	54
4783.	डालमिया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान	Dalmia Institute of Scientific and Industrial Research . . .	55
4784.	टायरों की आवश्यकता	Requirement of Tyres . . .	55
4785.	औद्योगिक प्रयोजनों हेतु रेत का प्रयोग	Use of sand for industrial purposes	55
4786.	चर्म संगठन की स्थापना	Establishment of Leather Organisation	56

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4787.	तमिल नाडु में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Tumil Nadu .	56
4788.	तमिल नाडु में परमाणु ऊर्जा केन्द्र	Atomic Power Station in Tamil Nadu	56—57
4789.	केरल के विभिन्न खण्डों में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों की ऋण-ग्रस्तता	Indebtedness among Tribals and Scheduled Castes in various Blocks in Kerala	57
4790.	पांचवीं योजना में शिक्षित बेरोज़गारों के लिए रोज़गार	Employment for educated unemployed in Kerala in Firth Plan .	57—58
4791.	राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में निर्देशों का उल्लंघन	Violation of Instructions regarding Reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in States	58
4792.	सी० ओ० बी० लायसेंस प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मों द्वारा सूचना न दिया जाना	Suppression of Information by foreign firms in getting COB Licences	58
4793.	विविधीकरण पर रोक का भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव	Effect of stoppage of diversification on Indian Sector . .	59
4794.	आसाम और त्रिपुरा के आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल	Deputations from Tribals of Assam and Tripura .	59—60
4795.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड में उत्पादन	Production in Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd. Ootaccamund	60—61
4796.	दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफ़ोन करने की सुविधा	STD facility between Delhi and Calcutta	61
4797.	कूच बिहार शरणार्थी सेवा	Cooch-Bihar Refugee Service .	61—62
4798.	कूच बिहार शरणार्थी सेवा में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के बीज़ा की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of visas of foreign nationals working in Cooch-Biihar Refugee Service	62
4799.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 के पश्चात् के आवेदन पत्र	Applications for grant of pension at Freedom Fighters beyond 31st March, 1974	62
4800.	बिहार के चम्पारन ज़िले में मोतीहारी आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Radio Station at Motihari District Champaran, Bihar .	62—63
4801.	बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान	Uplift of backward areas of Bihar and U.P.	63

ता0 प्र0 संख्या S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4802.	असिस्टैंट्स की पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया की समीक्षा	Revision in Procedure of Promotion of Assistants	63—64
4803.	उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा में हाल ही के चुनावों के दौरान राजनैतिक हत्याएं	Political murders in U.P. and Orissa during recent elections . . .	64
4805.	केन्द्रीय सचिवालय में परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु सचिवों की समिति	Committee of Secretaries to suggest changes in the Central Secretariat	64
4806.	पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Project in West Bengal Gujarat and Maharashtra. .	64—65
4807.	कलकत्ता तथा जलपाईगुडी में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Calcutta and Jalpaiguri	65—66
4808.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों तथा शेडों पर व्यय	Expenditure on Industrial Estates and Sheds in West Bengal .	66—67
4809.	शांति उद्देशों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करने हेतु भारत और रूस के बीच समझौता	Agreement between Indian and USSR for development of Atomic Energy for peaceful purposes. .	67
4810.	संसद सदस्य श्री दरबारा सिंह का चित्र टेलीविज़न पर दिखाना	Picture of Darbara Singh, M.P. televised	67—68
4811.	देश में नए सर्किलों का बनाया जाना	Creation of New Circles in the country.	68—69
4812.	विभिन्न सर्किलों में नए पद बनाना	Creation of new jobs in various Circles	69
4813.	देश में उप डाक घरों की मंजूरी देना	Sanction of sub-post offices in the country	69—70
4814.	हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्द फौज़ के भूतपूर्व सैनिकों में से स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to Freedom Fighters amongst Ex-I.N.A. personnel in H.P.	71
4815.	वर्ष 1973 में अपराध दर में वृद्धि	Increase in crime rate in 1973 .	72
4817.	रांची में उपायुक्त के कार्यालय के ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज का हटाया जाना	Removal of National Flag atop the DC's office in Ranchi .	72
4818.	भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रांतीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए आरक्षण	Reservation for Selection of Officers of Provincial Civil Services in Indian Administrative Services	72—73
4819.	दिल्ली टेलीविजन केन्द्र से फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग	Use of Persianised Urdu on Delhi T.V.	73
4820.	जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ करार	Agreement with Fedral Republic of Germany	73—74

ता० प्र० संख्या U, S, Q, Nos,	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4821.	त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना	Declaration of Tribal Belts of Tripura as Scheduled Area	74
4823.	केरल के चर्च के विरुद्ध केरल के प्रीस्ट तथा नन्स का कथित विद्रोह	Alleged protest by Priest and Nuns of Kerala against the Church of Kerala	74
4824.	चौथी योजना की अवधि में बिहार में उद्योग	Industries in Bihar during Fourth Plan	74--75
4825.	अखबारी कागज की कमी होने के बाद अखबारी कागज़ का कोटा आबंटित किए गए नए दैनिक तथा पाक्षिक समाचार पत्रों की संख्या	Number of new Newspaper Daily and Fortnightly to whom Newsprint quota have been allotted since shortage of newsprint . .	75
4826.	आई० ई० एस० और आई० एस० एस० के अधिकारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन	Changing seniority of Officers of I.E.S. and I.S.S.	76
4827.	विशाखापत्तनम् में प्रेस सूचना ब्यूरो	Press Information Bureau in Visakhapatanam . . .	76
4828.	पांचवी योजना के दौरान राज्यों को अनुदानों सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण	Revision of policy of Grants to States during Fifth Plan . .	77
4829.	आसाम राज्य में भड़काने वाले एजेन्टों की घुसपैठ	Infiltration of Agents provocateur in Assam State	77
4830.	अवर सचिवों और उप सचिवों के पदों पर पदोन्नति के लिए पेनल	Panel for promotion to the posts of Under Secretaries and Deputy Secretaries . . .	77—78
4831.	केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Assistants as Section Officers in Central Secretariat .	78--79
4832.	सूर्य ऊर्जा संस्थान की स्थापना	Setting up of Solar Energy Institute	79
4833.	कोहिमा में पोलिंग एजेन्ट की हत्या	Murder of a Polling Agent in Kohima . .	80
4834.	भावनगर महल में विस्फोट	Explosion in Bhavnagar Palace	80
4835.	अंसारी रोड़ के कुछ नागरिकों द्वारा दरयागंज पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन	Demonstration by Citizens of Ansari Road outside Daryaganj Police Station	80
4836.	आई० पी० एस० अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against I.P.S. Officer .	81
4837.	कलकत्ता में आकाशवाणी के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायत	Complaint against the functioning of A.I.R. in Calcutta . . .	81
4838.	उड़ीसा के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना	Fifth Plan for Orissa .	81—82.

ता० प्र० संख्या U. S. Q, Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4839.	पांचवीं योजना में उड़ीसा का विकास	Development of Orissa in Fifth Plan	82--83
4840.	गोपालपुर (उड़ीसा) में रेयर अर्थ (दुर्लभ मिट्टी) फेक्ट्री	Rare Earths Factory at Gopalpur (Orissa)	83
4841.	प्रमाण पत्न प्रस्तुत करने में स्वतंत्नता सेनानियों के सम्मुख कठिनाईयां	Hardship faced by Freedom Fighters in producing certificates	83--84
4842.	क्षेत्नीय परिषद महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर चर्चा	Discussion of Maharashtra-Karnataka Border trouble at Zonal Council	84
4843.	औद्योगिक विकास मंत्नालय के अधीन सरकारी क्षेत्न के उद्योग	Public sector industries under Ministry of Industrial Development	84--85
4844.	गैर सरकारी उद्योग को रियायतें	Concession to private industry	85
4845.	मूल्य वृद्धि की समस्या	Price rise problem	85
4846.	गणतंत्न दिवस तथा महात्मा गांधी शहीद दिवस पर अहमदाबाद में कर्फ्यू	Curfew in Ahmedabad on Republic day and Mahatma Gandhi's Martyrdom day	85--86
4847.	गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजना	Chief Secretary to Government of Gujarat forced to proceed on leave	86
4848.	दिल्ली टेलीविजन पर इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए पत्नकार	Journalists interviewed on Delhi Television	86
4849.	अहमदाबाद में डाक और तार उपकरणों तथा आवास की अपर्याप्तता	Inadequate P&T equipment and accommodation in Ahmedabad	87
4850.	उत्तर प्रदेश फ़िल्म डिवीज़न द्वारा उत्तर प्रदेश के सिनेमा गृहों में दिखाई गई डाक्यूमेंटरी फ़िल्म	Screening of a Documentary Film in Cinema Houses in Uttar Pradesh by Film Division	87
4851.	खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन निर्धारित करना	Pay fixation of employees in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	88
4852.	पांचवीं योजना के प्रारूप पर पुर्नविचार	Reconsideration of Draft Fifth Plan	88
4853.	पांचवीं योजना में कृषि पर आधारित लघु उद्योग	Agriculture Based Small Scale Industries in Fifth Plan	88
4854.	पंजाब के औद्योगिक एककों में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw material in industrial units in Punjab	88--89
4855.	पंजाब के उद्यमकर्ताओं को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences to Entrepreneurs in Punjab	89
4856.	आशय पत्नों/लायसेंसों का जारी किया जाना	Issue of letters of intent/licences	89--90

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4857.	उत्तर प्रदेश के चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग	Inflow of foreign money in U.P. elections	90
4858.	इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र	Electronic Telephone Exchanges	90
4859.	स्वदेशी जानकारी का कम उपयोग	Low Utilisation of indigenous know-how . . .	90—91
4860.	भारत और बल्गारिया में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता	Agreement between Indian and Bulgaria for Scientific and Technical Cooperation . .	91
4861.	चौथी योजना में औद्योगिक लाईसेंस जारी किया जाना	Issue of Industrial licences in forth plan	91—92
4862.	उद्योगों को स्थापना हेतु पश्चिम बंगाल में कच्चे माल के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of raw material deposits in West Bengal for setting up industries	92—93
4863.	केन्द्रीय पुलिस दल पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Central Police Force	93—94
4864.	गुजरात में पुलिस द्वारा गैस ग्रेनेड (हथगोला) का प्रयोग	Use of Gas Grenade by Police in Gujarat	94
4865.	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यकरण में सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to suggest reforms in Central Secretariat working	94—95
4866.	नौगछिया और भागलपुर, पटना के बीच सीधी टेलीफोन सेवा	Direct dialling system between Naugachhia and Bhagalpur, Patna .	95
4867.	भारत सुरक्षा नियमों और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत एजल जिले के श्री लालेंग हंग्गा की गिरफ्तारी	Arrest of Shri Laleng Hegga of Aijal District under MISA and DIRs	95—96
4868.	गुजरात में औद्योगिक एककों में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw materials in industiral units in Gujarat .	96
4869.	एक भाषा-भाषी राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों को सविधिक संरक्षण	Statutory protection to Lingustic Minorities in Unilingual States .	
4870.	भगवान महावीर के जीवन पर फ़िल्म बनाने का प्रस्ताव	Proposal to prepare a Film on the life of Mahavir . . .	98—99
4871.	निर्धनता स्तर पर प्रति व्यक्ति आय	Per capita income considered as poverty line income . .	99
4873.	उत्तर प्रदेश में चुनाव के अवसर पर विभिन्न राज्यों से बुलाई गई पुलिस पर व्यय	Expenditure on Police Force requisitioned from various States for election in U.P. . . .	99
4874.	बिहार के लिए पांचवीं योजना	Fifth plan for Bihar .	100

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4875.	पांचवीं योजना के दौरान बेरोज़गारी को दूर किया जाना	Eradication of unemployment during Fifth Plan	100
4876.	उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार से आवेदन पत्र	Applications from Bihar for setting up industries . . .	101
4877.	बिहार सर्किल में अराजपत्रित अधिकारियों के कब्जाधीन क्वार्टरों का गिराया जाना	Demolition of quarters occupied by nongazetted staff in Bihar circle	101—102
4878.	पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना	Simplification of procedure for submission of application for import of capital goods . . .	102
4879.	डीज़ल इन्जनों का आयात	Imports of Diesel Engines . .	102—103
4880.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को दिया जाने वाला वेतन तथा भत्ते	Salary and allowances payable to a Jawan of C.R.P. .	103
4881.	इन्दौर के डाकघरों में तार फ़ार्मों आदि के उपलब्ध न होने का समाचार	Alleged non-availability of postal stationary in Indore Post Offices .	103
4882.	मध्य प्रदेश में नई टेलीफ़ोन डायरैक्टरी सप्लाई करना	Supply of new telephone directory in M.P.	103
4883.	पांचवीं योजना को दोबारा तैयार करना	Recasting of Fifth Plan .	104
4884.	वर्ष 1972 और 1973 के दौरान फ़िल्म सेंसर बोर्ड पर हुआ प्रशासनिक व्यय	Administrative expenditure incurred on Film Censor Board during 1972 and 1973	104
4885.	त्रिपुरा में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of small scale industries in Tripura	104—105
4886.	आल इण्डिया टेलीविज़न टेक्नीशियन्स यूनियन को मान्यता देना	Recognition to All India Television Technicians Union	105
4887.	भारत रक्षा नियम के अधीन मिलें और फैक्ट्रियां	Mills and factories under D.I.R. .	105
4888.	गिरिडीह और हज़ारी बाग़ जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of pension to Freedom Fighters from Giridh and Hazaribagh districts	105—106
4889.	आसाम नागालैण्ड सीमा-विवाद	Assam-Nagaland Boundary disputes	106
4890.	पांचवीं योजना के दौरान आसाम में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial projects in Assam during Fifth Plan	106
4891.	कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद की घटनाओं की स्वतंत्र जांच	Independent inquiry into incidents over border dispute between Karnataka and Maharashtra . . .	106—107

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4892.	दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या	Increasing population of Delhi .	107
4893.	उद्योगों की स्थापना के लिए कर्नाटक से आवेदन पत्र	Applications from Karnataka for setting up industries . . .	107—108
4894.	दिल्ली में विभिन्न पेयों पर लिया जाने वाला चुंगी शुल्क	Octroi charged on various Beverages in Delhi . . .	108
4895.	विम्को द्वारा लघु माचिस एककों को पोटासियम क्लोरेट की सप्लाई	Supply of Potassium Chlorate by Wimco to Small Scale Match Units	108—109
4896.	पुलिस की ज्यादतियां	Police excesses . .	110
4897.	बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं	Setting up of Regional Research Laboratories in Bihar, U.P., M.P. and Rajasthan . . .	110
4898.	शीशा काटने की मशीनें	Glass cutting machines .	110—111
4899.	वायर सा ग्लास मशीनों का उत्पादन	Production of wire saw glass cutting machines	111
4900.	सैंट्रल ग्लास और सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, आप्टीकल ग्लास का उत्पादन	Production of optical glass in Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta .	111—112
4901.	सैन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में मिली मिट्टी धोने के संयंत्र (क्ले वार्यारिंग प्लांट) की स्थापना	Installation of CLAY WASHING PLANT in Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta	112—113
4902.	चमड़ा व्यापार में प्रवेश के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को अनुमति	Permission for large industrial houses to enter leather market	113
4903.	भारत सरकार के अधीन अवर सचिवों के रिक्त पद	Vacancies of Under Secretaries in Govenment of India . .	113—114
4904.	संयुक्त क्षेत्र के एककों में निजी शेयरों का सरकारीकरण	Take over of the private shares in Joint Sector Units . . .	114
4905.	त्रिपुरा और मिजोरम में सीमेंट की कमी	Shortage of cement in Tripura and Mizoram	114—115
4906.	पुरी डाक डिवीजन के अन्तर्गत शाखा डाकघर खोलना	Opening of Branch Post Offices under Puri Postal Division .	115
4907.	उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom fighters from Orissa . . .	116
4908.	पुरी जिले में नए डाक घर खोलना	Opening of new Post Offices in Puri district	117—11

अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4909.	विश्व बैंक द्वारा औद्योगिक उत्पादन का अनुमान	Estimate of industrial production by World Bank . . .	118
4910.	सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in official work .	118
4911.	विभिन्न राज्यों में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की गोली से मारे गए व्यक्तियों की संख्या	Number of persons killed during B.S.F. and C.R.P. firing in various States	118—119
4912.	खोई तथा गेहूं के भूसे से कागज बनाने के लिए सहकारिताओं को प्रोत्साहन देना	Incentive to co-operatives for manufacturing paper from Bagasse and wheat straw	119
4913.	हैवी ड्यूटी टायरों की अनुपलब्धता	Non-availability of Heavy Duty Tyres	119
4914.	लघु उद्योगों को कच्चा माल वितरण करने के सम्बन्ध में शिकायत	Complaint against distribution of raw materials to small scale indutries	120
4915.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरना	Filling up of vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	120—121
4916.	नेशनल एडवर्टाईजिंग पब्लिशिंग हाऊस कलकत्ता की ओर विज्ञापनों की बकाया राशि	Amount of advertisements due against National Advertising Publishing House, Calcutta .	121
4917.	हाफ़ 'ए' मिलियन जाब्स कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षित बेरोज़गारों को नौकरियां दिया जाना	Absorption of all educated unemployed who received training under 'Half-a-million jobs' Programme	121
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling [Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	121
	मद्रास और बम्बई पत्तनों में बाहर से आने वाले जहाजों को ठहरने सम्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध न होने का समाचार	Reported non-availability of berthing facilities for the Incoming Ships in Madras and Bombay ports	121
	प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . .	121
	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	125
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table .	126—127
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committtee on Private Members Bills and Resolutions . .	127
	38वां प्रतिवेदन	Thirty-eighth Report . .	127
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	127
	100वां प्रतिवेदन	Hundredth Report .	127—128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister .	128
	श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra .	128—829
	समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee .	129
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	Indian Council of Agricultural Research	129
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377 . .	129
	मध्य और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों में अपराध	Crime in suburban trains on the Central and Western Railways	129—130
	अनुदानों की मांगे, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75 .	130
	औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Ministry of Industrial Development and Department of Science and Technology	130
	डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya .	130
	श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	132
	श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavada .	132—33
	श्री जियाउर्रहमान अंसारी	Shri Ziaur Rahman Ansari .	133—135
	श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel .	135
	श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	136
	श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai .	137
	श्री धामनकर	Shri Dhamankar .	137—138
	श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . .	138
	डा० कैलाश	Dr. Kailas .	139
	श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy .	139—140
	श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav . . .	140—141
	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	141
	श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal . . .	141
	श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli .	141—142
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	142—143
	श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango . .	143—144
	श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal .	144—145
	श्री बशेश्वर नाथ भार्गव	Shri Basheshwar Nath Bhargava	145

अता० प्र० संख्या विषय U. S, Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	145—151
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Ministry of Information and Broadcasting	151—157
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya .	158
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion .	158
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Former East Pakistan . .	158
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	158—162
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar .	162

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 27 मार्च, 1974/6 चैत्र, 1896 (शक)
Wednesday, March 27, 1974/Chaitra 6, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at One Minute past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में औद्योगिक सम्पदायें

† † †

*466. **श्री ए०के० एम० इसहाक :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में कितनी औद्योगिक सम्पदाएं और शेड कार्य कर रहे हैं तथा 31 दिसम्बर, 1973 को छोटे पैमाने के कितने औद्योगिक एकक कार्य कर रहे थे; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में औद्योगिक सम्पदाओं और शेडों के कार्यक्रम का परिव्यय कितना होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख)। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(31–3–1974 की स्थिति के अनुसार)

(क) राज्य का नाम	चालू औद्योगिक बस्तियों की संख्या	ऐसे सायबानों की सं० जहां कार्य हो रहा हो	कार्यरत कारखानों की संख्या
पं० बंगाल	5	97	73
गुजरात	57	1935	2483
महाराष्ट्र	51	1647	1565

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा परिकल्पित परिव्यय :

पं० बंगाल	100 लाख रुपए
महाराष्ट्र	150 लाख रुपए

2—210LSS/74

गुजरात राज्य की योजना में औद्योगिक बस्तियों के लिए किसी प्रकार के परिव्यय की परिकल्पना नहीं की गई है। गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया जाएगा।

श्री ए० के० एम० इसहाक : विवरण निराशाजनक है। जबकि, गुजरात में 57, महाराष्ट्र में 51 औद्योगिक बस्तियां कार्यरत हैं वहां पश्चिम बंगाल में केवल 5 औद्योगिक बस्तियां काम कर रही हैं। इतनी विषमता क्यों है? क्या वित्त तथा कच्चे माल की उपलब्धता एक ऐसा कारण है जिसके परिणाम-स्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात में ये बस्तियां तेजी से बढ़ रहीं हैं और इनकी अनुपलब्धता एक ऐसा कारण है जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में ये विकसित नहीं हो रही हैं ? कितनी वित्तीय संस्थाएं बम्बई से सम्बधित हैं और कितनी वित्तीय संस्थाएं कलकत्ता से सम्बन्धित हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : दुर्भाग्यवश ये आंकड़े गलतफहमी पैदा करने वाले हैं क्योंकि औद्योगिक बस्तियां लघु उद्योग स्थापित करने के कार्य का अंग हैं। जहां औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वहां राज्यों को औद्योगिक बस्तियां बनानी पड़ीं और सुविधाएं देनी पड़ीं तथा राज्यों में लघु उद्योग शुरू करने पड़े। अतः तुलना औद्योगिक बस्तियों को लेकर न करके गुजरात, मध्यप्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए लघु उद्योगों की संख्या को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल की स्थिति उन लघु उद्योगों की संख्या के मामले में कहीं उत्तम है जो बिना औद्योगिक बस्तियों की सहायता से स्थापित किए गए। इससे औद्योगिक विकास के उच्च स्तर का पता चलता है जो पहले ही वहां हो चुका है। अतः माननीय सदस्य को इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि, चूंकि पश्चिम बंगाल में अधिक औद्योगिक बस्तियां नहीं हैं, इसलिए वहां लघु उद्योगों का विकास नहीं हुआ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : प्रश्न के उस भाग को छोड़कर, पश्चिम बंगाल में काम कर रहे लघु एककों की संख्या 73 है जबकि गुजरात में 2483 और महाराष्ट्र में 1565 लघु एकक हैं। यह एक अन्तर है। पश्चिम बंगाल ने जितना विकास किया, व उसका अपना कार्य था। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को क्या लाभ मिला ? दूसरे, इसको पर्याप्त रोजगार मिलता है। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल समस्याग्रस्त राज्य है। पश्चिम बंगाल सरकार में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए औद्योगिक बस्ती योजना के अंतर्गत सुविधाएं देकर सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : औद्योगिक बस्तियां बनाने का कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। औद्योगिक बस्तियां वहां बनाई जाती हैं जहां लोग लघु उद्योग स्थापित नहीं करते और इसलिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है। मैं आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

जहां तक लघु उद्योग का प्रश्न है, वर्ष 1972 के अंत तक पश्चिम बंगाल में 29,137 लघु उद्योग थे जबकि गुजरात में औद्योगिक बस्तियों की बहुल्यता के बावजूद लघु उद्योगों की संख्या केवल 19,966 थी। महाराष्ट्र में 33,000 लघु उद्योग हैं। अत: औद्योगिक विकास के असन्तुलन को दूर करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है। पश्चिम बंगाल चूंकि औद्योगिक विकास में आगे है और बैंकों की सहायता आदि से वहां और लघु उद्योग पनप रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की सहायता नहीं दी गई। लेकिन स्थिति के समूचे ज्ञान के लिए हमें विकास विशेषकर लघु उद्योगों के विकास को ध्यान में रखा जाता है।

श्री शक्तिकुमार सरकार : सहानुभति न होने से पश्चिम बंगाल की औद्योगिक बस्तियों का विकास नहीं हो सका। पांच औद्योगिक बस्तियों में 166 शैडों में से केवल 127 शैड लघु उद्योग उद्यमकर्ताओं

के हाथ में हैं ? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि धनराशि के अभाव में ये उद्यमकर्ता पश्चिम बंगाल में कार्यरत औद्योगिक सम्पदाओं के अन्तर्गत आने वाले शैडों को अपने नियन्त्रण में नहीं ले पा रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इससे तो यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के उद्यमकर्ता लघु उद्योग शुरु करने के लिए राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि औद्योगिक सम्पदा के बाहर भी, कई उद्योग स्थापित हुए हैं। जहां वे सहायता के बिना नहीं चल सकते, वहां वे औद्योगिक सम्पदाओं में जाते हैं। इससे पता चलता है कि वहां औद्योगिक सम्पदा आवश्यक नहीं है। इसलिए यदि वहां औद्योगिक सम्पदाएं बना भी दी जाएं तो भी वहां शैड खाली ही रहेंगे। इसलिए हमें लघु उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखना चाहिए और इस लिहाज़ से पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों से आगे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के तर्क के अनुरूप यह जानना कठिन होगा कि महाराष्ट्र में औद्योगिक सम्पदाओं की संख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक क्यों है क्योंकि महाराष्ट्र की औद्योगिक सम्पदा से बाहर स्थापित किए गए लघु उद्योगों की संख्या पश्चिम बंगाल की तुलना में अधिक है। इसके वावजूद हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक सम्पदाओं की संख्या महाराष्ट्र की तुलना में बहुत कम है। हालांकि महाराष्ट्र की औद्योगिक सम्पदा से बाहर कई औद्योगिक एकक विकसित हुए हैं फिर भी पश्चिम बंगाल की तुलना में इस राज्य के साथ अधिक पक्षपात दिखाया गया है। ऐसा क्यों ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि प्रत्येक राज्य में कितने लघु एकक स्थापित हुए। मैने इस सम्बन्ध में आंकड़े दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972 के अंत तक लगभग 29,000 लघु एकक थे। महाराष्ट्र में 4,000 अधिक अर्थात् 33,000 थे। इसमें औद्योगिक सम्पदा में तथा उनसे बाहर के उद्योग शामिल हैं। इससे पता चलता है कि शायद पश्चिम बंगाल के उद्योगपति तथा उद्यमकर्ता वर्ग औद्योगिक सम्पदाओं को कार्यरत देखना नहीं चाहते। स्थितियां अलग-अलग स्थानों पर अलग हैं क्योंकि कम संख्या की औद्योगिक सम्पदाओं में भी काम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है।

श्री बी०के०दासचौधरी : मंत्री महोदय का यह तर्क कि पश्चिम बंगाल में और अधिक औद्योगिक सम्पदाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बन सकती, मेरी समझ में नहीं आया। औद्योगिक सम्पदा खोलने की आवश्यकता महानगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में है। मंत्री महोदय भी स्पष्ट रूप से यह जानते हैं कि 24 परगना जिले, कलकत्ता और हावड़ा के छोटे हिस्से को छोड़कर, पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को योजना आयोग द्वारा 'पिछड़े जिले' करार दिया गया है। जहां लघु उद्योग के पनपने की काफी गुंजायश है, वहा के पिछड़े जिलों में और अधिक औद्योगिक सम्पदाएं खोलने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ? पश्चिम बंगाल में औद्योगिक सम्पदाओं की अधिक संख्या न होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972 के अन्त तक 29,000 औद्योगिक एकक थे। क्या मंत्री महोदय 'पिछड़े' घोषित किए गए क्षेत्रों में और अधिक औद्योगिक संस्थाएं खोलने के लिए और कार्यवाही करेंगे।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह मामला राज्य सरकार तय करेगी। जहां तक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है, हम शहरी क्षेत्रों तथा, पहले से औद्योगीकृत क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए हम अनुकूल निदेश तथा नया रूप देते हैं। यह एक नया निदेश है जो हम पांचवी योजना में देना चाहते हैं।

Shri Shrikrishna Agrawal : The hon. Minister has stated that more and more small scale industries are being set up in backward areas. Will the hon. Minister state whether any plan has been formulated to set up industrial estates in Madhya Pradesh and particularly in Chhatisgarh, which is a backward area ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे मध्यप्रदेश से पूरी सहानुभूति है लेकिन जानकारी के अभाव में मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मंत्री महोदय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 29,000 तथा महाराष्ट्र में 33,000 लघु उद्योग हैं। क्या ये 29,000 लघु उद्योग चल रहे हैं अथवा बन्द पड़े हैं। हावड़ा क्षेत्र में लघु उद्योग बन्द किए गए थे; बल्ब बनाने वाले सैकड़ों लघु उद्योग बन्द पड़े हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। ऐसा कच्चे माल तथा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण हो रहा है। क्या यह बात केन्द्रीय सरकार की जानकारी में है और यदि हां, तो वह कार्यवाही करेगी ताकि ऐसे और अधिक एकक बनें?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे इस बात की जानकारी है कि न केवल लघु उद्योग बल्कि बड़े पैमाने तथा मध्यम दर्जे के उद्योग इस समय बन्द कर दिए गए थे जब माननीय सदस्य का दल पश्चिम बंगाल में शासन कर रहा था। (व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बिल्कुल गलत; मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, मैं मंत्री महोदय को चुनौती देता हूं। यदि यह बात गलत है तो उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। उन्हें बलि का बकरा न बनाइए। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए। नाराज़ न होइए।

श्री सी०सुब्रह्मण्यम : मुझे पता है यह कड़वा तथ्य है। (व्यवधान), लेकिन एककों को पुनः खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मुझे यह पता है कि कुछ उद्योग, विशेषकर लघु उद्योग ऐसे हैं जो कोटे पाने के उद्देश्य से केवल कागजों में है। ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, अन्य राज्यों में भी है। अतः एककों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। ताकि उनकी क्षमता, कार्यकरण, उपयोग में लाए जा रहे कच्चे माल की मात्रा का पता लग सके। गणना पूरी होने पर ही हमें जाली कारखानों का पता चल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न।

डा० रानेन सेन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न आप ही के नाम का है, वही पूछिए।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल के संबंध में यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं प्रश्न पूछने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आप कृपया प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने की भी एक सीमा होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर समय पश्चिम बंगाल के सदस्य ही प्रश्न पूछें, कृपया अगला प्रश्न पूछें जो आपके नाम में है।

गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

*467. **श्री रानेन सेन** :†

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड के प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिया है।

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को इस उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिया गया और उस समय समूचे गणेश मिल समूह में कितने कारखाने थे।

(ग) ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है जिनका प्रबंध सरकार के हाथों में है; और

(घ) वास्तव में कार्य कर रहे कारखानों की संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उद्योग विकास (तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन 3 नवम्बर, 1972 को गणेश फ्लोर मिल कंपनी लि०का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस ग्रुप में पांच फैक्टरियां हैं जिनमें से सभी को अधिकार में ले लिया गया है तथा जिनका प्रबंध भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० की मार्फ्त चलाया जा रहा है। दिल्ली स्थिति केवल बिजली के पंखे तथा एक से कम फ्रैक्शनल अश्वशक्ति के मोटर बनाने का कारखाना इस समय नहीं चल रहा है तथा इस कारखाने को फिर से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

डा०रानेन सेन : क्या यह सच है कि सरकार को, इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पश्चात् विभिन्न विभागों के लिए बड़ी संख्या में पंखे खरीदने पड़े हैं ? क्या यह भी सच है कि इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत कलकत्ता में पंखे बनाने वाले एककों में कर्मचारी, पंडा एण्ड कम्पनी में 300 से अधिक कर्मचारी हैं, एककों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण निगम द्वारा बहुत पहले ही गणेश फ्लोर मिल्स को अपने नियंत्रण में लेने से सरकार को किसने रोका ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आर्थिक रूप से सही चलने वाले एककों को निमंत्रण में लेने के आदेश दिए गए हैं, पांच उद्योगों में से चार को नियंत्रण में ले लिया गया है और वे अब चल रही है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह पांचवा पंखा कारखाना चलाया जा सकता है अथवा नहीं, इस कार्य की जांच चल रही है और ज्योंही निर्णय ले लिया जाएगा हम इसकी सूचना सभा को दे देंगे, पूरी संभावना है कि हम इसको भी चलाना आरंभ कर देंगे, ऐसा मुझको कहा गया है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि इन पंखा कारखानों के पास अधुनातन मशीनें हैं ? क्या यह भी सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने भी सरकार से सिफारिश की थी कि इन पंखा कारखानों को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें चलाया जाए ? उन्होंने यह सिफारिश बहुत पहले की थी और इसके बावजूद भी सरकार इन पंखा कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने में हिचकिचा रही है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस एकक को चलाने के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि पंखों का निर्माण करने के लिए इसके पास अधुनातन मशीनरी है, मेरे पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इसके पास पुरानी मशीनरी है और हमें वह बदलनी है, यदि हमने इसको आरम्भ करना है तब हमें इसमें पूंजी निवेश और हम इसमें किस प्रकार कार्य कर सकेंगे, के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा, यह मामला विचाराधीन है और जैसा कि कहा जा चुका है कि इस एकक को आरम्भ करने की संभावना है।

श्री भान सिंह भौरा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि श्री माथुर और श्री जी० डी० मोरारका जो बदनाम कर प्रवंचक हैं, ने अनेक कंपनियों और इस कंपनी को लूटा है? क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्वास निगम इन एककों को आरम्भ करके उसी कार्य को सौंप देने पर विचार कर रही है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम :मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : केवल प्रबंध को ही अपने नियंत्रण में लेने के क्या लाभ हैं ? यह अच्छा रहेगा कि इस संपूर्ण उपक्रम को परिसमाप्त करके इसको इसके बही मूल्य में खरीद लिया जाए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसमें थोड़ा समय लगेगा । पहले हम प्रबंध को अपने नियंत्रण में ले लें और तब हम संपूर्ण उपक्रम को अपने नियंत्रण में लेने के तरीकों को निकालने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhwai : It has been stated in this statement which the hon Minister has placed, that the Government have taken over five units of this Company. Of which two units are closed even now. One is fan Unit and other is Motors Unit ? I want to know how much money will be spent on starting them. These units of Ganesh Flour Mill were closed for many days. I want to know whether the workers, who were previously working there have been re-employed or fresh recruitments were made or any retrenchment has been effected. How much compensation the Company has demanded from the Government for the units taken over and how much has been paid ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : नीति यह है कि यथासंभव पुराने कर्मचारियों को पुन: काम पर रखा जाए परन्तु यदि उन्होंने कहीं और काम ढूंढ़ लिया है तो स्वाभवत: हमें नए व्यक्तियों को काम पर रखना पड़ेगा । यह कोई दो कारखाने नहीं हैं । यह एक कारखाना है जो पंखे और आंशिक रूप से अश्व-शक्ति वाले मोटर्स का निर्माण करता है और इस एकक की स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। जहां तक संभव होगा हम इसको चलाने के उद्देश्य से अपने नियंत्रण में लेने का प्रयत्न करेंगे । जहां तक मुआवजा देने की बात है, इसके प्रबंध को अपने नियंत्रण में लेने के बाद मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता है । राष्ट्रीयकरण करने पर मुआवजा का प्रश्न उठता है ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली स्थित गणेश फ्लोर मिल्स शुरू में पाकिस्तान से स्थानान्तरित हो कर यहां आई है । यदि हां, तो क्या इसे निष्क्रांत सम्पत्ति का मुआवजा मिला है । यदि हां तो किन कारणों से हाल में एक वर्ष पूर्व पाकिस्तान में घोषित की गई शत्रु सम्पत्ति के अनुसार इस कम्पनी को 27 लाख रुपए अनुग्रह पूर्वक अदायगी के रूप में दिए गए थे ? इसके क्या कारण हैं और इस बारे में वस्तु तथ्य क्या है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पाकिस्तान में कम्पनी की सम्पत्ति के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिले हैं।

श्री समर गुह : 27 लाख रुपए ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस का पाकिस्तान में भी अपने एकक हैं, 25 लाख रुपयों में से अधिकांश धन आय कर, मजूरी आदि के भुगतान रूप में व्यय किया गया ।

श्री समर गुह : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है यथा क्या देश के विभाजन के समय इसको पूरी तरह से स्थानान्तरित कर दिया गया था अथवा 1965 के भारत-पाक युद्ध तक इनके

एकक पाकिस्तान में रहे और यदि नहीं तो उनको अनुग्रह पूर्वक अदायगी के रूप में 27 लाख रुपयों का मुआवजा कैसे मिला है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी इन पांच एककों के अतिरिक्त पाकिस्तान में भी कुछ एकक हैं और इन्हीं एककों के कारण हमें 25 लाख रुपयों का मुआवजा मिला है ।

श्री समर गुह : मैं जान सकता हूं कि क्या 1965 के युद्ध के समय तक पाकिस्तान में कुछ कम्पनियां थी क्योंकि अनुग्रह पूर्वक अदायगी के रूप में मुआवजा 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय घोषित की गई शत्रु संपत्ति के लिए दिया गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है, परन्तु हमें 25 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिले हैं, यदि माननीय सदस्य और अधिक ब्यौरा चाहते हैं तो वे मुझे लिखें और मैं उन्हें निश्चय ही जानकारी भेजूंगा ।

वर्ष 1974-75 में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था

*469. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974–75 में उत्तर प्रदेश के लिए, योजना से बाहर, लगभग 139 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Everyone knows that the eastern part of Uttar Pradesh is backward. Besides this other eastern states are also very backward. A state, which was in third position, has come to thirteenth. Shri Dhar and Shri Dharia know this. If these eastern states particularly Uttar Pradesh, Bihar and Assam have not been given special assistence,......

An Hon. Member : Madhya Pradesh also.

Shri Yamuna Prasad Mandal :........ Then how the imbalance, about which Shri Subramaniam has mentioned, will be removed ? May I know, if not the whole of U.P., then at laest the eastern Uttar Pradesh, Bihar and other eastern States will be given special assistance?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : यह प्रश्न विशिष्ट रूप से इस जांच से सम्बन्धित है कि क्या 139 करोड़ रूपए उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान अलग राशि के रूप में दिए जा रहे हैं, यह सच नहीं है । उत्तर प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है परन्तु जहां तक उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन अथवा वहां के विशेष समस्याओं से सम्बन्ध है, निश्चय ही योजना में इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : The Planning Commission has declared 54 districts as backward then whether the hon Minister will take these 54 districts into consideration when allotment of such special fund is made ?

Shri D. P. Dhar : We will surely take this aspect into consideration.

Shri Sarjoo Pandey : Scheme has been evolved to develop five disticts of Uttar Pradesh namely Jhanshi, Bareilly, Balia and two more districts, the names of which are not coming in my mind, specifically in Fifth five year Plan and special fund has been provided for that purpose. What I am to say is that there are also such other districts which has been mentioned as backward by the Patel Commission. Names of Azamgarh, Balia, Gazipur, Basti or Deoria have not been mentioned. I want to know what is criteria of providing funds by the Government specially to these districts and whether other districts will be included in it or not ?

श्री डी० पी० धर : माननीय सदस्य ने पांच जिलों में खराब स्थिति बताई है जिनमें से दो जिलों के नाम उन्हें याद नहीं हैं । चूंकि वे इन जिलों के बारे में काफी चिन्तित हैं इस लिए हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री राम सूरत प्रसाद : उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी और प्रदेश तथा बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, जनसंख्या तथा निर्धनता को देखते हुए यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसा अनुरोध किया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल ने यही प्रश्न पूछा था ।

श्री राम सूरत प्रसाद : क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा अनुरोध किया था ?

श्री डी० पी० धर : जो कुछ मैं कह चुका हूं, उससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

Request from Bihar Government for Sealing the Borders of State for Checking Smuggling.

*470. **Shri Jagannath Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(*a*) Whether Bihar Government have sought the help of the Central Government for sealing the borders of the State and for taking stringent measures there; and

(*b*) if so, the manner is which the Central Government have helped the Bihar Government to check smuggling ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) and (*b*) : At the time when the request was received in January 1974 from the State Government, the Central Government were not able to accedes to the request keeping in view the deployment already made of the CRP. However, we are ascertaining from the State Government their present requirements of assistance for prevention of smuggling from the State with a view to extending such help as may be possible taking into account also the existing arrangements for this purpose under the Control of the Collector of Customs, Patna.

Shri Jagannath Mishra : Taking into Consideration the request made by the Bihar Government to give assistance for sealing the border and checking the smuggling inspite of the deployment of Central Reserve Police, I want to know whether he is aware that during this months of January and February rice was smuggled to Nepal and rice is being smuggled into India from Nepal during these months ? Not only this, the foreign goods in Nepal.....

Mr. Speaker : You are giving information. You should put question rather than making statement.

Shri Jagannath Mishra : I am putting question. This information is also important for you.

The foreign goods which are brought to Nepal for sale, are sold in India rather than in Nepalganj. Not only this, it has become a danger zone from the point of view of law and order. The state Government had made the request seriously but the Central Government did not consider it in the same spirit. I want to know whether it is proposed to take prompt action to check the smuggling on that border ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit) : As has been stated in the reply, no force was sent promptly but it was sent during February and March specially to maintain law and order. We has asked Bureau of Research and Development of Police to study the problem of smuggling at Indo-Nepal border and given suggestions so that it may be stopped. Last week we received their report and we are considering it.

Shri Bibhuti Mishra : Do you know that the border of Nepal is Connected with India. As there are no means to reach the border of Nepal stretching from north to east to check smuggling and until this is not provided, you cannot stop smuggling then whether the Central Government is considering over it ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : भारत-नेपाल सीमा की लम्बाई 980 मील है जिसमें से 414 मील सीमा बिहार से लगती है ।

जहां तक तस्करी को रोकने का प्रश्न है, मैं यह बता दूं कि स्थल मार्ग पर तस्करी रोकने के लिए सीमा शुल्क के दस्तों की व्यवस्था है जो पटना के सीमा शुल्क कलक्टर के पूरी देखरेख के अन्तर्गत है, इन में से कुछ दस्तों को जीप, हथियार तथा गोलाबारूद भी दिया हुआ है । एजेन्सियों की बहुतायत होने से राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समन्वय बैठकें होती हैं । सीमा की भारी गश्त लगाने के लिए सीमा शुल्क कर्मचारियों को जीपें भी दी हुई हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : My reply is not coming.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुझे उत्तर पूरा करने दीजिए । जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने पहले हीं कहा है कि ब्यूरो आफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट आफ पुलिस की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही हम यह कह सकेंगे कि हम उनकी कितनी सहायता कर सकते हैं ।

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है । सीमा को बंद करना अथवा सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकारों का कार्य है ।

Shri Bibhuti Mishra : My Question has not been answered. I said that there was no Nepal border road from East to West for checking smuggling. There are many rivers and it is not possible to go there. Therefore until road is constructed, it cannot be checked. What are the Central Government doing to check it, because it is the duty of the Central Government to check the smuggling.

Shri Uma Shankar Dikshit : When we consider the other recommendation we will take note of your suggestion.

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय उप-मंत्री ने कहा था कि विभिन्न संगठनों को कई जीपें दी गई थीं । अब वह यह मान रहे हैं कि उस क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं । तो ये जीपें वहां क्या करती रहीं ? क्या ऐसा तस्करी के पश्चात सहायता करने के उद्देश्य के लिए इन जीपों का उपयोग किया गया था ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : जीपों को पक्की सड़कों की आवश्यकता नहीं है और कच्ची सड़कों पर भी जीपें जा सकती हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितनी जीपों की व्यवस्था की गई है और इन क्षेत्रों में इनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है ? उन्होंने कहा है कि सड़कों का निर्माण करना राज्य सरकारों का काम है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीशंकर दयाल सिंह ।

Shri Shankar Dayal Singh : It is clear from the question and the answer that the smuggling has been going on the border on a very large scale and it is very regretful that instead of it being between Nepal and India, it is between China adn India. Inspite of the shortages in our own country the foodgrains are being sumuggled into China through Nepal on a very large scale. I want to know that how many persons have been arrested on the charge of smuggling during the last one year and whether some Government officials are also involved and if so, what action has been taken against them ?

Mr. Speaker : This question does not arise from the main question, separate question should be asked for this.

Shri Shankar Dayal Singh : Mr Speaker, Sir, the question asked by me is very much related to the main question.

Mr. Speaker : If you have to decide about it, what is use of my saying then.

Shri Shankar Dayal Singh : You have to decide, but I have asked a related question. Unless no figures are available for one year, one cannot know whether these has been smuggling or not, how much smuggling has been there and how many persons have been arrested. Please get the answer of my question from the Government.

Mr. Speaker : The factual information has been asked in the question whether sealing has been done, so you should ask about sealing. If you want to ask that how many persons have been arrested and what action has been taken, you should give notice to the Minister for this.

Shri Hukam Chand Kachwai : The smuggling trade has been increasing day by day. It has increased substantially on the border of Nepal. May I know whether Bihar Government has asked for any assistant to check it ? Please let us know the difficulties which have been stated by the State Government and how much cooperation has been given by you ? May I know whether it is a fact that the political parties and Government personnel are in connivance in this smuggling trade ?

Mr. Speaker : You have asked a very good and relevant question, but you have spoiled it by adding the last thing.

श्री एफ० एच० मोहसिन : श्रीमान् जी, राज्य सरकार ने केवल सीमाओं को बन्द करने के लिए सी० आर० पी० की सहायता मांगी थी । 16 जनवरी, 1974 को यह पत्र प्राप्त हुआ था । जब यह संदेश प्राप्त हुआ था । उस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कोई यूनिट हमारे पास फालतू नहीं थी । सीमाओं को बन्द करने के सम्बन्ध में कोई भी कठिनाई नहीं है और यदि बिहार सरकार ऐसा करना चाहती है, तो ये बल पहले ही वहां मौजूद हैं ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियों के निर्माण के लिए लाइसेंस देना

*471. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र में घड़ियों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फार्मों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) क्या इन फार्मों को घड़ी निर्माण का तकनीकी ज्ञान है ; और

(घ) क्या घड़ियों के पुर्जों का निर्माण कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में घड़ी उद्योग सम्मिलिति नहीं है। कलाई घड़ियां बनाने की सत्रह पार्टियों की योजनाओं के निजी क्षेत्र में चालू करने की स्वीकृति दी जा चुकी है और जिनमें से नौ पार्टियों को विदेशी सहयोग की अनुमति दे दी गई है ।

(ग) सिद्धान्तत : योजना के सम्बन्ध में स्वीकृति देते हुए पार्टियों की तकनीकी क्षमता, उत्पादन सम्बन्धी उनके प्रावस्थावद्ध कार्यक्रम तथा अन्य संबंधित बातों पर विधिवत् विचार कर लिया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री पी० आर० शिनाय : यह बताया गया है कि नौ पार्टियों को घड़ियों का निर्माण करने के लिये विदेशी सहयोग की अनुमति दी गयी है । इस विदेशी सहयोग में कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ? दूसरा, इस बात को देखते हुए कि जब घड़ियों का निर्माण स्थानीय कारिगिरी से किया जा सकता है, तो इस विदेशी सहयोग की क्या आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमान् जी, हमारे पास अभी तक कलाई घड़ियों के निर्माण की तकनीकी जानकारी नहीं है । टाईम पीस घड़ियों और दीवार घड़ियों के सम्बन्ध में निस्सन्देह ही हमारे पास तकनीकी जानकारी है और हमने इन दो मदों के संबंध में विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया है, किन्तु जहां तक कलाई घड़ियों का सम्बन्ध है, अभी तक . . . . .

श्री पी० आर० शिनाय : एच० एम० टी० के बारे में क्या बात है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : एच० एम० टी० पहले ही विदेशी सहयोग से काम कर रही है । इसलिये, गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित कुछ कारखाने एच० एम० टी० से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं । किन्तु, हमें एक 'मेक' तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता । विभिन्न अन्य बातों पर विचार करना होगा । यही कारण है कि विदेशी सहयोग, विशेषकर कि स्विस निर्माताओं के साथ इसके लिये अनुमति दे दी जाती है । विदेशी मुद्रा को तुरन्त बाहर भेजना सम्भव नहीं होता है, क्योंकि यह उत्पादन पर निर्भर करेगा । उत्पादन की बात उठ खड़ी होगी । 5 वर्षों के लिये 2 प्रतिशत कर योग्य निश्चित रायलटी का प्रश्न है और कुछ मामलों में तकनीकी जानकारी के लिये शुल्क देना पड़ता है । यह शुल्क प्रत्येक मामले में भिन्न होता है ।

श्री पी० आर० शिनाय : बंगलौर और अन्य स्थानों में घड़ियों के पुर्जों के निर्माण के लिये अनेक छोटे पैमाने के कारखानों की स्थापना की गयी है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार फालतू पुर्जों के निर्माण के लिये केवल छोटे पैमाने के क्षेत्र को ही मंजूरी देने के लिये विचार करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे मालूम है कि बंगलौर के आसपास मुख्यतय: छोटे पैमाने के क्षेत्र में कई कारखाने स्थापित किये गये हैं जो घटकों का उत्पादन करते हैं । जब वे घटकों का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन इतना किया जाना अनिवार्य है जो केवल छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिये ही उपयुक्त

हो। अब तक छोटे-पैमाने के क्षेत्र के लिये इसे आरक्षित करने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ है। हमने उद्योग निदेशालय को इस पर विचार करने के लिये कहा है।

Shri Ram Kanwar : Mr. Speaker, Sir, I want to know from Hon'ble Minister the names of the states which have been granted licences for manufacturing the matches in the private sector and the amount which would be spent on them ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : ये हरियाणा, बम्बई, केरल, काश्मीर, देहली, हैदराबाद, धारवाड़, मद्रास आदि।

श्री नुरुल हुडा : मंत्री महोदय, दिये गये उत्तर को देखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि आप देश में कलाई घड़ियों का निर्माण करने के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहने के क्या कारण हैं, हमें कब तक विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहना पड़ेगा और क्या ये लाइसेंस आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्व क्षेत्र में किन्हीं पार्टियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं उन स्थानों के नाम पढ़ता हूं। एक आवेदन पत्र त्रिपुरा सरकार से प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है। शायद यह लाइसेंस दे दिया जायेगा। किन्तु उस के लिये मुझे और कोई नाम दिखायी नहीं दे रहा है। यह एक बहुत ही विशेष योग्यता वाली तकनीकी जानकारी होती है और हम जब तक देश के भितर उस तकनीकी जानकारी का विकास करने के लिये अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं करते हैं, तब तक देशीय तकनीकी जानकारी को प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। हम निश्चय ही इस बात का पता लगायेंगे कि क्या इस तकनीकी जानकारी का विकास करना लाभदायक है, क्योंकि बहुत ही विकसित देश भी कुछ देशों से उपलब्ध विशेष योग्यता वाली तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहते हैं ?

श्री शक्ति कुमार सरकार : दार्जेलिंग के बारे में क्या है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने स्थानों के नाम पढ़ दिये हैं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : एच० एम० टी० उन परियोजनाओं में से एक है जिस पर सरकारी क्षेत्र सही तौर पर गर्व कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में सफलतापूर्वक घड़ियों का निर्माण करने के पश्चात् क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर रही है ? आप विदेशी सहयोग के लिये 9 और पार्टियों को अनुमति दे रहे हैं। क्या इस का अर्थ यह है कि सरकार की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैंने कहा है कि यह एक ऐसा उद्योग नहीं है जो अनुसूचित उद्योगों के अन्तर्गत आता हो। अत:, सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है यह केवल तभी होता है जब पूंजीगत माल अथवा आयातित कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है कि वे हमारे पास स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आते हैं। यह उद्योग पूर्ण रूप से केन्द्रीय क्षेत्राधिकार की परिधि से बाहर है। इसलिये नीति को बदलने का प्रश्न ही नहीं है। हम यथासम्भव सरकार क्षेत्र की परियोजनाओं को घड़ियों के निर्माण के लिये भी प्रोत्साहन देते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि जहां तक घड़ियों के उत्पादन की तकनीकी जानकारी का संबंध है, हम बहुत पीछे हैं। मैं इस बात के लिये डा०

शर्मा से सहमत हूँ कि हमें एच० एम० टी० पर गर्व है। वे बहुत ही अच्छी घड़ियां बनाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास एच० एम० टी० के विस्तार की कोई ऐसी योजना है, ताकि देश की आवश्यकता के अनुसार घड़ियों का उत्पादन किया जा सके।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक विस्तार का संबंध है, मुझे माननीय सदस्य को सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि काश्मीर में एक नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है। यदि वह कोई अन्य विवरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्रश्नों को भारी उद्योग मंत्रालय को सम्बोधित करना चाहिये, जिसके अधीन एच० एम० टी० है।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र समय के अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिये, क्या मंत्री महोदय घड़ियों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस देते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि वे परिस्थितियों के अनुकूल घड़ियों का निर्माण करें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसी कारण से हम दुर्भाग्य वश अभी तक विदेशी तकनीकी जानकारी के साथ बंधे हुये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां तक घड़ियों की तकनीकी जानकारी का सम्बन्ध है, जब गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में समर्थ हुये हैं, तो इस विदेशी तकनीकी जानकारी से बच सकते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : उन विदेशी निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनके सहयोग को स्वीकार किया गया है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं एक या दो नाम--रोमर वाच कम्पनी और कैमी--दे सकता हूँ। उनमें से अधिकांश स्विटज़रलैंड से हैं।

मुनाफाखोरी, चोर बाजारी तथा मिलावट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही

*473. **श्री वयालार रवि**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन् } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुनाफाखोरी, चोर बाजारी तथा अनाज और औषधियों में मिलावट करने वाले उन व्यक्तियों के खिलाफ जो देश के विकास और प्रगति को भारी खतरा पहुंचता हैं, कार्यवाही करने के लिये कुछ अतिरिक्त उपबन्ध करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 और खाद्य मिलावट की रोक अधिनियम, 1954 के उपबन्धों को अधिक कारगर, कड़ा तथा अपराधियों को अधिक कड़ा दंड देने हेतु उनमें संशोधन करने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री वयालार रवि : यह अच्छी बात है कि सरकार दंड को और अधिक कटोर बनाने पर विचार कर रही है, क्योंकि ये लोग समाज के विरुद्ध अधिक जघन्य अपराध करते हैं। केवल खाद्यान्नों म ही अत्यधिक अपमिश्रण नहीं, किन्तु औषधियों में भी किया जाता है। दुर्भाग्यवश अपमिश्रण के

विरुद्ध कानून को लागू करने वाला तंत्र भी भ्रष्ट है। इसके अतिरिक्त हम आवश्यक समस्या से निपटने के लिये तंत्र को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। आप अधिनियमों के इन संशोधनों को कब करने का विचार है और इन उपबन्धों को लागू करने वाले तंत्र को तैयार करने के संबंध में आप के क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : वास्तव में गृह मंत्रालय विभिन्न अधिनियमों के संशोधनों से संबंधित नहीं है, किन्तु हमने विभिन्न मंत्रालयों से सूचना एकत्र कर ली है। उदाहरणार्थ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है। यह मंत्रालय हम को और कड़ा बनाने का प्रयास कर रहा है। विधि आयोग ने अपने 47 वें प्रतिवेदन में भी सुझाव दिये हैं। जिनमें सदस्य महोदय को रुचि हो सकती है। वे सुझाव ये हैं (1) कि कारावास की अधिकतम अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष कर दिया जाना चाहिये (2) इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों को गेर-जमानती बनाया जाना चाहिये (3) एक नयी धारा 10 (ख) को जोड़ा जाना चाहिये ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिये सिद्ध-दोषी निगमों की सार्वजनिक रूप से बुराई करने का उपबन्ध किया जा सके। (4) अपराधिक मनोवृत्ति को मान कर चलना चाहिये और अभियुक्त को यह छूट दी जानी चाहिये कि वह इस का खंडन करे। वाणिज्य मंत्रालय इससे भी आगे जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय प्रथम अपराध करने वाले के लिये एक अनिवार्य दण्ड के उपबन्ध करने के लिये भी विचार कर रहा है। इस का विचार यह है कि केवल तकनीकी अपराध को छोड़-कर प्रथम अपराध के मामले में भी कम से कम एक मास का कारावास अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये केवल इस मामले में केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव किया गया है कि दूसरे अपराध के लिये न्यूनतम दंड तीन वर्ष के कठोर कारावास से कम नहीं होना चाहिये। यह भी प्रस्ताव किया है कि सम्पत्ति की जब्ती और व्यापार को बन्द करने को प्रथम अपराध में भी अनि-वार्य बनाया जाना चाहिये जैसा कि उपधारा 7 (1) (ख) और 7 (3) में उपबन्ध किया गया है। उसी तरह खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और औषध अधिनियम का भी संशोधन किया जा रहा है ताकि इनसे निपटने के लिये सरकार को पर्याप्त कानूनी शक्तियां प्राप्त हों।

आगामी पाँच वर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारक अधि-नियम तथा अन्य अधिनियमों को लागू करने के लिये सरकारी तंत्र भी शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये और प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाना चाहिये ताकि औषधियों तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों का विश्लेषण शीघ्रता से किया जा सके और समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्रशासनिक तंत्र में तेजी लायी जानी चाहिये।

श्री वयालार रवि : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास इस बारे में सूचना है कि कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न राज्यों में चोर बाजारी करने वालों और मुनाफ़ाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री राम निवास मिर्धा : एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 6 मार्च 1974 को एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया था जिसमें हमने पूरे आंकड़े दिये थे कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों की संख्या बतायी गयी जिन्हें जेल में हिरासत में रखा गया और भारतीय रक्षा अधिनियम, तथा उन व्यक्तियों की संख्या भी बतायी गयी जिन पर भारतीय रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत मुकद्दमे चलाये

गये थे और उन लोगों की संख्या भी बतायी गयी जो नज़रबन्द है तथा जिन पर मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने विस्तृत उत्तर देते हुए सुझाव दिया है कि सरकार बढ़ती हुयी इस मुनाफ़ाखोरी, चोरबाजारी, और अपमिश्रण की इस समस्या से निपटने के लिये कानूनों को और अधिक कड़ा बनाने के मामले पर विचार कर रही है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार किस प्रकार वर्तमान उपबंधों को अपर्याप्त समझती है इसके लिये विशेष विवरण क्या हैं और किस तरह वर्तमान उपबन्धों को लागू करना भी अपर्याप्त है जिससे सरकार के लिये कठिनाई पैदा हो रही है । दूसरे शब्दों में किस प्रकार वर्तमान तंत्र को अपर्याप्त पाया गया है सरकार अधिक कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार में कमी की जा सके ? प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण से ही यह स्थिति पैदा हो रही है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि इस मामले का मूल्य प्रश्न यह है कि कानूनों के उचित कार्यान्वियन का है जो हमने बनाये हुये हैं । किन्तु यह पाया गया है कि कुछ उपबन्धों को कड़ा किये जाने की भी आवश्यकता है । इस देश में मैंने कुछ उदाहरण दिये थे जिस में विभिन्न अधिनियमों को संशोधित किये जाने का प्रयास किया गया है । उदाहरण के तौर पर प्रथम अपराधों के संबंध में कुछ प्रकार के मामलों में न्यूनतम दंड जो इस समय नहीं रखा गया है ।

मैं सहमत हूं कि प्रशासनिक तंत्र और कानूनों के कार्यान्वियन को जो हमने बनाये हुये हैं, कड़ा करना होगा । सरकार इस बारे में पूरी तरह सतर्क है ।

श्री विक्रम महाजन : मंत्री महोदय का उत्तर चोर बाज़ारी और अपमिश्रण तक ही सीमित है । जहां तक मुनाफ़ाखोरी का संबंध है, कोई उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि मुनाफ़ाखोरी को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गयी है । क्या विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित किये गये हैं ? जब तक किसी संविधि के द्वारा मूल्यों को निश्चित नहीं किया जाता, तब तक आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को किसी सांविधिक अधिसूचना द्वारा निश्चित किया गया है और यदि नहीं तो सरकार का विचार किस प्रकार मुनाफ़ाखोरी को रोकने का है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्यों को निश्चित किया जाता है । उल्लंघन की बात उन मूल्यों के संबंध में पैदा हो सकती है जिन्हें निश्चित किया गया है । आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित किया जा रहा है । दण्डात्मक उपबन्धों को और कड़ा बनाया जा रहा है । यह बात स्पष्ट है कि जब तक हम किसी मूल्य को निश्चित न करें तब तक इसका उल्लंघन कैसे हो सकता है । जहां तक चोरबाज़ारी का संबंध है, मैंने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के विवरण दे दिये हैं जिस में विशेषकर चोरबाजारी का उल्लेख किया गया है ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : मैंने कुछ दिन पूर्व एक समाचार पढ़ा था कि एक क्रांतिकारी सरकार ने कुछ अपमिश्रण कर्त्ताओं को गोली से उड़ा दिया था । हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है । सब इस बात से सहमत होंगे कि छात्रों एवं दूसरों के अधिकांशतः आन्दोलन चोर बाज़ारी करने वालों और अपमिश्रण कर्त्ताओं के विरुद्ध क्रोध प्रदर्शन

करना होता है, परन्तु सरकार के विरुद्ध उतना नहीं होता। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार चोरबाजारी करने वालों को पकड़ने, ढूंढ़ निकालने और दण्ड देने के लिये सभी छात्रों तथा सभी नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये तैयार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार सामान्य जनता से सहयोग का स्वागत करेगी। वास्तव में हमें आवश्यकता तो है कि जनता भाग ले, किन्तु उस भावना तथा ढंग से नहीं जैसा कि हमने घटनाओं को होते देखा है।

श्री पीलू मोदी : सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों के दौरान इस समय बने हुये कानूनों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। मंत्री महोदय पहले पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कुछ आंकड़ों को देते हुये यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, भारतीय रक्षा नियम आदि के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी। ये कानून इस प्रकार की बातों के लिये उपयोग किये जाने के लिये नहीं हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। सरकार ने जुर्मानों को, कानूनों को, जो विधि शास्त्र में बुरे हैं, बनाने के द्वारा जुर्मानों को बढ़ा करके संविधि-संग्रह को खराब कर दिया है। जुर्मानों को बढ़ाने से कोई हानि नहीं पहुंचती है, अपितु, वे देश में विधि-शास्त्र की पद्धति के ढांचे को भी बदल दिया है। अब ऐसा करके भी मंत्री महोदय पुन: आकर यह कहेंगे कि सरकार के पास इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि परिवर्तन से पूर्व आप का कार्य क्या था और परिवर्तन के पश्चात् कार्य किस प्रकार हो रहा है।

श्री राम निवास मिर्धा : हमें विश्वास है कि भारतीय रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का उपयोग चोरबाजारी और संबंधित मामलों में भी किया जाता है। माननीय गृह मंत्री ने गत अगस्त में मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि बढ़े हुये मूल्य और अभावों की वर्तमान स्थिति से भारतीय रक्षा नियम के नियम 114 का आश्रय लेना आवश्यक हो गया है जो उद्योग पर नियंत्रण आदि करने के लिये उपायों का उपबन्ध करता है। मुख्य मंत्रियों को भी आर्थिक संकट से निपटने के हेतु भारतीय रक्षा नियमों के उपबन्धों का आश्रय लेने के लिये सुविचारित प्रस्तावों को बनाने की भी प्रार्थना की गयी थी। आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का अधिक उदारता से आश्रय लेने के बारे में दोहराया गया था। इसका उच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदन किया गया है। आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम की धारा 3(1)(क)(iii) के अन्तर्गत नजरबन्दी के संबंध में, आन्ध्र प्रदेश उच्च-न्यायालय ने हाल के अपने निर्णय में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रणकर्त्ताओं की नजरबन्दी का अनुमोदन किया है और कहा है कि "बनाये रखने" शब्द के बहुत सीमित अर्थ को नहीं लिया जाना चाहिये। यह आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारतीय रक्षा नियम के उपयोग के सम्बन्ध में है। जहां तक भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों की, जिन पर भारतीय रक्षा नियम तथा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है, संख्या का सम्बन्ध है . . .

श्री पीलू मोदी : कानून के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत।

श्री राम निवास मिर्धा : इन आंकड़ों में दोनों शामिल हैं। मैं यह देखूंगा कि यदि मेरे पास पृथक आंकड़े होंगे और मैं इन्हें माननीय सदस्य को दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव . . .

श्री पीलू मोदी : श्रीमान् जी, उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह एक लम्बी सूची है । मैं इसे माननीय सदस्य को भेज सकता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक दंगों में विदेशी शक्तियों का कथित हाथ

*465. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कांग्रेस अध्यक्ष के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश में कतिपय विदेशी शक्तियों पर साम्प्रदायिक दंगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग). सरकार ने 1 जनवरी, 1974 के "पायनीयर" में प्रकाशित उस वक्तव्य को देखा है जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में दिये जाने का दावा किया गया था । कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी सभाओं अथवा सार्वजनिक कथन में ऐसा कोई वक्तव्य देने का प्रतिवाद किया है । उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी शक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक दंगे उकसाने के बारे में भी सरकार को कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । अतः मामले में कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शिमोगा में माइक्रोवेव परियोजना

*468. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमोगा में 1 करोड़ रुपये की लागत का माईक्रोवेव परियोजना का कार्य ठप्प हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) इस प्रोजेक्ट में 21 लाख रुपये की लागत लगने का अनुमान है । शिमोगा में इमारत और टावर फाउंडेशन के निर्माण का काम रोक दिया गया है ।

(ख) यह काम जमीन की मिल्कियत के झगड़े के कारण पिछले दो महीने से रुका पड़ा हुआ है ।

(ग) इस बारे में कर्नाटक सरकार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है, ताकि जमीन की मिल्कियत के बारे में फैसला होने तक निर्माण कार्य चालू रखा जा सके।

'फोम ग्लास' के कारखानों की स्थापना

*472. **श्री गजाधर मांझी**
श्री जी० वाई० कृष्णन् } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में 'फोम ग्लास' के कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम ने "फोम ग्लास" के उत्पादन के लिये तकनीकी जानकारी देकर इस सम्बन्ध में अपना सहयोग भी दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में फोम ग्लास फैक्ट्री लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु नेशनल रिसर्च डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ने फोम ग्लास बनाने की तकनीकी जानकारी निजी क्षेत्र के दो कारखानों को उपलब्ध कराई है। इनमें से किसी भी कारखाने ने उत्पादन शुरू नहीं किया है।

"हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम" (पांच लाख नौकरियों वाला कार्यक्रम) के अन्तर्गत केरल में रोजगार की व्यवस्था

*474. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम" (पांच लाख नौकरियों वाला कार्यक्रम) के अन्तर्गत केरल में रोजगार प्रदान करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए जिलेवार कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान कितने शिक्षित तथा अशिक्षितों को रोजगार प्रदान किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम, 1973-74 के अन्तर्गत केरल राज्य के लिए निर्धारित किए गए 700 लाख रुपये और 45,000 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार लक्ष्यों की तुलना में राज्य सरकार ने विभिन्न स्कीमों पर फरवरी, 1974 के अन्त तक 216.27 लाख रुपया खर्च किया है। इन स्कीमों के अन्तर्गत 28 फरवरी, 1974 तक 18,289 शिक्षित तथा 581 अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का आवंटन स्कीम-वार रूप में किया गया है। इस धन का जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) केरल राज्य में वर्ष 1974-75 के दौरान कितने शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया जाएगा, इससे सम्बधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों की मृत्यु

*475. **श्री मधु दण्डवते**
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में नियुक्त दो युवक वैज्ञानिकों ने 3 मार्च, 1974 को आत्म हत्या कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आत्म हत्यायें अनुसंधान केन्द्र में उनके साथ किये गये व्यवहार के परिणाम स्वरूप हुई ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसंधान केन्द्र के अधिकारियों ने इस मामले की कोई जांच की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) 3 मार्च, 1974 को देवनार स्थित ट्राम्बे टाउनशिप में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नवयुवक वैज्ञानिक मृत पाये गये थे।

(ख) उनकी मत्यु से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तथा प्रारम्भिक जांच से पता लगा है कि यह मामला हत्या और उसके बाद आत्म-हया का मामला है। तथापि, पुलिस की पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा इस मामले में जांच शुरु करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस के जांच-कर्मचारी

*476. **श्री एम० एस० पुरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पृथक जांच-कर्मचारी रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन से पता लगा है कि उन्होंने हाल ही में 18 चुने हुए स्थानों में एक प्रयोगात्मक आधार पर एक प्रणाली शुरु की है जिसके अन्तर्गत मामलों की जांच-पड़ताल के लिए तैनात किये गये कर्मचारियों का उपयोग कानून और व्यवस्था की ड्यूटियों के लिए नहीं किया जाता है।

विदेशी फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस देने संबंधी शर्तें

*477. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस देते समय विदेशी इक्वीटी अथवा निर्यात दायित्वों को कम करने के सम्बध में कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी फर्मों को ऐसी छूट देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विदेशी फर्मों ने अपनी क्षमता का पर्याप्त विस्तार करके इन छूटों का अनुचित लाभ उठाया है ; और

(घ) भारतीय क्षेत्र के उद्योगों को जो क्षति पहुंची है उसे मिटाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). सी० ओ० बी० (काम चालू रखने के) लाइसेंस उन उपक्रमों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने निर्माण क्षमता स्थापित कर ली है अथवा औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट की अवधि में स्थापना के लिए प्रभावकारी कदम उठा लिए हैं। चूंकि सी० ओ० बी० लाइसेंस की स्वीकृति का अभिप्राय विद्यमान क्षमता को मान्यता दिए जाने से होता है अतः विदेशी अंशधारिता के कम करने व निर्यात सम्बन्धी अनिवार्यता विषयक शर्तों को ऐसे मामलों में लागू नहीं किया जाता जब तक कि विशेष परिस्थितियां न हों। इस नीति का सभी फर्मों के विषय में अनुसरण किया जाता है। अतः इस सम्बध में विदेशी फर्मों को कोई छूट देने अथवा इनके द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी अंश-पूंजी वाली सभी विदेशी कम्पनियों को उनके कार्यकलाप जारी रखने के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। इसमें सरकार को इन कम्पनियों द्वारा अर्थ-व्यवस्था में किए जा रहे योगदान के संदर्भ में इन कम्पनियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का अवसर मिलेगा।

Development of Backward Areas

*478. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether a committee has been set up to consider the question of development of the backward areas;

(*b*) the outlines of its recommendations;

(*c*) the recommendations made about the constitution of Backward Area Development Authority; and

(*d*) the reaction of Government to each of these recommendations?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (*a*) to (*d*) : A Committee has been set up in the Planning Commission to go into the question of evolving a strategy for development of Backward Areas with a view to reducing inter-State disparities. The proposal to set up an Area Development Agency has also been referred to it for consideration. The Committee has not yet finalised its recommendations.

कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन करने के लिए गुजरात में बलगारिया के सहयोग से एक कारखाना खोला जाना

*479. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन करने के लिए गुजरात में बलगारिया के सहयोग से एक संयुक्त कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). सरकार को बुल्गारिया के सहयोग द्वारा कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन करने के लिये एक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सीमेंट कारखाने

*480. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी के कारण सरकार ने इस संबंध में अपनी लाइसेंस नीति को उदार बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन पिछड़े क्षेत्रों में नए सीमेंट कारखाने लगाए जायेंगे ; और

(ग) चौथी योजना अवधि में कितनी सीमेंट कारखाने पूरे किए गए और अपूर्ण पड़े कारखानों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 6551/74] ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में 8 नई फैक्टरियों और 10 विस्तार योजनाओं को पूरा किया गया । उन कारखानों का नाम बताने वाला एक विवरण जिनके चौथी योजनावधि में पूरे हो जाने की आशा थी किन्तु जो पूरे न हो सके सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 6551/74] ।

सरकार को मिजो विद्रोहियों की पेशकश

*481. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**
श्री दशरथ देव } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम के विद्रोही नेता इस शर्त पर अपने हथियार डाल देने के लिये तैयार हैं यदि उन्हें आम क्षमता दान दे दिया जाए ;

(ख) क्या इस संबंध में मिज़ो विद्रोहियों द्वारा सरकार को पहले ही पेशकश की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) ऐसा कोई निश्चित संकेत नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामलों संबंधी अध्ययन दल

*482 : **श्री बी० के० दासचौधरी**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत वस्तुओं के आयात के मामलों संबंधी अध्ययन दल ने जिसके अध्यक्ष श्री आर० वी० सुब्रह्मण्यम् हैं उनके मन्त्रालय द्वारा की गई भूलों के बारे में गंभीर टिप्पणियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है; और

(ग) उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). श्री आर० वी० सुब्रह्मण्यम् की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट की सिफारिशों और निष्कर्षों का सारांश विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 6552/74]।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार/नोट कर लिया है।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रक्रिया सहित औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल बनाने के विचार से सरकार ने 1-11-73 से एक नई प्रणाली लागू की है। औद्योगिक विकास मंत्रालय में एक प्रभाग के रूप में एक औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय का गठन किया गया है। नई प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रदान करने के लिए अवधि निर्धारित की गई है। नई पद्धति के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।

नई प्रणाली के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए नवम्बर, दिसम्बर, 1973 की अवधि में 79 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 28 अपूर्ण होने के कारण आवेदकों को वापस कर दिए गए। शेष आवेदन पत्रों पर 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले लिया गया। इस प्रकार नई प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययन दल द्वारा उल्लिखित विलम्ब को समाप्त किया जा रहा है।

नेताजी जांच आयोग के सामने साक्ष्य

*483. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) कर्नल हबीबुर रहमान का, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन दिनों वही एक मात्र भारतीय थे जो कथित विमान दुर्घटना के समय नेताजी के साथ थे, साक्ष्य रिकार्ड करने और (दो) जापान, ब्रिटेन, अमरीका, रूस, बर्मा, मलाया और चीन की सरकारों से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबन्धित समस्त दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए कोई प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) : नेताजी जांच आयोग के समक्ष पाकिस्तान से कर्नल हबीबुर रहमान को गवाही देने के लिए उपस्थित करने के प्रयत्न किये गये थे किन्तु उन्होंने मना कर दिया।

आयोग द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से भी प्रयत्न किये गये थे और जो कुछ दस्तावेज़ मिल सके प्राप्त किये गये और आयोग को भेज दिये गये।

STRENGTH OF BSF IN CHAMPARAN

***484. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the strength of the Border Security Force in District Champaran (Bihar) on Nepal border is unsufficient;

(*b*) whether this force has not been properly equipped with modern arms; and

(*c*) if so, the steps Government propose to take to strengthen this force ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit): (*a*) The BSF is not deployed on the Indo-Nepal border.

(*b*) and (*c*) : Do not arise.

पोषाहार योजनाओं की क्रियान्विति के लिए विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल

***485. श्री भागीरथ भंवर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "खाद्य तथा पोषाहार" कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक विभाग पोषाहार योजनाओं पर भारी मात्रा में धनराशि व्यय कर रहा है ;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा इन योजनाओं पर कितनी धन राशि व्यय की गई है ; और

(ग) विभिन्न पोषाहार योजनाओं में अच्छी ताल मेल तथा ठीक प्रकार की क्रियान्विति के उद्देश्य से इस विषय को केवल एक ही मंत्रालय को सौंपने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यद्यपि खाद्य तथा पोषाहार विषयों पर विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा काम किया जाता है परन्तु वस्तुतः वे केवल संसद द्वारा उनके लिए स्वीकृत धनराशियां ही खर्च कर रहे हैं।

(ख) 1972-73 के व्यय के आंकड़े तथा 1973-74 के परिशोधित अनुमान निम्न प्रकार से हैं :—

1972-73 व्यय . .	25.03 करोड़ रुपये।
1973-74 परिशोधित अनुमान . .	20.91 करोड़ रुपये।

(ग) एक मंत्रालय के लिए विषय नियत करना सम्भव नहीं, परन्तु समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पांचवीं योजना अवधि में योजना आयोग में केन्द्रीय समन्वय समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

RADIO AND TELEVISION LICENCE FEES

4720. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the revenue accrued to Government during last three years ending on 31st January, 1974 by way of Radio, Transistor and Television licence fee, year-wise?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : 1. The revenue figures are maintained quarter-wise ending 31 December, each year. The data for radios includes that of transistors.

2. The revenue accrued to Government during last three years ending 31 Dec. 73 by way of radio/transistor and television licence fee which also includes surcharge is given below :

Radio/Transistor

Year	Revenue
	Rs.
1971	17,27,19,211
1972	16,64,38,011
1973	17,61,48,921
Television	
1971	11,80,065
1972	17,02,706
1973	33,96,905

3. The revenue figures for the year 1973 may slightly vary after the final re-check of figures of some Circles.

हैवी वाटर प्लान्ट, तूतीकोरीन की रोजगार सम्भावना

4721. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन स्थित हैवी वाटर प्लांट की कुल रोज़गार संभावना क्या है ; और

(ख) अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तूतीकोरिन के भारी पानी संयंत्र में लगभग 350 व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना है ।

(ख) भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या 28-2-1974 को 159 थी ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अधिक परीक्षा केन्द्र

4722. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने छात्रों की सुविधा के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा और सम्बद्ध सेवाओं के लिये अधिक परीक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां ये परीक्षा केन्द्र खोले जायेंगे ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु, असम राज्य की राजधानी के शिलांग से दीसपुर (गोहाटी) चले जाने के परिणाम-स्वरूप संघ लोक सेवा आयोग ने शिलांग के बजाए दीसपुर (गोहाटी) में परीक्षाएं लेने का निर्णय किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुचले के सत्त का उत्पादन करने के लिए संयंत्र की स्थापना

4723. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम ने लोहे के रेड-आक्साइड (पिगमेंट-ग्रेड) की ऐसी उत्तम किस्म के उत्पादन के लिये तकनीकी जानकारी की पेशकश की है जिसका रंग-रोगन, प्लास्टिक, रबड़, सिरैमिक तथा अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो कुचले के सत्त के उत्पादन के लिये भूमि तथा भवन की लागत सहित संयंत्र की स्थापना के लिये प्रक्रिया तथा प्रस्तावित पूंजी-निवेश की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) जी हां। लोहे और कुचले के सत्त (स्ट्रिक्नीन) के पिगमेंट ग्रेड रेड आक्साईड के उत्पादन के लिए भुवनेश्वर की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में विकसित प्रक्रम उद्योग को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में उपलब्ध हैं ।

(ख) लोहे का पिगमेंट ग्रेड रेड आक्साइड :

प्रक्रम:—इस्पात संयंत्र के अपशिष्ट अम्ल द्रव से उपोत्पाद के रूप में उपलब्ध फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की मध्यम तापक्रम पर सोडियम कारबोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है । इससे पिगमेंट प्रकार के लोह आक्साइड तथा सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है । सोडियम सल्फेट जब लोह आक्साइड के अपशिष्टों को छोड़ कर घुलता है तो भर्जित द्रव्यमान को पानी से उपचारित किया जाता है । सोडियम सल्फेट के घोल को निथारा जाता है और लोह आक्साइड को सोडियम सल्फेट से मुक्त करने के लिए सफलता पूर्वक धोया जाता है ।

पूंजीनिवेश :—प्रतिवर्ष 300 टन पिगमेन्ट ग्रेड के रेड आक्साइड को उत्पन्न करने की क्षमता वाले एकक को चलाने के लिए अपेक्षित परीक्षात्मक निवेश का अनुमान निम्न प्रकार है :

	सोडियम सल्फेट की उपलब्धि रहित	सोडियम सल्फेट की उपलब्धि सहित
	(लाखों में)	
(क) भूमि तथा भवन	1.00	1.50
(ख) संयंत्र	3.30	7.20
(ग) कार्यकारी पूंजी	2.50	3.00
योग	6.80	11.70

नक्स-वोमिका के बीजों से स्ट्रिक्नीन तथा ब्रूसीन का निष्कर्षण :

प्रक्रम : नक्स-वोमिका के बीजों को कुचलकर अपेक्षित आकार में पीसा जाता है और क्षार के साथ उपचारित तथा कुछ समय तक विलायक के साथ दो बार निस्सारित किया जाता है । निस्सारित पदार्थ को सांद्रित किया जाता है तथा विलायक को पुनः प्रयोग के लिए उपलब्ध किया जाता

है। एल्केलायड से मुक्त सान्द्र को, स्ट्रिक्नीन सल्फेट को प्रबल रूप से अवक्षेपित करने के लिए, अम्ल से उपचारित किया जाता है जिस को अलग किया जाता है और रंग उड़ाने की क्रिया करने के पश्चात् पुनः क्रिस्टलीय किया जाता है तथा शुद्ध स्ट्रिक्नीन प्राप्त करने के लिए क्षार से उपचारित किया जाता है। स्ट्रिक्नीन सल्फेट के अधिकांश भाग को अवक्षेपित करने के पश्चात् उपलब्ध निस्पंद को विलायक से अलग किया जाता है और ब्रूसीन के निष्प्रभावन और आसवन के उपरान्त विलायक को पुनः प्रयोग के लिए ले लिया जाता है। कच्चे ब्रूसीन की प्राप्ति के लिए अधिकांश सल्फेट से युक्त सत्त को क्षारवित किया जाता है और उससे अलग किया जाता है। कच्चे ब्रूसीन को पुनः सल्फेट में बदल दिया जाता है तथा शुद्धिकरण की लगातार कई क्रियाओं के पश्चात शुद्ध तथा ब्रूसीन प्राप्त करने के लिए इसे क्षारवित किया जाता है। स्ट्रिक्नीन और ब्रूसीन के शुद्धिकरण के दौरान उपलब्ध मातृ-द्रव को, मिश्र-ऐल्केलायड की प्राप्ति के लिए क्षारवित किया जाता है।

पूंजीनिवेश : यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 1.90 टन स्ट्रिक्नीन, 1.80 टन ब्रूसीन तथा 2.55 टन मिश्र-ऐल्केलायड के उत्पादन के लिए अपेक्षित कुल परिव्यय लगभग 4.50 लाख रुपये है :

	(लाख रुपयों में)
(क) भूमि तथा भवन	1.50 रुपये
(ख) संयंत्र . . .	2.00 रुपये
(ग) कार्यकारी पूंजी . .	1.00 रुपये
योग	4.50 रुपये

सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को घरेलू प्रयोग के लिए बदलना

4724. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को घरेलू प्रयोग के लिये बदलने की कार्यवाही आरम्भ की है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने इस संबंध में कोई पथ-प्रदर्शक कार्य किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में इस समय विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में क्या अनुसंधान कार्य हो रहा है और इसका समन्वय किस प्रकार किया जा रहा है ; और

(घ) सरकार कब तक ऐसा उपकरण तैयार हो जाने की आशा रखती है जिससे सूर्य की ऊर्जा को घरेलू प्रयोग के लिये काम में लाया जा सकेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०) नई दिल्ली, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, (सी० बी० आर० आई०) रुडकी और केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में

सौर-ऊर्जा उपयोग संबंधी कार्य किया गया है। इन प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रविधियों की स्थिति इस प्रकार है :—

(I) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली।

(i) **सोलर कुकर** :—वर्ष 1950—55 की अवधि में यह प्रविधि बाजार में निकाली गई थी लेकिन उपभोक्ता पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ा।

(ii) **सौर जल-तापवाहक (सोलर वाटर हीटर)** :

यह प्रविधि व्यापारिक प्रयोग के लिये एन० आर० डी० सी० (राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम) को भेज दी गई है।

(II) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की।

सोलर-हीटर :—इस प्रविधि की तकनीकी जानकारी मैसर्स एम० एस० जे० (इंजीनियर्स) रुड़की को प्रदान कर दी गई है। इस फर्म ने इसका उत्पादन कार्य पहिले ही प्रारम्भ कर दिया है।

एक और अन्य फर्म मैसर्स फरटी प्लांट इंजीनियर्स कम्पनी प्रा० लिमि० बम्बई को भी यह प्रविधि दी जा रही है।

(III) केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर :

अच्छी किस्म का जल प्राप्त करने के लिए सौर-भभका (सोलर-स्टिल) :

इस प्रविधि की ड्राइंग्स आदि के विवरण चार फर्मों को सौर-भभका अपने प्रयोग के लिय तैयार करने के लिये दे दिये गये हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एन० सी० एस० टी०) ने सौर-ऊर्जा और इसके उपयोग के समस्त पहलूओं पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त कर दी है।

THROWING OF STUDENTS IN A CANAL BY PERSONS OF MASMA VILLAGE, SURAT (GUJARAT)

4725 Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in a local Hindi daily dated the 10th February, 1974 to the effect that some persons of Masma village (Surat) beat up some students and threw them in a canal;

(*b*) whether all the three students were drowned in the canal; and

(*c*) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) *and* (*c*) : Facts are being ascertained.

राऊज एवेन्यू, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली में खुले 'मेनहोल' में लड़की की मृत्यु

4726. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नगर पार्षद ने आरोप लगाया है कि जोनल इंजीनियर औ र अन्य सम्बन्धित अधिकारी ग्यारह वर्षीय उस लड़की की मृत्यु के मामले कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जो राऊज एवेन्यू० मिन्टो रोड़, नई दिल्ली में खुले मैनहोल में गिर पड़ी

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली तथा नई दिल्ली में इश्तिहार चिपकाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जी हां, श्रीमान् । श्री रमेशदत्त, नगर पार्षद ने जोनल सहायक इंजीनियर (ड्रेनेज) तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों के विरुद्ध 11 वर्ष की एक लड़की की मृत्यु के सम्बन्ध में, उनकी लापरवाही तथा उत्तरदायित्व के आरोप लगाये थे। श्री रमेश दत्त, नगर पार्षद का वक्तय नवभारत टाइम्स दिनांक 10 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) इसका सत्यापन करना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) माता सुन्दरी रोड़, नई दिल्ली, निवासी श्री दिवान सिंह द्वारा की गई एक शिकायत पर दिनांक 26 जनवरी, 1974 को दरियागंज पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (क) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । श्री आर० पी० सिंह जोनल सहायक इंजीनियर, श्री कृपाल सिंह मलिक, स्टाफ आफीसर, तथा श्री मिठ्ठन लाल, सहायक सेनिटरी इन्सपेक्टर को 1 मार्च, 1974 को गिरफ्तार किया गया था तथा बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है । मामले में आगे जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने भी सतर्कता निदेशक द्वारा मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। दिल्ली नगर निगम आयुक्त ने सतर्कता निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जोनल इंजिनियर (ड्रेनेज) क्षेत्रीय प्रभारी अनुभाग अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है । उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जायगी ।

अनुसूचित जातियों की सूची में जोगी जाति को शामिल करना

4727. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के "जोगी" पिछड़ी जाति के व्यक्तियों ने सरकार से हाल ही में अभ्यावेदन किया है कि "जोगी" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार का विचार "जोगी" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में कब तक शामिल करने का है ; और

(ग) इस पिछड़ी समुदाय के उत्थान के लिये सरकार ने क्या अन्य उपाय किये हैं जो सामूहिक रूप में भिक्षा-वृत्ति की ओर उन्मुख हो रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश और राजस्थान के जोगियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह धार्मिक भिक्षुकों और भिकारियों का एक समुदाय है । इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी प्रत्यक्ष कठिनाई से उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है । अत: वे अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र नहीं हैं ।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों को जनसंख्या के सभी कमजोर वर्गों के उत्थान की ओर निर्दिष्ट किया गया है ।

लघु उद्योगों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

4728. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष में लघु उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) विद्यमान आयात नीति के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा का अग्रिम रूप से निश्चित आवंटन नहीं किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राकृतिक प्रकोप में बाढ़ राहत कार्य के लिए आकस्मिक योजना

4729. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्राकृतिक प्रकोप में बाढ़ राहत कार्य के लिए कोई आकस्मिक योजनाएं बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक प्रकोप में बाढ़ राहत कार्य के लिए अपनी ओर से कोई आपात योजनाएं तैयार करने का योजना आयोग का कोई विचार नहीं है । प्राकृतिक प्रकोप होने पर ऐसी योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । फिर भी, पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार करने के संबंध में योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को जो विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे उनसे अनुरोध किया है कि प्राकृतिक प्रकोप के लिए आपात योजनाएं बनाने का कार्य आरम्भ कर दें । इस संबंध में उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के श्रमसाध्य कार्यों को दी जाने वाली प्राथमिकताओं का उल्लेख करें और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए "संकट सहायता कार्यों" की एक उपयुक्त सूची तैयार करें । उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर आपात योजनाएं तैयार करने में कुछ समय लगेगा । अतः इस बात की पूरी संभावना है कि पांचवीं योजनावधि में ही इन आपात योजनाओं को लागू करना संभव हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कन्नानोर जिले में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4730. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नानोर जिले में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). लम्बी दूरी की सीधी ट्रंक डायलिंग सुविधा चालू करने के लिए कई विश्वसनीय सर्किटों और स्विचिंग उपस्कर को जरूरत होती है जिस पर बहुत ज्यादा लागत लगती है। यदि संबंधित एक्सचेंजों के बीच काफी ट्रंक यातायात हो, तभी इस सुविधा के लिए इतनी बड़ी लागत लगाई जा सकती है।

इस आधार पर कालीकट और कन्नानूर के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा के पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान दिए जाने की सम्भावना है।

APPOINTMENT OF CONTROLLERS IN SICK TEXTILE MILLS, MADRAS

4731. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the number and names of sick textile mills in Madras at present where Government have appointed Controllers; and

(*b*) the statement of loss and profit of these mills during 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M.B. Rana) : (*a*) and (*b*) . A statement is attached.

STATEMENT

At present, there are 14 textile undertakings in Tamil Nadu whose management has been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit/loss (provsional figures) made by them during the period January to December, 1973, are as follows :

Sl. No.	Name of the undertaking	Net profit/loss (provisional) (Rs. in lakhs)
	Under Industries (Development and Regulation) Act, 1951.	
1.	Om Parasakthi Mills Ltd., Coimbatore .	14·67
2.	Cambodia Mills Ltd., Coimbatore .	44·36
3.	Kishnaveni Textile Ltd., Coimbatore	11·86
4.	Shri Rangavilas Gng., Spg. & Wvg. Mills Ltd., Coimbatore	26·45
5.	Coimbatore Murugan Mills Ltd., Coimbatore .	14·79
6.	Coimbatore Spg. & Wvg. Mills Ltd., Coimbatore	19·40
7.	Somasundaram Mills Ltd., Coimbatore .	13·50
	Under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972.	
8.	Balarama Varma Textile Mills, Shencottah	19·28
9.	Kaleeswarar Mills, A Unit, Coimbatore .	16·00
10.	Kaleeswarar Mills, B Unit, Kalayanarkoil	Physical possession not yet taken due to Stay Order issued by the Court.
11.	Panakaja Mills, Coimbatore .	12·24
12.	Pioneer Spinners, Pioneernagar . .	(—)1·49
13.	Sri Kothandram Spinning Mills, Madurai	Not yet started.
14.	Sri Sarada Mills, Podanur	18·00

PAK NATIONALS HOLDING LONG-TERM VISAS IN ASSAM

4732. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(*a*) the present number of Pakistan nationals holding long-term visas in Assam, district-wise; and

(*b*) the number, out of them, of those period of visa was extended more than once?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) and (*b*). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

PRECISION EQUIPMENT AND TYRE FACTORIES IN M. P.

4733. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether Government have taken a final decision in regard to setting up of factories in Madhya Pradesh for the manufacturing precision equipment and tyres;

(*b*) if so, the stage of negotiations with the Madhya Pradesh Government and the preparedness for the projects; and

(*c*) when the construction work of these factories will start ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (*a*) No, Sir. The Automobile Tyre Project proposed to be set up in Central Public Sector is still in the initial stages and its location has not yet been decided. Letter of Intent issued on 25-11-70 to a private party for setting up an automobile tyre unit in the State of Madhya Pradesh was cancelled on 28-7-1973 on account of its non-implementation. There is no proposal either in the public sector or private sector for setting up a precision equipment factory in Madhya Pradesh.

(*b*) and (*c*). Do not arise.

ARREARS OF TELEPHONE BILLS IN M.P.

4734. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) the total amount of arrears of telephone bills in 1973 pertaining particularly to Madhya Pradesh;

(*b*) whether any progress has been made to recover the arrears of telephone bills pertaining to the year 1973 from Madhya Pradesh; and

(*c*) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (*a*) Arrears of Telephone bills in Madhya Pradesh as on 1-7-73 in respect of bills issued upto 31-3-73 were Rs. 44.79 lakhs.

(*b*) Yes Sir, the arrears upto 31-3-73 have come down to Rs. 34·50 lakhs as on 1-1-74.

(*c*) Does not arise.

योजना के प्रभावी प्रचार के लिए ग्रामीण लोगों की सहायता प्राप्त करना

4735. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार को मालूम है कि योजना के उद्देश्यों को, पर्याप्त प्रचार व्यवस्था न होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रचारित नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए ग्रामीण लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) . सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रचार माध्यम तथा राज्य सरकारों के प्रचार विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में विकास कार्यक्रमों को प्रचार सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए पांचवीं योजना में समुचित व्यवस्था की गई है । पांचवीं योजना कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार साधनों की सुविधाओं में काफी वृद्धि होने के साथ योजना की तैयारी तथा कार्यान्वयन के काम में ग्रामीण जनसंख्या का समर्थन भी प्राप्त किया जा सकेगा । इसके अलावा, आयोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण तथा जिला योजनायें तथा आदिम जाति क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों की योजनायें तैयार करने सहित अपनाए गए अन्य उपायों से ग्रामीण क्षेत्र की काफी जनसंख्या को योजना कार्यों में काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शामिल किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के काफी लोगों द्वारा रुचि लेने की संभावना है और योजना कार्यान्वयन में उनका स्वैच्छिक सहयोग भी प्राप्त होगा ।

बैंक ड्राफ्टों को चुराने के लिए दिल्ली में डाकियों की धोखेबाज व्यक्तियों के साथ कथित सांठ-गांठ

4737. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ डाकिये कुछ धोखेबाज व्यक्तियों से सांठ-गांठ किए हुए हैं और लैटर-बक्सों से बैंक ड्राफ्टों को चुराने में उनकी सहायता कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं और इन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया है ; और

(ग) क्या आचार नियमों में परिवर्तन किये जाने का विचार है जिससे ऐसे अपराधों पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) . दिल्ली के लेटर बक्सों में डाले गए पत्रों में से बैंक ड्राफ्टों को चोरी का कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है । तथापि, डाक भेजते समय गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री डाक से निकाले गए बैंक ड्राफ्टों को जालसाजी से भुनाने की कुछ घटनाएं जानकारी में आई हैं । पुलिस इन सभी मामलों की जांच पड़ताल कर रही है । इन मामलों में अभी तक कोई डाक-तार कर्मचारी नहीं पकड़ा गया है ।

(ग) इस तरह के बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियमों और अधिनियमों में पर्याप्त व्यवस्था है ।

CALL FOR 'DELHI CHALO' BY STUDENTS AND YOUTHS OF GUJARAT

4738. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether a call for 'Delhi Chalo' was given to the students and youths of Gujarat;

(*b*) whether Government have taken some action to persuade the students and youths in this regard; and

(*c*) if not, the steps taken in view of the incidents likely to be sparked off by this call?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) Some student organisations in Gujarat had given a call to the students and youths of Gujarat to go to Delhi to apprise the Prime Minister of alleged police excesses in Gujarat.

(*b*) No action was taken to persuade them not to go to Delhi.

(*c*) Necessary precautions were taken to maintain law and order.

Automatic Telephone Exchange in Rohtak

4739. Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(*a*) whether an automatic telephone exchange has been opened in Rohtak;

(*b*) if so, the facts thereof; and

(*c*) the number of persons to be recruited or retrenched as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (*a*) No, Sir. The automatic telephone exchange has not yet been opened but it is under installation.

(*b*) It is expected that this automatic exchange with an initial capacity of 1800 lines will be opened during the next financial year.

(*c*) No staff is expected to be retrenched as a result of the opening of automatic exchange. Recruitment of any additional staff will be done on Circle basis, taking into account the requirement of telephone exchanges all over the Punjab Circle.

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का विकास

4740. श्री के० एस० चावड़ा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लायसेन्स समिति ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये क्या उपाय अपनाये हैं;

(ख) उद्योग पर विदेशी क्षेत्र के प्रभार को कम करने के लिये लायसेन्स समिति ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) : औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर अपनी सिफारिशें देते समय लाइसेंसिंग कमेटी सरकार की औद्योगिक नीति का ध्यान रखती है। औद्योगिक नीति संबद्ध 1956 सरकार की नीति निर्धारित करने हेतु ऐसे ढ़ांचे की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा उद्योग क्षेत्र में विकास, सामाजिक न्याय तथा आत्म-निर्भरता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। पांचवीं योजना के संदर्भ में इन उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिये सुविधा प्रदान करने हेतु 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट में (जिसकी प्रतियां 21 फरवरी, 1973 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उपबन्ध के रूप में सभा पटल पर रखी गयी थी) घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति में कतिपय संशोधन किए गए थे। पुनरीक्षित नीति के अन्तर्गत विदेशी फर्मों से यह आशा की जाती है कि वे प्रेस नोट के परिशिष्ट में दिये गये 19 उद्योगों में हिस्सा लें। सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तुऐं छोड़ दी गई हैं। यदि विदेशी कम्पनियां परिशिष्ट में उल्लिखित क्षेत्रों से इतर क्षेत्रों में क्षमता स्थापित करती है तो उनके

लिये अतिरिक्त उत्पादन आवश्यक होगा का निर्यात करना कम से कम 60 प्रतिशत (लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योग के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत)। विदेशी फर्मों द्वारा किया जाने वाला निवेश भी विदेशी इक्विटी को कम करने विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन उन विदेशी कंपनियों को जिनके 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी शेयर हैं, अपने कार्यकलाप आगे जारी रखने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा करने से सरकार को इन कम्पनियों के कार्यकरण की समीक्षा करने का अवसर प्राप्त होगा ।

उपर्युक्त नीति के ठीक-ठीक प्रभाव का पता लगाना कठिन है।

आयात प्रतिस्थापन का पुर्नविलोकन

4741. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंस समिति ने आयात प्रतिस्थापन का पुर्नविलोकन करने और इसे भारतीय क्षेत्र के लिये निर्बाध बनाने हेतु, ताकि इसका उनकी लाइसेंन्स प्राप्त क्षमता में समायोजन हो सके, क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय क्षेत्र के लिये विविधीकरण की उदार नीति को विशेष-कर आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बचाने हेतु घोषणा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो नीति की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : औद्योगिक उपक्रमों को उनके अपने उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक लोच रखने की अनुमति देना सरकार की स्वीकृत नीति है जिससे वे आयात प्रतिस्थापन की वस्तुओं सहित उत्पादन की नयी दिशाओं में विविधता ला सकें। विविधीकरण विषयक सरकारी नीति की घोषणा अधिसूचना सं० सा० आ० 98 (ई०)/आई० डी० आर० ए०/2950बी०/73-1 दिनांक 16 फरवरी 1973 में की जा चुकी है (जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है) जिससे एकाधिकार प्रतिबधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम तथा बहुलांश विदेशी पूंजी फर्मों को छोड़कर औद्योगिक उपक्रमों को निर्बाध रूप से विविधीकरण करने की सुविधा की अनुमति मिल गई है। हाल ही में सरकार ने मशीन उद्योगों को भी ऐसी ही पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है कि वे अपने उत्पादन का विविधीकरण मशीन उद्योग वर्ग की सीमा में, विशेष कार्यविधि वाली लाइसेंसिंग स्वीकृति के आधार पर उपक्रम की संपूर्ण रूप से लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर ही करें। इन सुविधाओं से न केवल वर्तमान माल तैयार करने व डिजाइन की क्षमता का ही और अधिक उपयोग करने में मदद मिलेगी वरन् इनसे पूंजीगत माल का आयात बिल भी कम होगा।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में तकनीकी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4742. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में तकनीकी कर्मचारियों को भारत में किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है जबकि प्रशासनिक कर्मचारियों को केवल एक जोन में ही स्थानान्तरित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग स्थानान्तरण करने के बारे में कोई नीति निर्धारित करेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : तकनीकी कर्मचारी और अधीक्षक और उसके ग्रेड से ऊपर के प्रशासनिक कर्मचारी अखिल भारतीय संवर्ग के होते हैं और उनको कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। अनुसचिवीय कर्मचारियों को जो राज्य संवर्ग के होते हैं राज्य में ही स्थानान्तरित किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोटाशियम क्लोरेट का उत्पादन

4743. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 और वर्ष 1973 में देश में, तीनों कारखानों का कारखाने-वार और वर्षवार पोटाशियम क्लोरेट का वास्तविक उत्पादन क्या था;

(ख) क्या वर्ष, 1973 में इसके उत्पादन में कमी हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) : पोटाशियम क्लोरेट का 1972 और 1973 में कारखाने-वार उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

कारखाने का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	
		1972	1973
1. वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड बम्बई .	4,200	4,460	4,187
2. ट्रावनकोर केमिकल एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अलावाए, केरल	750	759	749
3. मैन्तूर केमिकल एण्ड इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, मेन्तूर डेम, तमिलनाडु	624	430	249
	5,574	4,649	5,185

उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में लगाई गई बिजली की कटौती रहा है जिसका पोटाशियम क्लोरेट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

सरकारी क्षेत्र में संगणक निगम

4744. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :** क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक नया संगणक अनुरक्षण निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस क्षेत्र में इस वर्ष किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) : सरकारी क्षेत्र में एक संगणक अनुरक्षण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव सम्प्रति सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में संगणकों का अनुरक्षण और उनकी सर्विसिंग इन यंत्रों के सप्लाईकर्त्ता ही कर रहे हैं। ऐसे अनुरक्षण पर बहुत अधिक लागत आयी है और आशा है कि देश में संगणकों की बढ़ती हुयी संख्या के साथ उनका अनुरक्षण एवं सर्विसिंग करने में विदेशी मुद्रा का बाहरी प्रवाह और अधिक बढ़ जायगा।

प्रस्तावित निगम विदेश से आयातित सभी संगणकों के अनुरक्षण एवं सर्विसिंग की देखभाल करेंगे तथा प्रणाली अभियंत्रण में प्रयोक्ता एजेंसियों की मदद भी करेंगे। संगणकीकरण से संबंधित प्रौद्योगिक समस्याएं भी यह निगम सुलझाएगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए एक करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। 1974-75 के दौरान देश में शुरुआत के तौर पर दो केन्द्र स्थापित करने के लिये इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बजट में 15 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

कनाडा से केरल अखबारी कागज परियोजना के लिए संयंत्र की खरीद के लिए विशेषज्ञों का दौरा

4745. श्री वयालर रवि : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के एक विशेषज्ञ दल ने केरल अखबारी कागज परियोजना के लिये संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद के लिए विस्तृत विशिष्टियों तथा डिजाइनों को अन्तिम रूप देने के लिये कनाडा का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो कनाडा में हुए इनके विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और वहां की वस्तुओं को मंगाने के लिये दिये गये आर्डरों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन वस्तुओं को प्राप्त करने और उन्हें लगाने का निर्धारित समय क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) कागज मशीनरी सहित मशीनरी की विभिन्न वस्तुओं के बारे में हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा किये गये मूलभूत इंजीनियरी कार्य पर बातचीत हुई थी और सहमत विशिष्टयों के आधार पर पूछ-ताछ की गई थी।

(ग) प्राप्त हुए विभिन्न प्रस्तावों के बारे में बातचीत पूर्ण होने पर तत्काल ही आदेश दिये जाने की आशा है। आगामी 2-3 महीनों के अन्दर इनको अन्तिम रूप दिया जाना प्रत्याशित है।

Automatic Telephone System in M.P.

4746. Shri Lambodar Baliyar : Will the Minister of **Communications** be pleased to tate the names of the places where the automatic telephone system is proposed to be introduced in Madhya Pradesh during 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof Sher Singh): A list giving the names of places in Madhya Pradesh where auto telephone system proposed and introduced during 1973-74 in enclosed an Annexure-I.

Statement

ANNEXURE-I

1. Mandsaur
2. Lahar
3. Badarwas
4. Pthora
5. Garhakota
6. Onkarji—Mandhata
7. Chagotola
8. Bhopal Assembly

इंजीनियरिंग स्नातकों की श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्ति

4747. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में श्रेणी तीन के पदों पर बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातकों की नियुक्ति की जाती है जबकि इस पद के लिये इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम निर्धारित योग्यता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सामान्यत: किसी पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं तथा अनुभव उनके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों तथा साथ ही उक्त पद के लिए कार्य (जाब) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं । ऐसा होने के कारण, यह सच है कि विभिन्न श्रेणी-III के पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम निर्धारित योग्यता है। ऐसे व्यक्ति जो उक्त पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से उच्चतर योग्यताएं रखते हैं, वे भी यदि उक्त पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों तो ऐसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और नियुक्त भी किए जा सकते हैं। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में श्रेणी-III के ऐसे पदों पर काफी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक नियुक्त हो जाते हैं। जिनके लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम निर्धारित योग्यता है । जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर तो स्थिति वही है, जैसा कि ऊपर कही गई है, किन्तु कोई केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) श्रेणी-III के पदों पर जिनके लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित योग्यता है स्नातकों द्वारा आवेदन करने और उन पर नियुक्त किए जाने के कारण यह है कि सम्बन्धित व्यक्ति ऐसी उच्चतर नियुक्तियां प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, जिनके लिए इजीनियरिंग में डिग्री न्यूनतम निर्धारित योग्यता है ।

इंजीनियरिंग विभागों में काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातक

4748. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या प्रधान मंत्री विभिन्न विभागों द्वारा आवेदन-पत्र प्रेषित किये जाने के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2425 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजीनियरिंग विभागों में ऐसे पदों पर काम कर रहे इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की गई है जिनके लिये न्यूनतम अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : नवम्बर, 1973 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जो अपेक्षित सूचना मांगी गई थी, वह अब तक उन सभी से प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मंत्रालय/विभाग का नाम	उन पदों के लिए काम कर रहे इंजीनियर स्नातकों की संख्या, जिनके लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा है	
1	2	3
1. निर्माण तथा आवास मंत्रालय .	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 765	
2. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में 166	
3. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय .	160	
4 पर्यटन तथा सिविल विमानन मंत्रालय	1	
5. परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय	27	
6. भारी उद्योग मंत्रालय .	शून्य	
7. वाणिज्य मंत्रालय . .	शून्य	
8. गृह मंत्रालय . .	10	
9. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग .	2	
10. पुनर्वास विभाग . . .	6	
11. परमाणु ऊर्जा विभाग	1	
12. संस्कृति विभाग . . .	2	
13. पूर्ति विभाग	महानिदेशालय, पूर्ति तथा निपटान में 23	
14. अंतरिक्ष विभाग .	1	
15. समाज कल्याण विभाग	शून्य	
16. विदेश मंत्रालय	शून्य	
17. बैंक विभाग .	शून्य	
18. व्यय (सिविल) विभाग . .	शून्य	
19. व्यय (रक्षा) विभाग .	शून्य	
20. राजस्व तथा बीमा विभाग	शून्य	
21. लोक उद्यम विभाग . .	शन्य	

1	2
22. खाद्य विभाग	शून्य
23. सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग .	शून्य
24. न्याय विभाग	शून्य
25. विधि कार्य विभाग .	शून्य
26. विधायी विभाग . .	शून्य
27. कम्पनी कार्य बिभाग .	शून्य
28. योजना आयोग .	शून्य
29. सांख्यिकी विभाग .	शून्य
30. इस्पात विभाग . .	शून्य
31. संसदीय कार्य विभाग . .	शून्य
32. इलैक्ट्रोनिकी (विद्युती) विभाग . .	शून्य
33. मंत्रिमंडल कार्य विभाग . .	शून्य
34. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	शून्य
35. राष्ट्रपति का सचिवालय . . .	शून्य
36. प्रधान मंत्री का सचिवालय	शून्य
37. संघ लोक सेवा आयोग	शून्य
38. स्वास्थ्य विभाग . . .	शून्य
39. अर्थ कार्य विभाग . . .	5

सभी इंजीनियरों तथा डाक्टरों को उच्च संवर्ग में पदोन्नति का समान अवसर दिया जाना

4749. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या प्रधान मंत्री प्रशासनिक ढ़ांचे में परिवर्तन के बारे में 23 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3186 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वेतन-मान सम्बन्धी ढ़ांचे को समान बनाने, सभी इंजीनियरों तथा डाक्टरों को बिना वर्ग भेद तथा भर्ती-स्रोत के उच्च संवर्ग में पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों के बारे में सिफारिश करते समय वेतनमान सम्बन्धी ढ़ांचे को समान बनाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर विचार किया गया था। सरकार ने वेतन आयोग द्वारा श्रेणी-II, श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के कर्मचारियों के संबंध में की गई सिफारिशों को पहले ही स्वीकार कर लिया है। श्रेणी-I की विभिन्न सेवाओं/पदों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत सरकार के सचिवालय में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की वर्तमान नीति में, सरकार में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए इंजीनियरी तथा डाक्टरों समेत वैज्ञानिकों/

टेकनोक्रैट्स/विशेषज्ञों के लिए समान अवसरों की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे पद प्रत्येक कार्य (जाब) की अपेक्षाओं तथा चयन क्षेत्र में ऐसे पदों पर काम करने की अधिकारियों की उपयुक्तता की अपेक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं। किसी विशेष सेवा के लिए किसी विशिष्ट पद या पदों पर नियुक्ति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में स्नातक तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए कोटा

4750. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **प्रधान** मंत्री सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में स्नातक तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति से सम्बन्धित 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में स्नातक तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति के लिये 50 : 50 का कोटा निर्धारित करने तथा इंजीनियरी स्नातकों के लिये अलग संवर्ग बनाने सम्बन्धी मामले को अन्तिम रूप देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि उक्त मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : निर्माण तथा आवास मंत्रालय और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच हुए विचार-विमर्श के आधार पर अल्पावधि के लिए सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में सीधी भर्ती को रोक देने तथा कनिष्ठ इंजीनियरों की उक्त ग्रेड में वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर 50 प्रतिशत तक की सीमा में पदोन्नति करने और शेष 50 प्रतिशत को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरने का एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा हुआ है। इस सम्बन्ध में निर्माण तथा आवास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है : चूंकि इनमें कई विधिक तथा सेवा सम्बन्धी पहलू अन्तर्ग्रस्त हैं, इसलिए इस मामले को अन्तिम रूप देने में सरकार को कुछ अधिक समय लगेगा।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संसद सदस्यों और मंत्रियों को दिखाई गई फिल्मों को देखने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश

4751. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सभी संसद-सदस्यों और मंत्रियों को 28 फरवरी, 1974 को विज्ञान भवन में 9 मार्च से 14 मार्च, 1974 तक केवल उन्हें ही दिखाई जाने वाली फिल्मों के बारे में पत्र लिखे थे ;

(ख) क्या छविगृह में प्रवेश सदस्यों के पहचान-पत्रों के आधार पर हुआ और प्रत्येक को केवल दो सीटें मिलीं ;

(ग) क्या 10 मार्च, 1974 को 6—30 बजे सायं के शो में काफी संख्या में अनधिकृत व्यक्ति सीटों पर बैठे हुए थे, जबकि कुछ संसद-सदस्यों को अपनी पत्नियों के साथ वापस जाना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो विज्ञान भवन के छविगृह में इस अनधिकृत प्रवेश की अनुमति देने वाले गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) विज्ञान भवन के मुख्य हाल तथा बालकोनी में शो खत्म होने तक बड़ी संख्या में सीटें खाली थीं। अफसरों सहित शो के आयोजन से संबंधित कुछ व्यक्तियों को सामान्यतः अनुमति दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Arrest in Allahabad for Spying for Pakistan

4752. **Shri Dhan Shah Pradhan**
Shri Madhavrao Scindia : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether Shri Sultan Ahmed Farooqi, P .A . to a Union Minister, went to the Aligarh Muslim University along with one Major Hassan on the 12th October, 1973 and booked the guest house there;

(*b*) whether Major Hassan alongwith Shri Irfan Farooqi, Head of the History Department in the Muslim University and a relation of Shri Sultan Farooqi, went from there to Allahabad and was arrested by the police in the army mess for spying for Pakistan;

(*c*) whether the police have made enquiries from the P.A. to the Union Minister and whether Shri Sultan Farooqi, has been suspended from service; and

(*d*) whether Major Hassan had stayed in the U.P. Niwas in Delhi for a few weeks, and if so, the period of his stay and who had recommended him and the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) to (*d*). According to information available with Government, Shri Sultan Ahmed Farooqi and one 'Major' Hassan, whose real name is Wazimuzzafar Hassan and who had posed as an Army Major, met at the Aligarh Muslim University guest house on 12-10-73. There is no information to indicate that the accommodation at the Guest House was booked by Shri Farooqi. Shri Wazimuzzafar Hassan and Shri Irfan Farooqi, who is a typist-cum-clerk in the History Department of the Aligarh Muslim University, and is a relation of Shri Sultan Farocqi, went to Allahabad on 17-10-73 and they were arrested there on 18-10-73 by the military authorities at the army mess. The matter was investigated by the Uttar Pradesh State Police. Investigations have not so far revealed any espionage angle. Shri Hassan is reported to be a notorious cheat. Shri Sultan Farooqi was questioned by the police. As no *Prima facie* case had been made out against him he has not been suspended from service. Wazimuzzafar Hassan stayed in U.P. Niwas in Delhi during the period 4-10-73 to 16-10-73. He appears to have secured accommodation by false representation to the UP. Niwas staff regarding his identity.

सी० आई० ए० प्रायोजित रेडियो प्रसारण

4753. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सी० आई० ए० प्रायोजित रेडियो प्रसारणों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे देश/स्थान कौन-कौन से हैं जहां ये प्रसारण किये जाते हैं।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : सरकार के पास सी० आई० ए० के द्वारा प्रायोजित तथाकथित प्रसारणों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

भारत-रूस संयुक्त अध्ययन दल की स्थापना

4754. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गणतन्त्र के योजना आयोग और रूस की राज्य योजना समिति (सोवियत संघ के गोस्प्लान) के बीच सहयोग संबंधी करार के अन्तर्गत भारत-रूस संयुक्त अध्ययन दल का गठन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत की ओर से अध्ययन दल में शामिल किये गये सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) अगर किसी अध्ययन दल का अब तक गठन नहीं किया गया है, तो ऐसे अध्ययन दल की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अभी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दोनों पक्षों के मध्य अध्ययन दल के कार्यक्रम पर बातचीत हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं । दोनों पक्षों के मध्य सहमत विस्तृत कार्यक्रम के आधार पर अध्ययन दल के सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा ।

बिहार में अत्यावश्यक वस्तुओं का तस्कर व्यापार

4755. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य में सरकारी अधिकारियों के एक वर्ग के और तस्करी रोकने के लिए उत्तरदायी एजेंसियों के संरक्षण में अत्यावश्यक वस्तुओं के तस्कर व्यापार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस व्यापार के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच करवायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सम्बन्धित प्राधिकारियों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कर्नाटक में काम कर रहे जनजाति विकास खंड

4756. श्री डी० पी० चन्द्र गौड़ा
श्री जी० वाई कृष्णन } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में काम कर रहे ऐसे जनजाति विकास खंडों की संख्या कितनी है जिनमें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेजों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) प्रत्येक संस्था में इस समय कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कर्नाटक राज्य में सरकार ने इन समुदायों के लिये किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस समय तीन तदर्थ जनजाति विकास खण्ड और एक द्वि-तदर्थ जनजाति विकास खण्ड हैं जिसमें कुल मिलाकर छ: तालुक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

जनजाति विकास खण्ड

1. एच० डी० कोटे
2. नागरकोले
3. सोमवारपेट

द्वि-तदर्थ जनजाति विकास खण्ड

उदिपि

कारकल

वेलथन्गडी

जनजाति विकास खण्ड बजट के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, पोलिटेक्नीक इंजीनियरिंग मैडिकल कालेज खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृति के संबंध में शिकायत

4757. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या गृह मंत्री अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के संबंध में 14 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3213 तथा 28 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4987 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय के पास इस प्रकार की कोई शिकायत की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : एक अस्वीकृत उम्मीदवार से छात्रवृत्ति देने के लिए पुर्नविचार करने हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसको स्वीकार नहीं किया जा सका।

पशुओं को खिलाने के लिए प्रोटीनयुक्त पदार्थों का उत्पादन

758. श्री आर० एन० बर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की भांति भारत में भी पेट्रोलियम से प्रोटीनयुक्त पदार्थों का उत्पादन करने के लिये, जिन्हें पशुओं को खिलाने के लिये उपयोगी बताया जाता है, परीक्षण कार्य किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले; और

(ग) पैट्रोलियम से बने पदार्थों का उत्पादन करने के लिये संयंत्र देश में कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां। (अ) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई० आई० पी०) देहरादून, (ब) और क्षेत्रीय अनु-

संधान प्रयोगशाला (आर० आर० एल०) जोरहाट में पैट्रोलियम हाइड्रो-कारबन से प्रोटीनयुक्त पदार्थों का उत्पादन करने पर अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) प्रोटीनयुक्त पदार्थों के उत्पादन के लिये प्रायोगिक संयंत्र-मानक निर्धारण संबंधी परीक्षण जारी है। फिर भी, खिलाने संबंधी निरंतर उत्पादन के लिये दीर्घकालीन परीक्षण और जानवरों के लिये मान्य करने संबंधी परीक्षण और उत्पाद के विषेलेपन को दूर करने संबंधी परीक्षण, वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित होने से पहिले कुछ वर्षों तक जारी रहेंगे।

उड़ीसा में जनजाति विकास निगम की स्थापना

4759. **श्री गजाधर मांझी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये जनजाति विकास निगम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : नयी जन जाति विकास निगम आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है। 1972 में उड़ीसा राज्य जन जाति विकास सहकारी समिति लि० को गठित किया गया था जिसमें 3 अनुसूचित जिलों समेत 13 में से 10 जिले आ जाते हैं। अब तक 14 शाखाएं खोली गई हैं और उन शाखाओं के अधीन 242 उचित दर की दुकान तथा क्रय केन्द्र कार्य कर रहे हैं। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में जन जाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र आ जायेगा। उप योजना तथा परियोजना बनाई जा रही है।

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र

4760. **श्री एम० एस० पुर्ति : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ केन्द्र खोले हैं, ताकि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए सुरक्षित स्थान भरे जा सके; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां बनाये जाएंगे और इनमें कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, और उसमें कितना समय लगेगा, उन पर कितना व्यय होगा तथा सरकार ने प्रशिक्षणार्थियों को और क्या सुविधाएं देने का निश्चय किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) जनवरी, 1974 में ऐसे दो केन्द्र स्थापित किये गये हैं। एक मोती लाल नेहरु क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में और एक क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली में। ये अखिल भारतीय संस्थाएं हैं और उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक केन्द्र में उम्मीदवारों के प्रवेश की संख्या 40 निर्धारित की गयी है। योजना के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि 8 महीने है। प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण, भोजन व आवास सम्बन्धी सारा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा और पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएं भी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जयश्री कैमिकल्स के साथ पक्षपात करना

4761. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जयश्री कैमिकल्स के साथ किये गये पक्षपात के मामले में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) . बड़े औद्योगिक गृहों का जांच आयोग (सरकार कमीशन) इस विषय में जांच कर रहा है। आयोग द्वारा जांच के अधीन अनेक मामलों में से एक यह भी है। इन मामलों में जांच अपनी अपनी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में है तथा कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

अलायेंस आफ यंग इण्टरप्राइजेज को प्रदान की गई सुविधाएं

4762. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, लिमिटेड तथा अन्य संगठनों द्वारा दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन, अलायेंस आफ यंग इण्टरप्राइजेज को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या उक्त निकाय को कोई अनुदान भी दिया गया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) उक्त निकाय के पदाधिकारियों के नाम और कार्य क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त निकाय सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और यदि हां, तो प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) क्या उक्त निकाय की गतिविधियों पर अंकुश रखती है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) नेशनल एलाएन्स आफ यंग एन्टर प्रिन्योर्स को तकनीकी व कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रदान करके, उनके द्वारा आयोजित परिचर्चाओं व सामूहिक चर्चाओं में भाग लेकर उनकी सहायता की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) नेशनल एलाएन्स आफ यंग एन्टर प्रिन्योर्स की केन्द्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय व पदनाम की सूची संलग्न है। (अनुबन्ध)। नेशनल एलाएन्स आफ यंग एन्टर शिन्योर्स के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) व्यापक उद्यमशीलता के द्वारा औद्योगिक आधार का विस्तार करना,

(2) उपलब्ध औद्योगिक अवसरों के विषय में सूचना देना तथा राष्ट्र के आर्थिक कार्यकलापों से सम्बधित मामलों पर लोगों को सूचना देना,

(3) विभिन्न अभिकरणों के प्रयासों के समन्वयन के जरिए औद्योगिक परियोजनाओं के द्रुत कार्यान्वियन में सहायता करना,

(4) वैयक्तिक उद्यमियों एवं प्रशासी प्राधिकरण के मध्य सम्पर्क सुनिश्चिय रखना,

(5) अनुसंधान प्रकोष्ठों का आयोजन व उद्यमियों को विश्व के प्रगतिशील देशों की प्रगति से उद्यमियों को अवगत रखना; तथा

(6) तकनीकी सहायता कार्यक्रम आयोजित करना ।

(घ) और (ङ) : चूंकि नेशनल एलाएन्स आफ यंग एन्टर प्रिन्योर्स एक निजी संगठन है अतः इस सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना पड़ता और न ही इसके कार्यकलापों पर विशेष दृष्टि रखना आवश्यक समझा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय कार्यकारी समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम, पता, व्यवसाय व पदनाम की सूची :—

क्रमांक	नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
1.	के० राय	सी०-192,डिफिन्स कालोनी, नई दिल्ली	उद्योग	सभापति
2.	चक्राधारी अग्रवाल .	एच०-4, हौज खास, नई दिल्ली-16	कृषि पर आधारित उद्योग	महासचिव
3.	सी० एस० दिसाई .	4, अहमद चेम्बरस, अपोली बन्दर, बम्बई	उद्योग	सदस्य
4.	युसफली टाइबली .	75, सारंग स्ट्रीट, बम्बई	उद्योग	सदस्य
5.	राजेन्द्रा पंडित	रामकृष्णन निवास, सेटलवाड़ रोड़ निपिन सी० रोड़, बम्बई ।	उद्योग	सदस्य
6.	के० बी० राय .	1, जनपथ, मिन्टो बिल्डिंग, नई दिल्ली	उद्योग	सदस्य
7.	प्रोतम गोयल .	सी०-192 डिफिन्स कालोनी,नई दिल्ली	उद्योग	सदस्य
8.	के० के० मोदी	मोदी रायन मिल्स लि०, मोदीनगर	उद्योग	सदस्य
9.	अनिल सालगोकर	पूल बेस 14, वास्कोडिगामा, गोवा	उद्योग	सदस्य
10.	वी० के० शाह .	चेतन, मारिन ड्राइव, बम्बई	उद्योग	सदस्य
11.	एच० एच० वीरेन्द्रा सिंधजी	कुसुमविलास प्लेस, छोटा उधमपुर	उद्योग	सदस्य
12.	डी० पी० हारिनी .	इडि० इजि० कम्पनी, वर्ली, बम्बई-13	उद्योग	सदस्य

आकाशवाणी, अहमदाबाद से प्रसारित गुजरात के मुख्य मंत्री के भाषण

4763. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने, 10 जनवरी, से 9 फरवरी, 1974 के बीच जन आन्दोलन के दौरान, अपना पदत्याग करने से पूर्व शनिवार, 9 फरवरी, 1974 को आकाशवाणी, अहमदाबाद से भाषण दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मुख्य मंत्री ने कितनी तथा किस प्रकार की अपीलें, भाषण और वक्तव्य प्रसारित किये ;

(ग) क्या उन्होंने आकाशवाणी का प्रयोग निजी अथवा दल अथवा सरकारी प्रयोजनों और प्रचार के लिए करने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप जनता में आकाशवाणी के प्रति विश्वास को ठेस पहुंची ; और

(घ) आकाशवाणी ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उन्होंने आकाशवाणी से 12 जनवरी, 23 जनवरी तथा 27 जनवरी, 1974 को लोगों से हिंसा छोड़ने और समाज विरोधी तत्वों से निपटने तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता करने की अपील करते हुए तीन बार भाषण दिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में श्रमजीवी पत्रकारों की यूनियन हेतु इमारत के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

4764. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर में श्रमजीवी पत्रकारों की यूनियन के लिए कर्नाटक द्वारा बनाई जाने वाली इमारत के लिए वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई तथा वह इमारत कब तक पूरी हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जब भी भवन बन कर तैयार हो जायेगा, भवन में जगह किराये पर देने पर सरकार विचार करेगी।

Employment /Prospects in Fifth Plan Period

4765. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) the number of persons who will be provided with employment during the Fifth Five Year Plan period in the country ; and

(*b*) the likely number of job seekers during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dhaira) : (*a*) While formulating the Draft Fifth Five Year Plan, however, the Planning Commission considered that uni-dimensional estimates of employment/unemployment and under-employment were not meaningful as note has also to be taken of important distinguishing characteristics in regard to different segments of the labour force, such as region, rural-urban residence, status of workers, educational attainments, age and sex etc., having regard to the fact that the Indian economy has preponderence of self-employment and producton within the house-hold enterprises. Even though estimates of aggregate employment have not been indicated, the Draft Plan strategy has been designed in a manner so as to maximise creation of employment opportunities. In this context, it has to be noted

that Drought Prone Area Programme and the Programmes for Small and Marginal Farmers Command Area Development of major and medium irrigation projects are likely to cover nearly 26 million of the poorest rural households. In addition, benefits from schemes relating to traditional industries like handloom, sericulture, coir, khadi and village industries would accrue to approximately 32·50 lakh to 33·50 lakh persons by way of additional job opportunities and another 33 to 34 lakh persons through fuller employment. The implementation of the Plan would also naturally result in expansion of employment opportunities in the private sector, especially the small and unorganised sector, trade, ancillary services and commerce and so on.

(*b*) On the basis of the participation rates (excluding workers in the age group of 0-14 years) by age, sex and residence observed in 1971, the labour force (as distinguished from the working age population) for 1974 and 1979, (the beginning and the end of the Fifth Five Year Plan) has been estimated as follows :

Labour Force Projections for 1974 & 1979 (*As on* 1*st March*)

(In Million)

	RURAL			URBAN			ALL INDIA		
Year	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1974	121·2	27·1	148·3	31·2	3·6	34·8	152·4	30·7	183·1
1979	135·5	30·7	166·2	37·3	4·3	41·6	172·8	35·0	207·8

In addition to the estimated increase of 17·7 million persons in the labour force shown above, there would be a backlog of unemployed, under-employed and thinly (very low productivity) employed at the beginning of the Fifth Plan period.

बिहार में मुंगेर के निकट आत्म-निर्भर आयुद्ध कारखाने का पता लगाना

4766. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने हाल में बिहार में मुंगेर के निकट एक प्राइवेट आत्म-निर्भर आयुद्ध कारखाने का पता लगाया है जिसमें बंदूकों, रिवाल्वरों आदि सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों के निर्माण की क्षमत है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना कवित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयले को तरल ईंधन में बदलना

4767. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 सदस्यीय रूसी दल ने कोयले को तरल ईंधन में बदलने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र को संशलिष्ट पेट्रोल के निर्माण के लिए उपयुक्त बताया गया है, यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए इन संसाधनों से लाभ उठाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) रूसी दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, सरकार इस समय, इस दल द्वारा दिए गए किसी ऐसे सुझाव से अवगत नहीं है।

(ख) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए संशलिष्ट पेट्रोल उत्पादन के लिए सिंगरौली कोयला खान की उपयुक्तता अथवा उपयोग के विषय में कुछ बताना संभव नहीं है।

Pak Nationals Staying in Madhya Pradesh after Expiry of the Term of their Passports

4768. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of Pakistani nationals still staying in Indore, Ujjain, Ratlam, Bhopal, Dewas and other cities in Madhya Pradesh even after expiry of the term of their passport separately; and

(*b*) the action taken and the measures proposed to be taken in future to punish such persons as are staying without passports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :(*a*) and (*b*). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में सीमेन्ट की चोर बाजारी

4769. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में सीमेन्ट की चोर बाजारी व्याप्त है और इसकी बिक्री खुले बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित किये गये उचित मूल्य से लगभग सौ प्रतिशत अधिक मूल्य पर खूब हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति हो जाने की परिस्थितियां क्या है ; और

(ग) दिल्ली में वास्तविक उपभोक्ताओं को सीमेन्ट की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) . बिजली की कटौती, कोयले की अपर्याप्त अपूर्ति वैगनों का न मिलना आदि के कारण सीमेन्ट के उत्पादन में गिरावट आने से स्थिति का लाभ उठाने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में समय पर रिपोर्ट मिलीं है। दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने चोर-बाजार में सीमेन्ट बेचने के 8 मामले दर्ज किये हैं और इस संबंध में 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सीमेन्ट एक आवश्यक वस्तु है। उपलब्ध आपूर्ति का समान वितरण करने का सुनिश्चय करने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने 16 नवम्बर, 1972 से स्टाकिस्टों द्वारा बिक्री और परमिट प्रणाली लागू करके सीमेन्ट की बिक्री पर नियन्त्रण करने के लिए 12 जुलाई, 1972 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया था जिसके अधीन 90 प्रतिशत सीमेन्ट स्टाक को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये परमिटों पर स्टाकिस्टों द्वारा बेचा जाता है और शेष को लघु उपभोक्ताओं को पहले आओ पहले ले जाओ के आधार पर बिना परमिट बेचा जाता है।

श्री आशीष मुखर्जी द्वारा नेताजी पर बनाए वृत्त-चित्र को विदेश में भेजना

4770. **श्री समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री आशीष मुखर्जी द्वारा नेताजी पर बनाये गये वृत-चित्र को बंगला देश, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, थाइलैंड, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, नेपाल तथा एशिया के अन्य देशों तथा पूर्व और पश्चिमी जर्मनी तथा जापान में उनके सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए भेजा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : फिल्में तभी निर्यात की जाती हैं जब खरीदार उपलब्ध हों । इस फिल्म का निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे ।

Per Capita Annual Income in States

4771. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state the per capita average annual income recorded in each State during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : Two statements giving the State-wise per capita income, at current and constant prices, for the latest three years available are attached. (Placed in Library See No. L. T. 6553/74).

Licences issued to various Industrial Units in M.P.

4772. **Dr. Laxminarayana Pandeya :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the number of licences issued by the Central Government for various industrial units in Madhya Pradesh during the years 1970-73;

(*b*) the names of the industries for which these licences were issued; and

(*c*) the number of industries that have started working and of those that are in a position to start working ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (*a*) *and* (*b*) . During the year 1970-73, 45 industrial licences and 94 letters of intent were granted for setting up of industrial units in Madhya Pradesh. These related to metallurgical industries, fuels, electrical equipment, miscellaneous mechanical and engineering industries, chemicals, textiles, paper and pulp, rubber goods, cement and gypsum products, drugs and pharmaceuticals, food processing industries, glass, telecommunication, dye-stuffs, ceramics, cigarettes, fermentation industries, commercial, office and household equipment, leather goods & pickers etc.

(*c*) As the setting up of an undertaking normally takes three to four years after the issue of an industrial licence, it will be premature to except that undertaking in respect of which letters of intent/ industrial licences were issued during the years 1970-73, would have fructified into actual production. These letters of intent/industrial licences are, therefore, at various stages of implementation.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय तथा पुरानी दिल्ली में ईदगाह से सीमेन्ट की धोखाधड़ी

4773. **श्री आर० एन० बमन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक भण्डार तथा पुरानी दिल्ली में ईदगाह से 5 लाख रु० के मूल्य के सीमेंट स्टाक की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों को सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड तथा इन्चैक टायर्ज लिमिटेड, कलकत्ता में पूंजी निवेश

4774. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता स्थित नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड तथा इन्चैक लिमिटेड में अद्यतन सरकार का कुल पूंजी निवेश क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : 31-3-1973 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा मे० नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चर्स लि० और इन्चैक टायर्स लि० की अंश पूंजी में कोई निवेश नहीं किया गया है। किन्तु इन कंपनियों की अंशपूंजी में जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया लि० आदि द्वारा किए गए पूंजी निवेश की 31-3-73 की स्थिति का विवरण संलग्न है।

विवरण

जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया लि० आदि द्वारा मे० नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लि० और इन्चैक टायर्स लि० की अंश पूंजी में किए गए निवेश की स्थिति का विवरण 31-3-1973 को निम्न प्रकार था :—

नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चर्स लि० (आंकड़े लाख रुपयों में)

	इक्विटी (अंशपूंजी)	प्राथमिकता
जीवन बीमा निगम	30.31	1.06
यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया	15.15	0.76
राष्ट्रीयकृत बैंक	0.40	0.08
बीमा कंपनियां .	4.71	0.25
इनचेक टायर्स लिमिटेड		
जीवन बीमा निगम	7.49	10.0
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया लि० .	—	4.90
यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया	9.36	—
राष्ट्रीयकृत बैंक	1.13	—
बीमा कंपनियां	3.77	—
पश्चिम बंगाल वित्तीय निगम . .	—	4.90

हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिल्ली प्रशासन को धनराशि का नियतन

4775. **श्री राम भगत पासवान**
श्री राम प्रकाश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लिये विभिन्न परियोजनाओं हेतु दिल्ली प्रशासन को नियत की गई लगभग 21 लाख रुपये की राशि बिना खर्चे, पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये 1973-74 के संशोधित बजट प्राक्कलन में 29.46 लाख रुपये की राशि (मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां और हरिजन बस्तियां के सुधार समेत) वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् 31-3-74 तक पूर्णरूप से खर्च किये जाने की आशा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में छात्र-उपद्रवों की जांच

4776. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में जनवरी, 1974 में हुए गम्भीर छात्र-उपद्रवों की जानकारी है; और यदि हां, तो किस प्रकार के उपद्रव हुए थे ;

(ख) क्या सरकार ने स्वतन्त्र रूप से मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । चण्डीगढ़ प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय के लगभग 3,000 छात्रों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए 21 जनवरी, 1974 को सुबह विश्वविद्यालय के अहाते में प्रदर्शन किया था । उन्होंने सरकार के विरूद्ध नारे लगाये, विश्वविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाने तथा अहाते के निकट उपस्थित पुलिस दल पर भारी पथराव किया । पुलिस ने अश्रुगैस का प्रयोग किया तथा लाठी चलाई और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया । 20 दंगाइयों को गिरफ्तार किया । छात्रों के प्रतिनिधियों द्वारा बाद में अच्छा आचरण करने का आश्वासन देने पर निषेधाज्ञा उठा ली गई थी और 1 फरवरी, 1974 को विश्वविद्यालय में सामान्य कार्य पुनः बहाल किया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उटता ।

राज-भाषा के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये एक आयोग का गठन

4777. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक सरकारी तथा अन्य प्रयोजनों के लिये संघ की राज-भाषा के प्रयोग का संबंध है, इस बारे में संविधान के उप-

बन्धों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने हेतु एवं आयोग का गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बिहार राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये छात्रावासों की संख्या

4778. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लड़के तथा लड़कियों के लिये छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में जिलावार छात्रावासों तथा छात्रों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, (श्रीमान्) ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था

4779. **श्री गजाधर माझी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विद्यार्थियों को सरकार ने कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) क्या इन छात्रावासों में, विशेष रूप से, उड़ीसा राज्य में, जनजाति विद्यार्थियों को उचित बर्तन, फरनीचर और पुस्तकालय संबंधी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त समुदायों के विद्यार्थियों को यह सब सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में समाज कल्याण योजना के लिए धनराशि

4780. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू होने वाली समाज कल्याण योजना के लिए गुजरात को पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार को कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने और अधिक धनराशि की मांग की है और उक्त योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा शुरु किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों को केन्द्र सरकार को भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है और, राज्य में समाज कल्याण योजना के लिए कम धनराशि आबंटित की है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) . (क) से (घ) . गुजरात सरकार ने अपने पांचवीं योजना के प्रारूप में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 100 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। राज्यों को पांचवीं योजनाओं के परिव्ययों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं का "सती" हो जाने का कथित समाचार

4781. **श्रीमती रोजा देशपांडे**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस महीनों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में चार महिलाओं के "सती" हो जाने का समाचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) जब पहली बार "सती" हुई, तो उसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ; और

(घ) इसे रोकने में असफलता के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) . राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और इसके प्राप्त होने पर उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तेल की खोज के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशियानोग्राफी को निदेश

4782. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशियानोग्राफी गोआ को कहा है कि वह "सी० बैड" से तेल संसाधनों की खोज के बारे में अधिक महत्व दें; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस इंस्टीट्यूट ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत के चारों ओर फैले हुए समुद्रों का भूगर्भीय और भूभौतिकीय अध्ययन राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०) गोआ के अनुसंधान तथा विकास की परिजनाओं का एक अंग है। सी०-बैड के तेल सहित खनि संसाधनों के मूल्यांकन में इन परियोजनाओं का गहरा संबंध है। सी०-बैड से प्राप्त अंतभार्गीय नमूनों के खनिज तत्वों का इस समय संस्थान प्रयोगशालास्तरीय विश्लेषण कर रहा है।

(ख) जैसे ही संस्थान का समुद्र-गामी अनुसंधान का जहाज जिसे कलकत्ते में संशोधित किया जा रहा है, कार्य संचालन के लिये तैयार हो जायेगा तब संस्थान सी०-बैड के खनिज संबंधी अन्वेषणों की बहुत सी क्षेत्रीय परियोजनाएं क्रियान्वित करेगा।

डालमिया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान

4783. **श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971, 1972 और 1973 के वर्षों में सरकार द्वारा डालमिया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान को कितनी धनराशि दी गयी है ; और

(ख) इस संस्थान में अब तक किये गये अनुसंधान के क्या परिणाम रहे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1971 1972 तथा 1973 वर्षों के दौरान डालमिया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया ।

(ख) डालमिया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की अभी तक स्थापना नहीं हुई है, अत: अब तक किए गये अनुसंधान के परिणामों का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब संस्थान की स्थापना हो जाएगी और वह अनुसंधान कार्य करने लगेगा ।

Requirement of Tyres

4784. **Shri Jagannath Mishra**
Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether Government have collected figures in regard to the requirements of tyres in various States, State-wise; and

(*b*) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (*a*) *and* (*b*). Figures regarding the requirements of tyres in respect of different categories of users have not been collected by Government. However, a statement showing the estimated requirments of tyres in respect of different State Public Transport Undertakings during 1973-74 is attached. (Placed in Library See. No. L. T. 6554/74).

औद्योगिक प्रयोजनों हेतु रेत का प्रयोग

4785. **श्री पी० आर० शिनाय : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती कर्नाटक के समुद्र तट पर पाई जाने वाली रेत, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में आ सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कौन कौन से उद्योग इस रेत का प्रयोग कर रहे हैं ; और

(ग) इस रेल को हटाने के लिए कितनी पार्टियों को पट्टे मिल गए और कितनी पार्टियों ने पट्टों के लिए आवेदन पत्र दिए हैं तथा उन पार्टियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चर्म संगठन की स्थापना

4786. **श्री गजाधर मांझी**
श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक चर्म संगठन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी प्रणाली तैयार की है जिससे चर्म उद्योग के लिए उपकरणों को स्वतः मंजूरी मिल जाया करेगी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) . सरकार ने उन मशीनों की एक सूची तैयार की है जो देश में उपलब्ध नहीं है और चमड़ा उद्योग को जिनकी आवश्यकता है। इस सूची में सम्मिलित मशीनों का आयात करने के बारे में तकनीकी विकास के महानिदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

तमिलनाडु में औद्योगिक परियोजनाएं

4787. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना के दौरान इस वर्ष तमिलनाडु में कौन कौन सी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ऐसी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी; और

(ग) तमिलनाडु राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम०बी० राना) : (क) से (ग) . तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में पांचवीं योजनावधि में लगाई जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के नाम, उनके स्थापनास्थल और परिव्यय (जहां तक निर्णय कर लिए गए हैं) पांचवी योजना प्रलेख के मसौदे के पृष्ठ संख्या 151–155 (खण्ड 11) पर दिए हुए हैं।

तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केन्द्र

4788. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री वी० मायावन : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केन्द्र पर कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री, प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). तमिलनाडु राज्य में कलपक्कम नामक स्थान पर बनाये जा रहे परमाणु बिजलीघर का निर्माण-कार्य आरम्भिक कार्यक्रम से पिछड़ गया है । निर्माणकार्य में विलम्ब होने के कारण निम्न-लिखित है :—

1. उपकरणों के विदेशी तथा भारतीय सप्लायरों से उपकरणों की सप्लाई में हुआ विलम्ब;
2. निर्माण कार्य के दौरान सामने आई विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण हुआ विलम्ब;
3. आवश्यक सामग्री को अधिक से अधिक मात्रा में भारत में बनाने के प्रयास के परि-णामस्वरूप हुआ विलम्ब;
4. बिजली में हुई कटौती, निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण हुआ विलम्ब;
5. भारतीय निर्माताओं की उत्पादन क्षमता को आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान कर तेजी से वृद्धि करके तथा उत्पादन के सभी स्तरों पर परमाणु ऊर्जा विभाग के विशे-षज्ञों को सहयोजित कर एवं जहां भी आवश्यक हो वहां तकनीकी परामर्श देकर, इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इस बिजलीघर को यथाशीघ्र पूरा किया जाय ।

केरल के विभिन्न खंडों में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों की ऋणग्रस्तता

4789. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार से राज्य के विभिन्न खण्डों में आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति के लोगों की ऋणग्रस्तता के स्वरूप तथा राशि की मात्रा के आंकड़े एकत्र करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में इन जातियों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु वाइनाद के पनियानों की आर्थिक दशा का एक सीमित सर्वेक्षण किया गया था जिससे पता लगता है कि लगभग 36 प्रतिशत जनजाति परिवार ऋणग्रस्त हैं। ऋणों का 68 प्रतिशत पारिवारिक व्यय तथा रस्म रिवाज संबंधी व्यय हैं।

(ग) पांचवी पंच वर्षीय योजना में जनजाति क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं चलाने और इन क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र विकास परियोजनाओं में लाने पर विचार किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत महत्व-पूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम जनजातियों के लिए ऋण तथा विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए होगी ।

पांचवीं योजना में केरल में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार

4790. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केरल राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपयुक्त उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 में रोजगार प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए इस बात को ध्यान में रखा है। बहरहाल, रोजगार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवसरों, जिन्हें शिक्षित बेरोजगारों को सुलभ किए जाने की संभावना है, के बारे में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान रोजगार सुलभ करने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में निर्देशों का उल्लंघन

4791. श्री एम० एस० पुरती
श्री गजाधर मांझी } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से उन अधिकारियों के बारे में सूचना एकत्र की है जिन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया था।

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णयों की क्रियान्विति के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्ति विभाग में एक विशेष सैल बनाने का है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। यह तत्संबंधी राज्य सरकारों का विषय है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विदेशी फर्मों द्वारा सूचना न दिया जाना

4792. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस आशय की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान अधिकांश विदेशी फर्मों तथा बड़े गृहों को सी० ओ० बी० लाइसेंस बिना उचित सोच-विचार के तथा यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या उन्होंने वास्तव में क्षमता प्राप्त कर ली है अथवा निर्धारित तिथि से पूर्व प्रभावी कार्यवाही कर ली है, जारी किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार इन लाइसेंसों पर पुनर्विचार करेगी और उन एककों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने झूठी सूचना दी थी अथवा लाइसेंस समिति को सही जानकारी नहीं दी थी?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). कुछ सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई विधि से सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किए गए थे किन्तु कुछ सामान्य आरोप सी० ओ० बी० लाइसेंसों के संबंध में लगाए गए हैं। यदि कोई विशिष्ट शिकायतें होंगी तो यथा आवश्यक उचित कार्यवाही करने हेतु उनकी जांच की जाएगी।

विविधीकरण पर रोक का भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव

4793. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षेत्र के लिए विविधीकरण पर रोक का 1970 के बाद उद्योग के भारतीय क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). मुक्त विविधीकरण की सुविधाएं बंद नहीं की गई हैं। किन्तु 1970 में बड़े गृहों एवं विदेशी बहुलांश वाली फर्मों के बारे मेंविविधीकरण सुविधा को सरकार ने इन फर्मों की सभी गतिविधियों को लाइसेंसिग प्रावधानों के अन्तर्गत लेते समय हटा लिया था। तभी से स्थिति यथावत है, मुक्त विविधीकरण संबंधी सरकार की वर्तमान नीति को 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना सं० का०आ० 98(ई०) आई० डी० आर० ए०/29–वी०/73 द्वारा घोषित किया गया था (जो सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) जिसके अनुसार एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों और विदेशी बहुलांश वाली फर्मों के सिवाय औद्योगिक उपक्रमों को मुक्त विविधीकरण करने की सुविधा दी गई है।

आसाम और त्रिपुरा के आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल

4794. **सरदार बूटा सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में आसाम और त्रिपुरा के आदिवासियों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय सरकार से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ख) और (ग): 16 दिसम्बर, 1973 को असम की मैदानी आदिवासी परिषद् के कुछ प्रतिनिधियों ने स्वयं, गृह मंत्री को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गांवों में छापे मारने, अन्धाधुन्ध गिरफ्तारी करने, मारपीट तथा असम की मैदानी आदिवासी परिषद् व बोदों साहित्य सभा के सदस्यों पर आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम का प्रयोग करने और शिक्षा के सेकेण्डरी स्तर तक बोदों भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता देने के सरकार के अपने निर्णय को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की असफलता के बारे में शिकायत की गई थी।

असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए 9 व्यक्तियों को बाद में मुक्त किया गया था। असम की मैदानी आदिवासी परिषद् के आन्दोलन के संबंध में विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको प्रदत्त प्रक्रिया तथा कानूनी शक्तियों के अनुसार उनका पूर्ण रूप से पालन करते हुए पुलिस द्वारा व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई थी। राज्य सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया जहां पुलिस की कार्यवाही प्रतिशोधात्मक पाई गई हो अथवा जहां अनधिकृत अथवा गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारियां की गई थी। बोदों भाषा के संबंध में राज्य सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे अध्यापकों, स्कूल इन्सपैक्टरों तथा पाठ्य-पुस्तकों आदि की व्यवस्था करना तथा इस संबंध में किए गए निर्णयों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

26 दिसम्बर, 1973 को त्रिपुरा के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। मुख्य मांगे इस प्रकार थीं :—

(1) त्रिपुरा में आदिवासी आरक्षण का पुनर्गठन और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों के करने के लिए स्वायत समिति का गठन,

(2) आदिवासियों से गैर आदिवासियों को भूमि के किसी प्रकार के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने वाला विधान,

(3) आदिवासियों से गैर आदिवासियों को अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि वापस कराने के लिए एक विशेष प्रशासनिक तंत्र की स्थापना,

(4) जुमियाओं का त्वरित पुनर्वास,

(5) आदिवासियों को शैक्षिक सुविधाएं, और

(6) सेवा में कोटे का संचय बनाना।

सरकार अनुसूचित आदिवासियों के हितों की रक्षा करने और उनके त्वरित आर्थिक व शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने की इच्छुक हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में व्यापक कार्यक्रम तैयार करते समय उनकी विशेष समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड उटकमण्ड से उत्पादन

4795. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० उटकमण्ड में सितम्बर, 1973 से उत्पादन में काफी कमी हुई है और इस मास से सादी फिल्मों की सप्लाई बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में प्रत्येक मास इस कारखाने में कितना उत्पादन कम हुआ है और क्यों ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार को आयात की अनुमति देनी पड़ी और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०बी० राना) : (क) और (ख). जी, नहीं। इसके विपरीत, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यू० कम्पनी ने सिने पोजीटिव ब्लैक और सफेद फिल्म के उत्पादन में वृद्धि की है जिसका पता निम्नलिखित आंकड़ों से लग सकेगा :

महीना	उत्पादन वर्ग मी०
1	2
मार्च, 1973	34239
अप्रैल, 1973	61753
मई, 1973	29673
जून, 1973	52935

1	2
जुलाई, 1973	64994
अगस्त, 1973	99754
सितम्बर, 1973	109687
अक्तूबर, 1973	138728
नवम्बर, 1973	142837
दिसम्बर, 1973	144638
जनवरी, 1974	174631
फरवरी, 1974	191619

(ग) उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी, दिसम्बर, 1973 में यह पूर्वानुमान था कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी सिने पाजिटिव ब्लैक और व्हाइट की तत्कालिक बढ़ती हुई मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ रहेगी। अतः विशेष रूप से और अपवाद स्वरूप सिने पाजीटिव ब्लैक और व्हाइट के 15000 रोलस आयातित करने का निर्णय किया गया था। आयात रुपये में भुगतान लेने वाले क्षेत्र से किया गया है और इसमें मुक्त विदेशी मुद्रा का व्यय शामिल नहीं है।

दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

4796. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-कलकत्ता के बीच ट्रंक टेलीफोन दिल्ली-बम्बई तथा अन्य स्थानों, जहां सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा प्राप्त है, की तुलना से मंहगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०शेर सिंह) : (क) दिल्ली और कलकत्ता के बीच मैनुअल ट्रंक कालों के चार्ज जो दो स्थानों के बीच की दूरियों से संबंधित होते हैं, दिल्ली और बम्बई के बीच के चार्जों की अपेक्षा अधिक है। तथापि, दिल्ली और कलकत्ता के बीच साधारण मैनुअल ट्रंक काल का चार्ज, जो कि तीन मिनट की यूनिटों पर लगाया जाता है, दिल्ली और बम्बई के बीच की तीन मिनट की उपयोक्ता ट्रंक डायलिंग काल के चार्ज की अपेक्षा कम है।

(ख) और (ग). दिल्ली और कलकत्ता के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार कर ली गई है और आवश्यक ट्रान्समीशन सर्किटों और उपस्कर के उपलब्ध होते ही, इसे चालू कर दिया जाएगा।

कूच बिहार शरणार्थी सेवा

4797. श्री बी०के० दासचौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कूच बिहार शरणार्थी सेवा "सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट" के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी है जो समाजसेवी संगठन होने का दावा कर सकती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कूच-बिहार शरणार्थी सेवा में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के वीसा की अवधि का बढ़ाया जाना

4798. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या गृह मंत्री 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8064 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार शरणार्थी सेवा में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों को, स्थानीय लोगों द्वारा उनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के बारे में अनेक आपत्तियां करने के बाजजूद भारत में रहने की अनुमति दे दी गई है अथवा 16 मार्च, 1974 से आगे के लिए उनके वीसा की अवधि बढ़ा दी गई है;

(ख) कूच बिहार शरणार्थी सेवा की गतिविधियां किस प्रकार की हैं तथा आगामी वर्षों के लिए भावी कार्यक्रम क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त संगठन कूच बिहार में विभिन्न लोगों को लेखाबाह्य विदेशी मुद्रा की भारी राशि दे रहा है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के संबंध में 31 मार्च, 1974 के पश्चात् के आवेदन पत्र

4799. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों से 31 मार्च, 1974 के पश्चात् भी आवेदन पत्र स्वीकार करने की स्थिति बनाये रखने का है जिससे सुपात्र स्वतंत्रता सेनानी भविष्य में जब अपने भरणपोषण में कठिनाई अनुभव करें इस सुविधा का उपयोग कर सकें और;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1974 के पश्चात् आवेदनपत्र स्वीकार न करने का प्रस्ताव है । किन्तु जैसा कि सार्वजनिक सूचना, जिसकी प्रति संलग्न है, में पहले ही बता दिया गया है स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों से आवेदन पत्र केवल उसी स्थिति में स्वीकृत किए जायेंगे जब आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारणों का पर्याप्त तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण किया गया होगा । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6555/74] ।

Setting up of a Radio Station at Motihari, District Champaran, Bihar

4800. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether there are about 7-8 crore Bhojpuri speaking persons in Bihar, Uttar Pradesh and Nepal;

(b) whether Government propose to set up a Radio Station at Motihari, District Champaran (Bihar) to cater to Bhojpuri speaking persons,

(c) whether Motihari is a central place for Bhojpuri speaking persons there; and

(d) if so, the time by which the said Radio Station is proposed to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) According to provisional figures of 1971 Census, the number of persons having their mother tongue as Bhojpuri in the country as a whole is 14,340,564. This does not cover Nepal.

(b) & (c) : Saran, Champaran and Shahabad districts in North Bihar; Ballia, Gorakhpur, Deoria and Azamgarh districts in Uttar Pradesh and border areas to the above in Nepal consist of predominently Bhojpuri speaking population.

At present programmes in Bhojpuri are broadcast from Patna Station in Bihar and the entire district of Saran and nearly half of the Champaran district is adequately covered by this Station. The remaining part of Champaran district is covered by Gorakhpur Station of All India Radio and it is proposed to braodcast Bhojpuri programmes from this Station also when the permanent studios are commissioned there. There is, no paln at present to set up a radio station at Motihari.

(d) Does not arise.

Upliftment of Backward Areas of Bihar and U. P.

4801. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the allocations for the development of backward areas in States have not been made according to the extent of backwardness of these areas;

(b) whether North Bihar and Eastern Uttar Pradesh are among the most backward areas of the country; and

(c) if so, whether any special plan is being chalked out for their uplift ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) While formulating their plans, the States take into consideration the levels of development of different areas as well as their requirements.

(b) According to information furnished by the States conceraned, the districts of North Bihar and Eastern U.P. are among the backward areas of the country.

(c) U. P. Government have prepared 'Area Development Programmes' for the Eastern Region. While no such special plan has been prepared for North Bihar, the States Draft Fifth Plan lays adequate emphasis on the development of North Bihar Region.

असिस्टेंट्स को पदोन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया की समीक्षा

4802. श्री भागीरथ भंवर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे असिस्टेंट्स की संख्या कितनी है जिनका सेवाकाल असिस्टेंट ग्रेड में 22 वर्ष से अधिक हो चुका है और जो पदोन्नति पाये बिना ही आगामी दो अथवा तीन वर्षों में सेवामुक्त होने वाले हैं ;

(ख) क्या इन सभी असिस्टेंट्स का इनके कनिष्ठों द्वारा अतिलंघन किया गया है ;

(ग) क्या इन असिस्टेंटस की पदोन्नति एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति, जिसमें एक अतिरिक्त सचिव तथा तीन संयुक्त सचिव होते हैं, द्वारा की जाती है ; और

(घ) पदोन्नति की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसे असिस-टैंट्स की संख्या 104 है, जिनका उक्त ग्रेड में लगातार सेवाकाल 22 वर्ष से अधिक हो चुका है और जो पदोन्नति पाए बिना ही अगले तीन वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ये सभी असिस्टैंट्स अनुभाग अधि-कारी के पद पर पदोन्नति के लिये या तो वरिष्ठता कोटा अथवा "लम्बी सेवा" की केटेगरी के कोटे में, विचार के क्षेत्र में आते हैं।

(ख) असिस्टैंट्स की "लम्बी सेवा" की केटेगरी के लिए निर्धारित कोटे में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति उनके गुणावगुण के आधार पर की जाती है, जिसे उनके गोपनीय अभिलेखों के मूल्यांकन से निर्धारित किया जाता है। अतः महत्वहीन अथवा साधारण रिकार्डों वाले असिस्टैंटों को छोड़ दिया जाता है और उनसे कनिष्ठ असिस्टैंटों को जिनका रिकार्ड उनमे अच्छा होता है, पदोन्नत कर दिया जाता है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) संशोधन किए जाने का कोई विचार नहीं है।

Political Murders in U.P. and Orissa During Recent Elections

4803. Shri Bhagirath Bhanwar :

Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of political murders committed during the recent elections in Uttar Pradesh and Orissa States;

(*b*) the number of cases, out of them, detected by the Police;

(*c*) the names of the parties mainly involved in these murders; and

(*d*) the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) to (*d*) ; The information is being collected from the State Governments concerned and will be placed on the Table of the House.

केन्द्रीय सचिवालय में परिवर्तनों का सुझाव देने हेतु सचिवों की समिति

4805. श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सचिवों की समिति से केन्द्रीय सचिवालय में परिवर्तनों अथवा सुधारों के लिए सुझाव देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सचिवों की समिति द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें दिए जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सचिवों की कोई समिति केन्द्रीय सचिवालय में परिवर्तनों अथवा सुधारों का सुझाव देने के लिए, विशेष रूप से नियुक्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं

4806. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल गुजरात तथा महाराष्ट्र में वर्ष 1971-72 के दौरान आशयपत्र दिए गए हैं उन विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को कार्यक्रम देने के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस अवधि में जारी किए गए आशयपत्र वाले कारखानों में कार्य को तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा उद्यमियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पं० बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए 1971 से 1973 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :

राज्य	1971	1972	1973
पं० बंगाल	58	47	62
गुजरात	104	95	98
महाराष्ट्र . . .	244	197	240

व्यवहार में एक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना किए जाने और उत्पादन आरम्भ किए जाने में प्राय: तीन से चार वर्ष तक का समय लगता है। अत: परियोजनाएं कार्यान्वियन के भिन्न-भिन्न चरणों में है।

(ख) विनियोजन पूर्व अनुमोदनों की स्वीकृति के लिए नवम्बर, 1973 में चालू की गई नवीन विधि के अनुसार केन्द्रीय सरकार एक तरफ तो समयबद्ध अनापतियां जारी करेगी तथा दूसरी ओर उद्यमियों से भी आश्य-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों को प्रारम्भिक अवधि में पूरा करने की आशा की जाती है जो अवधि इस समय क्रमश: 12 महीने और 24 महीने है राज्य सरकारों से यह सुनिश्चय न करने की आशा की जाती है कि अनुमोदित परियोजनाओं की अवस्थापना सम्बन्धी अपेक्षाओं की अनापति की व्यवस्था एवं प्रणाली को तीव्रगामी बनाया जाय।

कलकत्ता तथा जलपाईगुड़ी में औद्योगिक बस्तियां

4807. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा जलपाईगुड़ी में सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक बस्तियों में कार्य नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दो औद्योगिक बस्तियों को अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है और ये दो वस्तियां कब से कार्य करेंगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : कलकत्ता में औद्योगिक बस्ती निर्माणाधीन है और जलपाईगुडी की औद्योगिक बस्ती का प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

(ग) इन बस्तियों के लिए अब तक मंजूर की गई धन राशि की जानकारी पं० बंगाल सरकार को होगी फिर भी, इन बस्तियों के लिए पं० बंगाल द्वारा समग्र रूप से व्यय की गई आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(रु० लाख में)

अवधि	व्यय/आवंटन	
पहली योजना . . .	70.75	वास्तविक व्यय
दूसरी योजना	.	
तीसरी योजना . . .	74.10	वही
वार्षिक योजनाएं		
1966-67 से 1968-69 .	6.00	वही
चौथी योजना (1969–74)	73.19	आवंटन
चौथी योजना (अनुमानित व्यय) . . .	49.70	

कलकत्ता की औद्योगिक बस्ती पूरी हो जाने पर कार्य करने लगेगी और जलपाईगुड़ी की औद्योगिक बस्ती के राज्य सरकार को हस्तांतरित होते ही उसमें भी कार्य शुरु हो जाएगा।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों तथा शेडों पर व्यय

4808. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों तथा शेडों के लिए 200.55 लाख रु० की राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1973 को कौन-कौन सी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हुआ है ; और

(ख) इस अवधि में इन बस्तियों पर बस्तीवार अनुमानतः कितना व्यय हुआ है और वास्तव में कितना व्यय होगा तथा 31 दिसम्बर, 1973 को कितने लघु उद्योग चालू स्थिति में होने का समाचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) प्रथम योजना से चौथी योजना तक पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम पर अनुमानतः 200.55 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1973 को पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों के चलने की सूचना है :—

(1) बारुईपुर (यूनिट I) (24 परगना)

(2) बारुईपुर (यूनिट II) (24 परगना)

(3) कल्याणी (नदिया)

(4) शक्तिगढ़ (बर्दवान)

(5) वाल्टी कुरी (हावड़ा)

(ग) वास्तविक/अनुमानित व्यय के इन बस्तियों के आंकड़े राज्य सरकार के पास मिलेंगे। फिर भी, अनुमान है कि चौथी योजनावधि में पश्चिम बंगाल की इन औद्योगिक बस्तियों पर सममत: 49.70 लाख रुपये खर्च हुए हैं। 31 मार्च, 1973 तक इन बस्तियों में कार्यरत लघु उद्योगों की संख्या 73 थी।

शान्ति उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास करने हेतु भारत और रूस के बीच समझौता

4809. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शान्ति उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास करने में पारस्परिक सहयोग करने हेतु भारत और रूस ने हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) परमाणु ऊर्जा साधनों के विकास में इस समझौते से भारत को किस प्रकार लाभान्वित होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के सम्बन्ध में पारस्परिक सहयोग करने के लिए भारत तथा सोवियत संघ के बीच सन् 1961 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. परमाणु विद्युत रिऐक्टरों के विकास से सम्बन्धित अनुसंधान करना।

2. वैज्ञानिकों का विनिमय करना।

3. अवर्गीकृत वैज्ञानिक एवम् तकनीकी सूचना तथा सामग्री का आदान-प्रदान करना।

भारत तथा सोवियत संघ के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग में और वृद्धि करने के सम्बन्ध में जिस 15 वर्षीय समझौते पर नवम्बर, 1973 में हस्ताक्षर किये गये हैं, उसमें यह कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे सहयोग में और वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार के सहयोग से हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो बातें मुख्य रूप से सहायक होंगी वे हैं — तकनीकी सूचना का पारस्परिक आदान-प्रदान, भारतीय विशेषज्ञों का प्रशिक्षण तथा समझौते के अन्तर्गत आने वाले विषयों में मिलने वाली तकनीकी सहायता।

संसद सदस्य, श्री दरबारा सिंह का चित्र टेलीविजन पर दिखाना

4810. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष श्री दरबारा सिंह के कांड के दौरान संसद सदस्य श्री दरबारा सिंह का चित्र टेलीविजन पर दो बार दिखाया गया था, एक बार उन्हें अध्यक्ष के रूप में दिखाया गया था और दूसरी बार उस रूप में जब वह अध्यक्ष नहीं थे ; और

(ख) उक्त त्रुटि के लिए टेलीविजन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं तथा अनजाने में ऐसी चूक न हो, उपयुक्त फोटो को पर्याप्त विवरण सहित ठीक-ठीक रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर ली गई है। टेलीविजन केन्द्र के निदेशक ने अनजाने में गलत फोटो का प्रयोग होने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी श्री दरबारा सिंह, संसद सदस्य से क्षमा मांग ली है।

देश में नए सर्किलों का बनाया जाना

4811. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में कौन-कौन से नए सर्किल बनाए गए हैं और किस-किस तारीख को ;

(ख) डाक-तार विभाग नए सर्किल बनाने की मंजूरी किस आधार पर देता है ;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार के क्षेत्र में शीघ्र विकास हेतु नए सर्किल बनाने की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नया डाक-तार सर्किल नहीं बनाया गया। किन्तु इस अवधि में जो टेलीफोन जिले/टेलीकाम प्रोजेक्ट सर्किल/सिविल और इलैक्ट्रिकल सर्किल बनाए गए उनकी एक सूची संलग्न है।

(ख) डाक-तार सर्किलों के बनाए जाने के बारे में अभी तक यह नीति रही है कि जिस किसी राज्य में डाक-तार संबंधी प्रशासकीय कार्य स्वयं चल सके और विकसित हो सके, वहां एक डाक-तार सर्किल बना दिया जाता है परन्तु जहां ऐसा न हो सके वहां इस कार्य को दूसरे राज्य के कार्य के साथ मिला कर रखा जा सकता है। इस बारे में यातायात के सामान्य तौर-तरीके पर भी ध्यान रखा जाता है।

टेलीफोन जिलों को बनाने के बारे में अभी तक जो मानदण्ड अपनाए जाते हैं, वे यह हैं कि किसी टेलीफोन प्रणाली में कम से कम 10,000 स्थानीय टेलीफोन लाइनें होनी चाहिए। चार टेलीफोन प्रोजेक्ट सर्किल हैं जो कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपये सालाना की वार्षिक लागत पूंजी की परियोजनाओं को पूरा करते हैं। जहां तक डाक-तार सिविल सर्किलों का संबंध है, ऐसे सर्किल 4 या 5 सिविल इंजीनियरी डिवीजनों के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक सिविल इंजीनियरी डिवीजन सालाना लगभग 65 लाख रुपये के भवन-निर्माण-कार्य के लिए मंजूर किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार इन मांगों की जांच कर रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए नए टेलीफोन जिलों आदि की सूची

क्रम संख्या	सर्किल/जिले का नाम	सर्किल/जिले को बनाने की मंजूरी देने की तारीख
1.	जयपुर टेलीफोन जिला	17-1-1972
2.	नागपुर " "	1-1-1972
3.	पटना " "	8-2-1972
4.	कोयम्बतूर " "	23-3-1973
5.	लखनऊ " "	5-6-1973
6.	नई दिल्ली टेकीकाम प्रोजेक्ट सर्किल	10-1-1972
7.	बम्बई " " "	10-1-1972
8.	नई दिल्ली डाक-तार इलैक्ट्रिकल सर्किल	30-8-1972
9.	लखनऊ डाक-तार सिविल सर्किल नं० VI	30-8-1972
10.	भोपाल " " " " नं० VII	13-2-1973

विभिन्न सर्किलों में नए पद बनाना

4812. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार देने हेतु नए पद बनाने की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सर्किल में कितने ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) डाक-तार विभाग ने देश में डाक-तार सेवाओं के विस्तार के लिए एक पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की है। इस विस्तार से रोजगार के लिए अतिरिक्त पद निर्मित होंगे।

(ख) दूरसंचार शाखा में, इससे करीब 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि डाक शाखा में इस योजना से विभागीय कर्मचारियों के तौर पर नियुक्ति के लिए 10,000 अतिरिक्त पदों और विभागेतर कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति के लिए 62,000 अतिरिक्त पदों के निर्माण की संभावना है। इन आंकड़ों का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाया गया है। इनकी सर्किलवार संगणना नहीं की गई है।

देश में उप डाकघरों की मंजूरी देना

4813. श्री नरायण चन्द पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1974 तक, 1973-74 के वित्तीय वर्ष में भारत के विभिन्न राज्यों में, सर्किल-वार, कितने उप डाकघर मंजूर किए गए हैं ;

(ख) इन में से कितने खुल गए हैं ;

(ग) शेष कब तक खुल जाएंगे ; और

(घ) कितने डाकघरों के लिए राज्य सरकार स्थानीय जनता को अलाभकारी कमीशन (एन० आर० सी०) देना होगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो०शेर सिंह) : (क) यह जानकारी नीचे दी जा रही है :—

सर्किल	उप डाकघरों की संख्या		
	मंजूर किए गए	अभी तक खोले गए	नावापसी अंशदान के आधार पर मंजूर किए गए
1	2	3	4
आंध्र . . .	12	11	कुछ नहीं
बिहार . . .	17	7	"
दिल्ली . . .	12	7	"
गुजरात . . .	85	45	"
जम्मू और कश्मीर . .	14	13	"
कर्नाटक . . .	18	8	"
केरल . . .	6	1	"
मध्य प्रदेश . . .	16	11	"
महाराष्ट्र . . .	143	27	"
उत्तर-पूर्वी . .	29	11	"
उड़ीसा . . .	12	7	"
पंजाब . . .	19	14	1
राजस्थान . .	6	3	कुछ नहीं
तमिलनाडु .	114	84	"
उत्तर प्रदेश . .	24	8	1
पश्चिम बंगाल . .	30	20	कुछ नहीं

(ख) यह जानकारी ऊपर कालम 3 में दी गई है ।

(ग) बाकी डाकघरों के वर्ष 1974-75 में खुलने की संभावना है ।

(घ) यह जानकारी ऊपर भाग (क) के उत्तर में कालम 4 में दी गई है ।

हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों में से स्वतन्त्रा सैनानियों को पेंशन देना

4814. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1974 तक हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से प्रत्येक जिले से आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों में से किस-किस से राजनीतिक पेंशन के लिए आवेदन किया है ;

(ख) क्या 28 फरवरी, 1974 तक हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्द फौज के किसी भूतपूर्व सैनिक को पेंशन दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जिला-वार उन के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिन्होंने राजनैतिक पेंशन के लिए आवेदन किया है तथा उनमें से जिनको पेंशन स्वीकृत की गई है उनकी जिलेवार संख्या के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

इन सभी व्यक्तियों के नाम देना संभव नहीं है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया है तथा 28 फरवरी, 1974 तक स्वीकृत पेंशन की संख्या का जिलेवार विवरण ।

क्रम सं०	जिले का नाम	प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	विलासपुर	258	23
2.	चम्बा	26	7
3.	हमीरपुर	391	31
4.	कांगड़ा	1280	138
5.	कुल्लू	10	—
6.	किन्नौर	11	—
7.	मण्डी	237	25
8.	महासू	5	—
9.	शिमला	60	2
10.	सोलन	50	11
11.	सीमूर	18	1
12.	उना	100	24
		2446	262

वर्ष 1973 में अपराध दर में वृद्धि

4815. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में देश में अपराध की दर में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और **(ख)** : सभी राज्यों के वर्ष 1973 के अपराध आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं ।

रांची में उपायुक्त के कार्यालय के ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज का हटाया जाना

4817. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में 2 फरवरी, 1974 को उपायुक्त के कार्यालय के ऊपर से राष्ट्रीय ध्वज उतार लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके स्थान पर सी० आई० टी० यु० का ध्वज लगा दिया गया था ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि राष्ट्रीय इमारतों से राष्ट्रीय ध्वज न हटाये जायें ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 फरवरी, 1974 को कुछ राजनैतिक दलों द्वारा एक सभा में व्याख्यान के दौरान रांची में कलेक्टर के कार्यालय के भवन से राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ध्वज फहराया गया था । स्थानीय प्राधिकारियों ने घटना की सूचना मिलते ही तुरन्त राष्ट्रीय ध्वज पुनः लगा दिया था । राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोक अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है तथा उसकी जांच हो रही है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रान्तीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिये आरक्षण

4818. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया फेडरेशन आफ स्टेट्स सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसोसियेशन के अध्यक्ष ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रान्तीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिये आरक्षण सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को शीघ्र ही स्वीकार करें ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के लगभग 8,000 अधिकारियों में उनके कई वर्षों के सेवा काल के बावजूद उच्च पदों पर पदोन्नतियों के अवसरों के अभाव के कारण निराश है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार को राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा ऐसोसिएशन्स की अखिल भारतीय संघ की 20 जनवरी, 1974 को बम्बई में पांचवें वार्षिक सम्मेलन में पारित संकल्प की एक प्रति मिली है, जिसमें अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में श्रेणी-II से श्रेणी-I में 40 प्रतिशत तक पदोन्नति कोटे को बढ़ाने

के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को राज्य सिविल सेवाओं के संबंध में लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी-I पर लागू होती है । तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी विभिन्न स्तरों के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों के प्रश्न पर कुछ सिफारिशें की हैं । राज्य सिविल तथा अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासन सेवा के पदोन्नति कोटे को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रश्न पर, सभी अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी-I के पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के सामान्य प्रश्नों के साथ विचार किया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिश पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस मद पर भारत सरकार के पास कोई भी निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र से फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग

4819. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीविजन केन्द्र पर फारसी मिश्रित उर्दू के बढ़ते हुए उपयोग के कारण टेलीविजन देखने वाले, विशेषतया युवा पीढ़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राधिकारियों के सरल, स्पष्ट तथा प्रचलित हिन्दुस्तानी का प्रयोग करने के लिये कहने का है जिससे प्रत्येक दर्शक कार्यक्रम को समझ सके तथा आनन्द उठा सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : दिल्ली टेलीविजन केन्द्र अपने कार्यक्रमों में फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग नहीं करता । यह क्षेत्र में लोगों द्वारा सामान्यत: समझी जाने वाली सरल हिन्दी का प्रयोग करता है ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ करार

4820. **श्री राम प्रकाश :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : } क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ हाल ही में करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के सम्बन्ध में सहयोग करने के लिए भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणराज्य के मध्य एक करार विद्यमान है । जर्मन संघीय गणराज्य के राज्य मंत्री डा० एच० एच० हांसचिल्ड ने 6 फरवरी, 1974 को जर्मनी की न्यूक्लीय अनुसंधान संयंत्र ज्यूलिख लिमिटेड तथा भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के मध्य हुए करार के अन्तर्गत एक सहायक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये थे ।

(ख) इस सहायक व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. न्यूक्लीय अनुसंधान एवं न्यूक्लीय ऊर्जा के विकास के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों में सहयोग करना, जिनमें वैज्ञानिक परियोजनाओं को आपस में मिलाकर कार्यान्वित करना भी शामिल है ।

2. अवर्गीकृत सूचना का आदान-प्रदान ।

3. वैज्ञानिकों का विनिमय ।

4. संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित करना ।

त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना

4821. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये त्रिपुरा के आदिवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख): तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं ।

Alleged Protest by Priest and Nuns of Kerala against the Church of Kerala.

4823. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :**

(*a*) whether Governments attention has been drawn to a news-item in a Bombay weekly on the 28th April, 1973 under the heading kerala men Church ke Virudh priest tatha nuns ka virodh (Priest and Nun's protest against the Church in Kerala) ; and

(*b*) the charge slevelled therein and the reaction of Government to each of those charges ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) Government have seen the relevant news-item published in the Blitz dated the 28th April, 1973.

(*b*) Allegations haven been made in regard to the structure, religious practices, misused of funds, etc. in Catholic Church in Kerala and also against priets violating the foreing exchange regulations. Most of these allegations relate to the internal matters of the Church. As no specific allegations have been made in regard to violations of foreign exchange regulations it has not been possible to make an enquiry.

चौथी योजना की अवधि में बिहार में उद्योग

4824. **श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें चौथी योजना अवधि के दौरान लाइसेंस दिये गये तथा वह किस अवस्था में हैं;

(ख) क्या बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) : अप्रैल, 1969 से मार्च, 1974 के मध्य तक बिहार में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये 811 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे । वे निम्नलिखित उद्योगों के लिये थे :—

सीमेंट	उर्वरक
चीनी मिट्टी की वस्तुयें	खाद्यपरिष्कार उद्योग औद्योगिक मशीनें
रसायन (विस्फोटक) विविध	धातु कार्मिक उद्योग कागज और
रसायन कोयला, बिजली के केबल	लुगदी रबड़ का माल
और तार (फर्मेंटेशन)	वनस्पति ।
उद्योग	

इनमें से 9 बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के लिये थे विशेष योजनाओं जैसे पंजीगत राज्य सहायता और रियायती दर पर संस्थागत वित्त व्यवस्था करने का काम 1969 से लागू किया गया है ताकि पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास किया जा सके । आशा की जाती है कि इन योजनाओं का इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर कुछ प्रभाव पड़ेगा । किंतु प्रमुख कठिनाई इन क्षेत्रों में प्रर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं जैसे परिवहन की उपलभ्यता, बिजली, पानी आदि का अभाव होने की है जिनको मुहैया करने के लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने की आशा है ।

अखबारी कागज की कमी होने के बाद अखबारी कागज का कोटा आबंटित किये गये नये दैनिक तथा पाक्षिक समाचार पत्रों की संख्या

4825. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की कमी होने के बाद राज्यवार कुल कितने नये दैनिक तथा पाक्षिक समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का कोटा आवंटित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक समाचार-पत्र को इस समय कितनी बिक्री हो रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) : 1973-74 के लाइसेंसिंग वर्ष में चालू हुए उन नये दैनिक और पाक्षिक समाचारपत्रों जिनको इस अवधि के लिये अखबारी कागज का कोटा दिया गया तथा उन दैनिक और पाक्षिक समाचारपत्रों जिनको लाइसेंसिंग वर्ष 1973–74 में पहली बार अखबारी कागज का कोटा दिया गया, की राज्यवार कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6556/74]

(ख) उपरि उलिखित समाचारपत्रों की उनके प्रकाशकों ने अखबारी कागज के कोटे के लिये आवेदन पत्रों में जितनी खपत संख्या का दावा किया या अनुमान बताया (**प्रस्ताविक प्रकाशनों के मामले में**) उसको दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6556/74]।**

आई० ई० एस० और आई० एस० एस० के अधिकारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन

4826. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ई० एस० और आई० एस० एस० के अधिकारियों की वरिष्ठता में प्रायः परिवर्तन होता रहता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या वरिष्ठता को चुनौती देने वाले कुछ मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : आई० ई० एस० तथा आई० एस० एस० के किसी अधिकारी की किसी भी ग्रेड में, उस ग्रेड में पहले से ही पदस्थ अधिकारियों के साथ वरिष्ठता, एक बार उस पर लागू होने वरिष्ठता के सिद्धांतों के अनुसार निश्चित होने जाने पर, नहीं बदलती । किंतु, पदक्रम सूची में अधिकारी की स्थिति, उस ग्रेड में सीधी भर्ती के व्यक्तियों, विभागीय उम्मीदवारों आदि की बाद में होने वाली नियुक्तियों के परिणामस्वरूप बदल सकती है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) सरकार की ओर से, मामलों की प्रतिरक्षा की जा रही है । यदि आवश्यक हुआ, तो दोनों सेवाओं के अधिकारियों की वरिष्ठता निश्चित करने के लिये निर्धारित विद्यमान सिद्धांतों की, इन मामलों में अंतिम निर्णयों को देखते हुए, समीक्षा की जायगी ।

विशाखापटनम में प्रैस सूचना ब्यूरो

4827. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम में कोई प्रैस सूचना ब्यूरो नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार चालू वर्ष में कार्यालय खोलना आवश्यक समझती है; और

(ग) क्या सरकार केंद्रीय सरकार के उपक्रमों के शहर तथा नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में विशाखापटनम के महत्व से अवगत है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : निस्सन्देह सरकार विशाखापटनम के महत्व से परिचित है परन्तु प्रैस इन्फारमेनशन ब्यूरो का कोई कार्यालय खोलने का मुख्य मापदण्ड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों की संख्या या क्षेत्र का सामान्य पिछड़ापन या दूरस्थता है । दोनों ही बातों से विशाखापटनम में प्रैस इन्फारमेशन ब्यूरो का कार्यालय खोलना संभव नहीं है।

पांचवीं योजना के दौरान राज्यों को अनुदानों सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

4828. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार पांचवीं योजना के दौरान राज्यों को ब्लाक ऋण/अनुदान संबंधी देने की अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लाभ के लिये नई पद्धति प्रतिपादित की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन तथा प्रणाली के सूत्र (फारमूला) के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् की आगामी बैठक में निर्णय लिया जायेगा।

आसाम राज्य में भड़काने वाले एजेंटों की घुसपैठ

4829. **श्री राम भगत पासवान**
श्री हुक्म चन्द कछवाय : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सीमा पार से आसाम के कुछ सामरिक महत्व के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नियमित रूप से भड़काने वाले एजेंटों की हो रही घुसपैठ के समाचारपत्रों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस संबंध में कुछ प्रैस रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) असम सरकार द्वारा की गई विस्तृत जांच-पड़ताल से असम में भड़काने वाले एजेंटों की पड़े पैमानों पर किसी घुसपैठ का पता नहीं लगा है। फिर भी, सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।

अवर सचिवों और उप-सचिवों के पदों पर पदोन्नति के लिये पेनल

4830. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवर सचिवों और उप सचिवों के पदों पर पदोन्नति के लिये प्रत्येक वर्ष पैनल तैयार किया जाता है लेकिन इन पदों पर चुने गये अभ्यर्थियों को नियुक्त करने में महीनों लग जाते हैं ;

(ख) क्या अधिकांश व्यक्तियों को जिन मंत्रालय/कार्यालयों में पद रिक्त होते हैं उनमें पदोन्नत न कर उनके अपने मंत्रालयों में पदोन्नत किया जाता है; और

(ग) क्या पदोन्नत किये गये अधिकारियों को वही काम दिया जाता है जो वे पहले से करते आ रहे होते हैं; यदि हाँ, तो प्रत्येक पदोन्नति के साथ काम के स्वरूप में परिवर्तन के अवसरों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अवर सचिव और उप सचिव के स्तर पर नियुक्ति के लिये तैयार की गई प्रवर सूचियों में शामिल

किये गये केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को इन पदों पर, जब कभी उनके लिये उपयुक्त रिक्तियां प्राप्त होती हैं, नियुक्त किया जाता है ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार में अवर सचिव और उप सचिव के पद, किसी सेवा विशेष के सदस्यों के लिये आरक्षित नहीं हैं केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें अवर सचिव तथा उप सचिव के स्तर पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त ठहराया गया है, उनके अनुभव तथा उनकी उपयुक्तता के आधार पर ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाता है । कभी-कभी उसी मंत्रालय/विभाग में पदासीन अधिकारियों को, उनके अनुभव तथा उपयुक्तता के आधार पर उनकी पदोन्नति के बाद भी संबंधित मंत्रालय/विभाग में ही रखा जाना अधिक उपयुक्त पाया जाता है । फिर भी, यदि कार्य के हित में ऐसे अधिकारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरण किया जाना अपेक्षित समझा जाय तो ऐसा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

केन्द्रीय सचिवालय में सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

4831. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 3 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना संख्या 6 (28)/72-सी० एस० (I) के अनुसार केंद्रीय सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के लिये सहायक की अर्हक सेवा 22 वर्ष निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो केंद्रीय सचिवालय में ऐसे सहायकों की संख्या कितनी है जिन्होंने उस ग्रेड में 22 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जो अब भी सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में लिखा है कि अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के लिये सहायक के रूप में 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिये; और यदि हाँ, तो इस नियम को सहायकों के मामले में, जो 'लेंग्थ आफ सर्विस ग्रुप' के हैं, लागू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे सभी सहायकों को पदोन्नत करने के लिये, जिन्होंने 15 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत के लिए सेवा की अवधि (लेंथ आफ सर्विस) से वरिष्ठ सहायकों के दावों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान । इस अधिसूचना में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रिक्तियों में लम्बी सेवा के वर्ग में सहायकों की पदोन्नति के लिये 22 वर्ष की (लगातार) अर्हक सेवा निर्धारित की गई है ।

(ख) 1-1-1974 को 297 ।

(ग) केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में, यह व्यवस्था है कि वरिष्ठता के कोटे में अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये सहायक के पद पर कम से कम आठ वर्ष सेवा होनी चाहिये । इस कोटे में पदोन्नति का मानदण्ड, अयोग्य को रद्द करने के

अध्यधीन वरिष्ठता है । इस व्यवस्था के अधीन सेवा की अवधि वाले ग्रुप को वरिष्ठता सूची में उनका स्थान नीचे होने के कारण कोई लाभ नहीं मिलता।

(घ) अनुभाग अधिकारी के पद पर सहायकों की शीघ्रता से पदोन्नति करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती के लिये पदों के कोटे को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से घटाकर $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में प्रवर सूची के पदों का 28 प्रतिशत का अलग कोटा उन सहायकों की पदोन्नति के लिये निर्धारित किया गया है, जो सहायकों के ग्रेड में लगातार 22 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं। अब तक 361 ऐसे सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की जा चुकी है, जिन्होंने सहायक ग्रेड में 22 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है । इस वर्ग के लगभग 100 और अधिकारी 1974 के दौरान पदोन्नत किये जायेंगे ।

(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में ऐसी सभी रिक्तियां, जो प्रवर सूची में सम्मिलित अथवा उसमें शामिल किये जाने के लिये अनुमोदित किये गये अनुभाग अधिकारियों को समायोजित किये जाने के बाद शेष बचें, अब वरिष्ठता के आधार वाले सहायकों तथा लम्बी अवधि की सेवा वाले सहायकों के सामान अनुपात से पदोन्नत द्वारा भरी जाती है ।

चूंकि सहायक ग्रेड में वरिष्ठता लम्बी सेवा पर आधारित नहीं है, इसलिये इस आधार पर 'वरिष्ठ' सहायकों के किसी दावे को कायम रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूर्य ऊर्जा संस्थान की स्थापना

4832. श्री वी० मायावन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में एक सूर्य ऊर्जा संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) और (ख) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एनसीएसटी) ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) को सुझाव दिया है कि वह अपने पंच वर्षीय योजना प्रस्तावों में सौर-ऊर्जा और वैकल्पिक साधनों को शामिल करे । सौर-ऊर्जा के समस्त पहलुओं और इसके उपयोग का गहराई से अध्ययन करने के लिये एन० सी० एस० टी० ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है । इस दिशा में समिति अगला कार्यक्रम भी सुझायेगी ।

Murder of a Polling Agent in Kohima .

4833. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether a polling agent was murdered in Kohima by certain unknown persons during the recent elections;

(*b*) whether many more such murders were committed during the recent elections; and

(*c*) the full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affirs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) No, Sir.

(*b*) and (*c*) : No such murders have been reported by the Governments of Nagaland, Manipur and Pondicherry during the recent elections. Information in this regard is awaited from the other State Government.

Explosion in Bhavnagar Palace

4834. Shri Chandulal Chandrakar:
Shri Prasannbhai Mehta : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it has come to the notice of Government that the explosion in Bhavnagar palace has destroyed the entire building;

(*b*) if so, whether Government have ascertained the causes thereof;

(*c*) the number of guilty persons apprehended in this connection; and

(*d*) the extent of loss of life and property caused thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) to (*d*) : The required information is being obtained from the Government of Gujarat and will be laid on the Table of the Lok Sabha on its receipt.

Demonstration by Citizens of Ansari Road Outside Daryaganj Police Station

4835. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether some citizens of Ansari Road (Delhi) demonstrated outside Daryaganj Police Station and the office of the Superintendent of Police on 1st March, 1974 in protest against increasing hooliganism in that area and inaction on the part of police;

(*b*) whether police did not take any action in this connection so far; and

(*c*) whether goonda elements indulge in teasing girls ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) Yes Sir. On 1st March, 1974, a complaint in a case of theft and house-trespass accompanied by some other persons met the Superintendent of Police, Central District. While passing in front of Police Station Darya Ganj. these persons raised slogans demanding action against the accused in this case.

(*b*) A case of theft and house-trespass has been registered and two accused have been arrested.

(*c*) The complaint had alleged only theft and house-trespass and he did not make any allegation of teasing girls.

आई० पी० एस० अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

4836. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में भ्रष्टाचार, कदाचार के संबंध में उनके मंत्रालय के अन्तर्गत केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मंत्रालय को इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के कुछ आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच करने के लिये केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्य सरकारों से सात मामले प्राप्त हुए हैं ।

(ख) एक मामले में अधिकारी पर मुकदमा चलाने का प्रश्न विचाराधीन है, तथा अन्य 6 मामलों में जांच पड़ताल को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) जी हां, श्री मान् ।

कलकत्ता में आकाशवाणी के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायत

4837. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को हाल ही में आकाशवाणी, कलकत्ता के कार्यकरण, विशेषकर समाचार अनुभाग' के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शिकायतें निम्नलिखित बात के बारे में थी :—

(1) आकाशवाणी, कलकत्ता से 8 फरवरी, 1974 को रात्रि 7 बजकर 50 मिनट पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बलेटिन में यूथ कांग्रेस और छात्र परिषद् द्वारा आयोजित प्रदर्शन के बारे में रिपोर्ट का शामिल न किया जाना, और

(2) आकाशवाणी, कलकत्ता द्वारा 15 जनवरी, 1974 को जूट मजदूरों की हड़ताल के बारे में तथाकथित गलत समाचार का प्रसारण ।

उड़ीसा के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना

4838. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 1000 करोड़ रुपये के न्यूनतम परिव्यय की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त मांग को स्वीकार करते समय राज्य की अत्यन्त निर्धनता एवं पिछड़ेपन पर विचार किया है; और

7—210LSS/74

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उनका अंतिम निर्णय क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : जी, नहीं। उड़ीसा सरकार ने 368 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अपनी पांचवीं योजना प्रारूप में भेजे थे। जिन पर सर्वप्रथम विभिन्न कार्यकारी दलों द्वारा, जिनमें योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे, और अंत में राज्य के राज्यपाल द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उड़ीसा सहित, राज्यों की पांचवीं योजनाओं के आकार तथा कार्य-क्रमों को अंतिम रूप राज्य सरकारों के साथ हुए विचार-विमर्श तथा छटे वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार के निर्णय और राष्ट्रीय विकास परिषद् के फारमूले के आधार पर निर्धारित की जाने वाली केंद्रीय सहायता की मात्रा और बाजार ऋण आवंटनों के आधार पर किया जायगा।

उड़ीसा की पांचवीं योजना को अंतिम रूप देते समय, उस राज्य के उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत, वहां के अपेक्षाकृत आर्थिक पिछड़ेपन पर वांछित ध्यान रखा जायगा।

पांचवीं योजना में उड़ीसा का विकास

4839. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण हेत सर-कार की कोई ठोस योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) : उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में पांचवीं योजनावधि में स्थापित की जाने वाली केंद्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के नामों उनके स्थापना स्थलों और परिव्ययों (जहां तक निर्णय लिया जा चुका है) को ड्राफ्ट फिफ्थ प्लान डाकुमेंट (पांचवीं योजना के प्रारूप प्रलेख) (वाल्युम-II) के पृष्ठ 151-155 पर दर्शाया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के लिये योजना आयोग द्वारा बड़े और मझौले उद्योगों के लिये गठित अध्ययन दल ने नीचे दिये गये प्रस्तावित औद्योगिक कार्यक्रमों को जिनका पांचवीं योजना में क्रियान्वयन किया जाना है के लिये पांचवीं योजना 10.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है :—

(1) राउरकेला की योजना पूर्ण करने के अलावा भुवनेश्वर, पाराद्वीप और तलचर में नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना;

(2) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना :—

(क) हीरा सीमेंट वर्क्स

(ख) ईस्टकोस्ट ब्रुवरीज ऐंड डिस्टिलरीज

(ग) कलिंग आइरन वर्क्स स्पन पाइप प्लान्ट ऐंड फाउंड्री,
(घ) ईंगाट कास्टिंग प्लान्ट, हीराकुंड,
(ङ) खोपोरजी प्लान्ट, हीराकुंड,
(च) क्रोमे केमिकल्स,
(छ) कैल्शियम कार्बाइड प्लान्ट,
(ज) टायर ऐंड ट्यूब फैक्टरी,
(झ) पथेरी वैण्डियम,
(ञ) जूट मिल,
(ट) इलेक्ट्रोलिटिक मैगनीज ड्राई आक्साईड,
(ठ) पेपर प्लान्ट,

(3) बड़े और मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;
(4) औद्योगिक सम्बर्धन और विनियोजन निगम के माध्यम से निवेश;
(5) विद्यमान विभागीय एककों को मिलाकर कपड़ा निगम स्थापित करना ।

गोपालपुर (उड़ीसा) में रेयर अर्थ (दुर्लभ मिट्टी) फैक्ट्री

4840. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोपालपुर (उड़ीसा) में "रेयर अर्थ" (दुर्लभ मिट्टी) फैक्ट्री लगाने का काम वर्ष 1974 में आरम्भ हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कुशल और अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता हो ी ; और

(ग) उक्त काम कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाले एक सरकारी उपक्रम इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड द्वारा दिया गया इस आशय का एक प्रस्ताव कि उड़ीसा के गोपालपुर जिले में समुद्र तट पर पाये जाने वाले खनिज रेत के भंडारों पर आधारित एक औद्योगिक सम्मिश्र की स्थापना की जाये, भारत सरकार के विचाराधीन है । इस परियोजना के अन्तर्गत, एक विरल मृत्तिका संयंत्र लगाने की भी परिकल्पना की गई है । सम्मिश्र पर होने वाले सम्भावित पूंजीगत व्यय, इसके परिणामस्वरूप मिल सकने वाले रोजगार तथा इसके आर्थिक पहलूओं आदि का अध्ययन किया जा रहा है तथा उस अध्ययन के पूरा होने पर ही सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले सकेगी । इस कारण से, यह बता सकना कि इस सम्मिश्र से कितने लोगों को रोज़गार मिल सकेगा, इस पर कब कार्य शुरू किया जायेगा, आदि अभी सम्भव नहीं है ।

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में स्वतंत्रता सैनानियों के सम्मुख कठिनाइयां

4841. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मामलों में कोई निर्णय नहीं किया गया है जहां स्वतंत्रता सेनानी (एक) जेल प्रमाण-पत्र और (दो) सहयोगी बन्दी, जो संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य हैं, का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन प्रमाण-पत्रों के अभाव में वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किए हैं, बहुत कठिनाई हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) से (घ): यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी जेल प्रमाणपत्र अथवा किसी संसद सदस्य/विधायक (वर्तमान अथवा भूतपूर्व) से सहबन्दी प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की सत्यापान रिपोर्टों को ध्यान में रख कर उसके मामले पर विचार किया जाता है । जो स्वतंत्रता सेनानी अपेक्षित सबूत प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं उनके मामलों की संवीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को राज्य/जिला स्तर पर समितियां स्थापित करने की सलाह भी दी गई है । इन समितियों की सिफारिशों पर यथोचित विचार किया जाता है ।

क्षेत्रीय परिषद् में महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर चर्चा

4842. **श्री बी० वी० नायक** : क्या गृह मंत्री सीमा विवादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् बनाने के प्रस्तावों के बारे में 27 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की चर्चा किस क्षेत्रीय परिषद में की जाएगी और पीड़ितों की शिकायतें दूर की जाएंगी ; और

(ख) उक्त क्षेत्रीय परिषद या परिषदों ने हाल की महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा सम्बन्धी गड़गड़ के बाद पीड़ितों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख):जबकि किसी सीमा विवाद से सम्बन्धित किसी मामले पर क्षेत्रीय परिषद में विचार किया जा सकता है, फिर भी उस परिषद द्वारा विचार किए जा सकने से पूर्व किसी सदस्य राज्य द्वारा इसे औपचारिक रूप से परिषद के समक्ष लाना पड़ता है । किन्तु, अभी तक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व है, अथवा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, जिसमें कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व है, के किसी सदस्य राज्य द्वारा अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । जब कभी दोनों क्षेत्रीय परिषदों में से किसी एक के समक्ष मामला आता है तो उस परिषद में प्रतिनिधित्व न करने वाले राज्य के प्रतिनिधि को नियमों के अनुसार विचार-विमर्श में शामिल किया जा सकता है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4843. **श्री बी० वी० नायक**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालयाधीन कौन-कौन से सरकारी क्षेत्रीय उद्योग हैं ;

(ख) इनमें से कौन-कौन से लाभ कमा रहे हैं ;

(ग) कौन-कौन से घाटे पर चल रहे हैं ; और

(घ) प्रत्येक की कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। [(ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 6557/74)]।

गैर सरकारी उद्योग को रियायतें

4844. **श्री बी० वी० नायक : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि, बिजली कच्चे माल के बारे में तथा अन्य प्रकार की गैर सरकारी उद्योग को दी जाने वाली रियायतों का बाजार दर के आधार पर पूंजीगत मूल्य निकाला गया है ;

(ख) यदि हां तो यह कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस कार्य को निकट भविष्य में आरम्भ किया जाएगा ताकि गैर-सरकारी उद्योग तथा जन साधारण को पता चले कि इसको कितना संरक्षण प्राप्त है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) उद्योगों को भूमि, पानी, बिजली आदि की रियायती दरें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की जाती है तथा इन रियायतों का पूंजीगत मूल्य निर्धारण केन्द्र द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि ये क्षेत्र राज्य सरकार के दायित्व और प्राधिकार में आते हैं। कच्चे माल की सप्लाई करने में प्रणाली-कृत चीजों का निर्यात करने वाले एककों की मूल्य निर्धारण नीति के अलावा कोई रियायत नहीं दी जाती।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

मूल्य-वृद्धि की समस्या

4845. **श्री बी० एस० मूर्ति : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ देश में मूल्य-वृद्धि की समस्या पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : विगत कुछ समय से मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि की समस्या पर योजना आयोग बहुत चिन्तित है। मूल्यों में आगे और वृद्धि रोकने के लिए भारत सरकार ने योजना आयोग तथा सम्बन्धित विभागों के सहयोग से अनेक कदम उठाए हैं, जिनकी घोषणा कई बार सदन में की जाती रही है।

मूल्य-स्थिति पर सरकार बराबर नजर रख रही है तथा आगे और कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

गणतन्त्र दिवस तथा महात्मा गांधी शहीद दिवस पर अमदाबाद में कर्फ्यू

4846. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 1974) तथा माहत्मा गांधी शहीद दिवस (30 जनवरी, 1974) को करफ्यू लगा हुआ था ; और

(ख) क्या अहमदाबाद के लोगों से गांधी जी की पुण्य तिथि पर सार्वजनिक प्रार्थना सभाएं आयोजित न करने के लिए विशेष रूप से कहा गया था ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

गुजरात सरकार में मुख्य सचिव को जबर्दस्ती छुट्टी पर भेजना

4847. **श्री पी०जी० मावलंकर**
श्री प्रसन्नभाई मेहता
} क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1974 को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा जबर्दस्ती एक महीने की छुट्टी पर भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्कालीन मुख्य मंत्री को ऐसी कार्यवाही करने हेतु किन कारणों ने प्रेरित किया ;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या उक्त मुख्य सचिव पुनः काम पर आ गए हैं और यदि हां, तो कब और किस पद पर ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव दिनांक 28 **जनवरी,** 1974 से तत्कालीन राज्य सरकार की इच्छा पर छुट्टी पर चले गए। अखिल भारतीय **सेवाएं** (छुट्टी) नियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन, राज्य सरकार राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में **सेवा** कर रहे, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की छुट्टी मंजूर करने में सक्षम है। इसके लिए इसे केन्द्रीय सरकार को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) जी हां, श्रीमान्। भूतपूर्व मुख्य सचिव ने अपनी छुट्टी की समाप्ति पर दिनांक 27 फरवरी, 1974 को फिर से कार्य ग्रहण कर लिया और उन्हें गुजरात औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष के पद पर तैनात कर दिया गया है। यह पद मुख्य सचिव के पद के समकक्ष है।

दिल्ली टेलीविजन पर इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए पत्रकार

4848. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में दिल्ली टेलीविजन पर पत्रकारों से इन्टरव्यू किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन से और उनको कैसे कार्यक्रम दिखाए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1973 के दौरान दिल्ली टेलीविजन केन्द्र पर जिन पत्रकारों का इन्टरव्यू लिया गया उनके नाम और इन्टरव्यू के विषय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 6558/74]।

अहमदाबाद में डाक और तार उपकरणों तथा आवास की अपर्याप्तता

4849. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार में अहमदाबाद में डाक और तार उपकरण तथा आवास अपर्याप्त और असन्तोषजनक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : जहां तक डाकघर उपकरण और जगह का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है :––

अहमदाबाद शहर में 81 डाकघर हैं, जिनमें 3 मुख्य डाकघर और 78 उप डाकघर हैं। डाकघर उपकरण पर्याप्त मात्रा में हैं। तीनों मुख्य डाकघर विभागीय इमारतों में काम कर रहे हैं, जहां काम के लिए जगह पर्याप्त ही है। जगह की कोई ज्यादा कमी नहीं। अलबत्ता एक विभागीय इमारत में खुले उप डाकघर में जगह की कमी जरूर है, जिसके लिए इमारत का विस्तार करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है। किराए की जिन इमारतों में जगह कम है, उनकी एवज में ज्यादा जगह वाली इमारतें किराए पर हासिल करने के लिए अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक दूरसंचार उपकरण और जगह का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है :––

सांधन अपर्याप्त होने और उत्पादन क्षमता सीमित होने के कारण देश के अन्य स्थानों की तरह अहमदाबाद में भी उपस्कर की कमी है। जगह की कमी दूर करने के लिए मौजूदा इमारतों का विस्तार करने और नई इमारतें तैयार कराने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। साधनों की कमी की वजह से निश्चित की गई सीमाओं के अन्तर्गत यथासम्भव टेलीफोन प्रणाली की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

Screening of a Documentary Film in Cinema Houses in Uttar Pradesh by Film Division

4850. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(*a*) whether during the recent elections in Uttar Pradesh the Films division screened a documentary film of 15 minutes duration in the cinema houses which mainly gave publicity to the Ruling Congress Party:

(*b*) whether the voters were sought to be influenced through that film by the slogans like 'Desh Ki Neta Indira Gandhi; 'Bharat Nari Jindabad' ;

(*c*) if so, whether it is proper for the Films Division to make such election propaganda in favour of a particular party; and

(*d*) if not, the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) (*a*) and (*b*) : No, Sir.

(*c*) No film, produced by Films Division, propagates in favour of political parties.

(*d*) Does not arise.

Pay Fixation of Employees in Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi.

4851. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether some of the employees working in the Khadi Bhavan, New Delhi have been deprived of special benefits accruing to them as a result of the new pay scales because the Khadi and Village Industries Commission has adopted an arbitrary policy in the matter of bunching etc; and

(b) if not, the basis on which the bunching of pay scales has been done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) (a) No, Sir.

(b) Four scales of pay of Clerks and Salesmen have been merged into two scales with the agreement between Khadi and Village Industries Commission and the General Secretary of the Khadi Gramodyog Bhavan Workers Union, New Delhi.

Reconsideration of Draft Fifth Plan

4852. Shri Phool Chand Verma
Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reconsider the Draft Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) : In the light of the oil crisis and the trends in prices both in the country and abroad, necessary exercises are undertaken by the Government and due adjustments may be made accordingly.

पांचवी योजना में कृषि पर आधारित लघु उद्योग

4853. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पांचवी योजना में लघु उद्योगों के विकास में ग्रामूल परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या इस परिवर्तन से लघु उद्योग कृषि पर ग्राधारित होंगे; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) : पाँचवीं योजनावधि में कृषि आधारित एवं श्रमिक उद्योगों के विकास को प्रमुखस्थान दिया जा रहा है। कृषि ग्राधारित उद्योगों के ग्रंतर्गत ग्रनेक वस्तुग्रों के उद्योग जैसे, कृषीय उत्पाद का परिष्करण करने वाले उद्योग अथवा कृषि को आधुनिक रूप देने वाले अत्यावश्यक उत्पाद जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से सम्बन्धित है, आते हैं। कृषि उद्योगों का गहन विकास तथा आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से योजना आयोग तथा कृषि तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाले एक संयुक्त दल ने एक विशाद सूची तैयार की है जिसके ग्रनुसार वे ग्रपने कार्यक्रम बताते हैं। जहां तक ये उद्योग लघु उद्योग की सीमा में ग्राते हैं, इन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

पंजाब के औद्योगिक एककों में कच्चे माल की कमी

4854. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के ग्रौद्योगिक एकक बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पिछली तिमाही के दौरान पंजाब को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं दिया; और

(ग) क्या पंजाब के औद्योगिक एककों को बन्द होने से बचाने के लिए सरकार संरक्षण देने जा रही है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) : जहां तक संगठित क्षेत्र के कारखानों का संबंध है आयातित कच्चे माल का नियतन लाइसेंस क्षमता तथा पिछली खपत के आधार पर किया जाता है न कि क्षेत्रीय आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र के कारखानों को उनके राज्य के उद्योग निदेशक की मारफत नियतन किया जाता है। हांलाकि देश भर में आयातित कच्चे माल की कमी है। फिर भी सरकार की सूचना में ऐसा कोई कारखाना नहीं जो कच्चे माल की कमी के कारण बन्द होने की स्थिति में हो।

पंजाब के उद्यमकर्त्ताओं को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

4855. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार केन्द्र सरकार द्वारा उन सभी उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस जारी किए जाने पर बल दे रही है जिन्हें राज्य में औद्योगिक एकक शुरू करने हेतु आशय पत्र पहले से ही जारी किए जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम):(क) और (ख) आशयपत्रों के औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के प्रश्न पर वहीं विचार किया जाता है जिनमें उद्यमी आशयपत्र की शर्तों का अनुपालन करता है तथा उसकी प्रारंभिक वैद्यता की अवधि के भीतर ही विदेशी सहयोग पूंजीगत माल के आयात जहां कहीं भी जरूरी हो, आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देता है। औद्योगिक स्वीकृति प्रक्रिया के सुप्रवाही बनाए जाने तथा विलम्ब दूर करने की दृष्टि से अब आशयपत्र स्वयमेव बाद की अंतिम अनुमति दिए जाने पर औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये अनुमतियां विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत माल के संबंध में दी जाती हैं। सरकार समय समय पर राज्य सरकार के परामर्श से जहां कहीं भी वह आवश्यक हो, विभिन्न उद्योगों के आशयपत्रधारियों द्वारा की गई प्रगति तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का निर्धारण करने तथा तेजी से कार्यान्वयन करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सामान्यतया दूर करने के उद्देश्य से, पुनरीक्षण करती रही है।

आशय-पत्रों/लाइसेंसों का जारी किया जाना

4856. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 से 1 जनवरी, 1974 तक राज्यों की विभिन्न फर्मों को मदवार कितने आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जनवरी, 1973 से पहली जनवरी, 1974 तक की अवधि में विभिन्न उद्यमियों को दिए गए आशय-पत्रों तथा औद्योगिक

लाइसेंसों (उद्योगक्रम तथा राज्य क्रम से) की संख्या दर्शाने वाले दो विवरण संलग्न हैं। [(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6559/74)]

उत्तर प्रदेश के चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग

4857. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1974 के बम्बई के एक सप्ताहिक में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अरब राज्य ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में काफी धन झोंका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तथ्यों का पता लगाया है और वह धन प्राप्तकर्ता व्यक्तियों तथा पार्टी के नाम बताने को तैयार हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र

4858. **श्री राजदेव सिंह**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत नवम्बर में दिल्ली में चालू किए गए भारत के प्रथम प्रायोगिक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र के कार्य और परिणाम उत्साहजनक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं और भविष्य में वाणिज्यिक आधार पर किए जाने वाले प्रयोगों का ब्योरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। दूर संचार अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली में 2 नवम्बर, 1973 को चालू किए गए छोटे प्रायोगिक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज पर किए गए परीक्षणों और लेबोरेटरी प्रयोगों से उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं।

(ख) परीक्षण और प्रयोगों से यह मालूम हुआ है कि (i) अपने यहां के ट्रंक यातायात के निपटारे के लिए स्वदेशी डिजाइन वाली यह प्रणाली काफी अच्छी है ;

(ii) इसका आगे और विकास कर देश की टेलीफोन प्रणाली के लिए इससे इलेक्ट्रानिक स्विचिंग के लाभ सफल ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं।

दिल्ली में मौजूदा स्टेप-बाइ-स्टेप और क्रासवार एक्सचेजों के साथ इस प्रायोगिक एक्सचेंज को चलाने के लिए आगे और परीक्षण और लेबोरेटरी प्रयोग करने की योजना है। इन परीक्षणों से जो नतीजे निकलेंगे उनका उपयोग इससे भी बड़े एक्सचेंज की डिजाइन में किया जाएगा जिसे व्यावसायिक तौर पर 1976 के अन्त तक चालू करने की योजना है।

स्वदेशी जानकारी का कम उपयोग

4859. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम के माध्यम से सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में मुख्य कमी स्वदेशी जानकारी के कम उपयोग की रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी अनुसंधान और विकास में विश्वास की कमी ही कम उपयोग का मुख्य कारण है या इस के लिए कोई अन्य कारण उत्तरदाई है, और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने का है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं। स्वदेशी जानकारी के उपयोग की मात्रा काफी अच्छी रही है, परन्तु इसमें वृद्धि की गुंजाइश है।

(ख) और (ग). स्वदेशी प्रोद्योगिकी के विकास तथा उसके प्रयोग को सरकार बहुत अधिक महत्व देती है। इसी दृष्टिकोण से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना का निर्माण किया गया है जिसमें इस कठिन तथा जटिल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा।

भारत और बलगारिया में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये समझौता

4860 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या भारत और बलगारिया वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर दिनांक 5 मार्च, 1974 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) समझौते में कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है :––

(i) वर्ष 1974–75 के दौरान दोनों पक्षों द्वारा मान्य परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों के दलों का आदान प्रदान। परियोजनाओं की एक सूची सहयोगी संस्थानों के साथ और प्रत्येक पक्ष के लिए आदान प्रदान किए जाने वाले वैज्ञानिकों की संख्या कार्यक्रम में निर्दिष्ट की गई है।

(ii) संबंधित संस्थाओं के मध्य पारस्परिक हितों के अन्य क्षेत्रों और कार्यक्रम में शामिल किए गए प्रोजेक्टों के क्षेत्र में तकनीकी सूचना और प्रलेखों का आदान प्रदान करना।

(iii) पारस्परिक परामर्श से तय किए गए विषयों पर दोनों पक्ष आपसी समझौते के आधार पर तीन छात्रवृत्तियां प्रत्येक को छत्तीस माह की प्रशिक्षा के लिए प्रदान करेंगे।

(iv) 1975 के मई माह में सोफिया में एडे मैमोइर की सहमति के अनुसार "इंडियन साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डेज़" आयोजित किया जाएगा।

सामान्य और वित्तीय शर्तें वर्तमान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अनुसार होंगी यह वैज्ञानिकों की छः मास तक की भ्रमण अवधि के लिए लाभदायक होगा।

चौथी योजना में औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाना

4861. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के दौरान विलास वस्तुओं के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) चौथी योजना अवधि के दौरान आधार भूत उद्योगों के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) वे आधारभूत उद्योग कौन-कौन से हैं जहां अभी तक परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने पांचवी योजना में आवश्यक वस्तुओं के लिए लाइसेंस देने की नीति में कोई परिवर्तन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग)... 'विलास की वस्तुओं' और 'आधार भूत उद्योगों' के निश्चितरूप से परिभाषित न होने के कारण इन श्रेणियों के बारे में लाइसेंसिंग आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में दिए गए उद्योगों के लाइसेसिंग के आंकड़े रखे जाते हैं। वर्ष 1969–1973 के दौरान जारी किए गए (अनुसूचित-उद्योग-वार) लाइसेंसों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6560/74)।

(घ) और (ङ). औद्योगिक लाइसेंस नीति को पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं और उत्पादन उद्देश्यों के अनुसार बताया जाता है और इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

उद्योगों की स्थापना हेतु पश्चिम बंगाल में कच्चे माल के निक्षेपों का सर्वेक्षण

4862. **श्री इद्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान उद्योगों की स्थापना के हेतु पश्चिम बंगाल में कच्चे माल के निक्षेपों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है?

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे उद्योगों की सूची दी है कि जिसमें वह रुचि रखती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनमें से कुछ उद्योगों का चयन किया है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल राज्य के लिए किन उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ङ) : पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में पांचवीं योजनावधि में लगाए जाने वाले केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के नाम, उनके स्थापना-स्थल और परिव्यय पांचवीं योजना प्रलेख के मसौदे के पृष्ठ 151–155 (भाग–II) (जहां तक निर्णय किए गए हैं) पर दिए गए हैं।

योजना आयोग द्वारा स्थापित बड़े और मध्यम उद्योगों के 'कृतिक दल' ने राज्य सरकारी क्षेत्र के लिए चौथी योजना की औद्योगिक योजनाओं के 1671.72 लाख रुपये के पूंजी-परिव्यय के अतिरिक्त नये प्रसरित (स्पिल ओवर) औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए 2638.62 लाख रुपये के पूंजीपरिव्यय की सिफारिश की थी। पांचवीं योजनावधि में क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित किये जाने वाले नये औद्योगिक कार्यक्रमों में सम्मिलित मुख्य योजनायें निम्न प्रकार हैं :—

दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड, कल्याणी स्पिनिंग मिल्स (विस्तार तथा विविधीकरण), न्यू स्पिनिंग मिल, मशीन द्वारा ईंट बनाना, कूच-बिहार के प्रेस का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, बन्द पड़े हुए और संकटग्रस्त एककों को पुनर्जीवित करना आदि।

राज्य के खान एवं खनिज निदेशालय और जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में विभिन्न औद्योगिक खनिजों की खोज की है और पांचवीं पंचवर्षीय

योजनावधि में भी इस खोज को चालू रखने का प्रस्ताव है। इन खोजों पर आधारित, पश्चिम बंगाल खनिज विकास तथा व्यापार निगम ने निम्नलिखित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कार्यक्रम और योजनायें तैयार की हैं, जिनपर विचार किया जा रहा है :—

(1) पुलिया में उष्मसह ईंटों का बनाना

(2) बीरभूमि में चीनी मिट्टी की वस्तुओं का बनाना

(3) बीरभूमि में चीनी मिट्टी खनन और परिष्करण।

(4) पश्चिमी हतगाचा, बीरभूमि और इन्द्रबील और पुलिया में पत्थर खनन

(5) जयन्ती क्षेत्र और उत्तरी बंगाल में डोलोमाइट का खोदना

(6) पुलिया में क्वाटर्ज का खनन और कांच के अच्छी प्रकार के बर्तन बनाना

(7) सलतोरा और बानकुरा में सजावटी पत्थरों का खनन।

———

केन्द्रीय पुलिस दल पर हुआ व्यय

4863. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61, 1968-69 और 1973-74 में प्रत्येक केन्द्रीय पुलिस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) 1960-61, 1968-69 और 1973-74 में प्रत्येक केन्द्रीय पुलिस दल में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है;

(ग) 1960-61, 1968-69 और 1973-74 में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक केन्द्रीय पुलिस दल के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(घ) प्रथम अप्रैल, 1971 से 20 जनवरी, 1974 तक की अवधि में प्रत्येक राज्य तथा राज्य क्षेत्र में प्रत्येक केन्द्रीय पुलिस दल रखने पर कितना खर्च आया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : केन्द्रीय बल जिनको पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई हैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल है। वर्षवार व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) : संगठन तथा तैनातगी के ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

विवरण

वर्ष 1960-61, 1968-69 तथा 1973-74 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा-सीमा सुरक्षा बल पर किये गये कुल व्यय का विवरण

	1960-61	1968-69	1973-74
सीमा सुरक्षा बल .	*शून्य	26.24 करोड़ रु०	45.90 करोड़ रु०**
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	1.97 करोड़ रु०	13.57 करोड़ रु०	39.44 करोड़ रु०**

*सीमा सुरक्षा बल 1-12-1965 में बना।

**ये वर्ष 1973-74 के संशोधित प्राक्कलन हैं। 1973-74 का वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 1973-74 की समाप्ति के बाद ज्ञात होगा।

पुलिस द्वारा गुजरात में गैस ग्रेनेड (हथगोले) का प्रयोग

4864. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में वर्तमान आन्दोलन के दौरान भीड़ को तित्तर-बित्तर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे एक किस्म के गैस ग्रेनेड के बुरे प्रभाव के कारण स्वास्थ्य समस्यायें पैदा होने का समाचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमार कर देने वाले गैस ग्रेनेड के प्रयोग से मिचलाहट, वमन, गले में दाहक संवेदन, सिरदर्द के रोग लग जाते हैं और बच्चे तो बेहोश भी हो जाते हैं और राज्य में बड़े पैमाने पर एक रोग पैदा हो गया है और यदि हां, तो यह कहां तक सच है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की गैस का प्रयोग बन्द करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना गुजरात से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय सचिवालय के कार्यकरण में सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति

4865. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय के कार्यकरण में बड़े सुधार—बाबू प्रणाली (डेस्क आफिसर सिस्टम) में परिवर्तन—करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने की सिफारिश की थी, और यदि हां, तो उसने मुख्यत: किन परिवर्तनों का सुझाव दिया था;

(ग) क्या सचिवों की समिति ने उक्त परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय संभवत: कब तक कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) : भारत सरकार की शासन व्यवस्था तथा उसकी कार्य विधि पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 14 (1 तथा 2) में बाबू-प्रणाली (डेस्क आफिसर सिस्टम) को लागू करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर सचिवों के एक ग्रुप द्वारा विचार किया गया था और इसके विचारों के आधार पर सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। सरकार का संगत निर्णय जो कि 20-12-1972 तथा 22-8-73 को सदन के पटल पर रखे गए विवरण में शामिल किया गया है, अनुबन्ध में दिया जाता है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6561/74) निर्णय के कार्यान्वयन के लिए एक योजना तैयार की गई थी और इसे आन्तरिक कार्यों के सम्बन्ध में सचिवों की समिति के सामने रखा गया था और जैसा कि इस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी और उपर्युक्त योजना के अनुसार निर्णय के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक आन्तरिक-विभागीय समिति का गठन किया गया है।

Direct Dialling System Between Naugachhia and Bhagalpur, Patna

4866. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether it is proposed to connect the telephone centre at Naugachhia in Bihar with Bhagalpur and Patna by direct dialling system; and

(*b*) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (*a*) No, Sir. There is no proposal at present to link Naugachhia with Bhagalpur and Patna by direct dialling system.

(*b*) Does not arise.

Arrest of Shri Laleng Hegga of Aijal District Under MISA and D.I.R.

4867. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) The crime for which Shri Laleng Hegga of Aijal District in Mizoram had been lodged in Bhagalpur special Central Jail in Bihar State in October, 1972;

(*b*) whether the orders for the release of Shri Hegga were issued on the 18th September 1973 in pursuance of the judgement of Gauhati High Court and immediately thereafter on the 19th September, he was again arrested under Defence of India Rules and MISA and lodged in the aforesaid jail,

(*c*) if so, the reasons therefor and whether Government propose to prosecute him; and

(*d*) whether Government propose to pay family allowance to Shri Hegga ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) According to the information furnished by the Mizoram Government on conviction under Section 25 and 27 of the Arms Act Shri Jaleng Hegga was transferred and admitted in the Bhagalpur Special Central Jail in Bihar State on 16th May, 1973.

(*b*) and (*c*) : On appeal the Gauhati High Court set aside his conviction under Arms Act on 18th September, 1973. While he was in Bhagalpur Jail, his detention under section 3(I)

(a) (ii) of the Maintenance of Internal Security Act, 1971 was ordered by the Mizoram Administration with a view to prevent him from indulging in activities projudicial to the security of the State and the Maintenance of Public order. In accordance with the procedure laid down the Maintenance of Internal Security Act, 1971, his case was refered to the Advisory Board, who confirmed his detention on 25th November, 1973.

(d) The question of payment of family allowance to the detenue is under consideration of the Government of Mizoram.

गुजरात में औद्योगिक एककों में कच्चे माल की कमी

4868. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण गुजरात के औद्योगिक एककों को क्षति हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने गुजरात में उद्योगों के लिए कच्चे माल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की कमी के साथ-साथ देश भर में कच्चे माल की कमी है। इन अवरोधों के बावजूद यह प्रयास किया जाता है कि संगठित व लघु उद्योग क्षेत्र के कारखानों को अपना उत्पादन स्तर बनाये रखने के लिए पर्याप्त कच्चा माल मिलता रहे। देश के अन्य भागों से भिन्न केवल गुजरात में औद्योगिक कारखानों की कठिनाई विशेष की जानकारी सरकार को नहीं है।

एक भाषा-भाषी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को सांविधिक संरक्षण

4869. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भाषा-भाषी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को कोई सांविधिक संरक्षण दिया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के लिए कोई मार्ग-दर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं, और यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है;

(ग) भाषाई अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतों के प्रत्येक मामले में किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं, और

(घ) प्रत्येक मामले में इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भाषाई अल्पसंख्यकों को सभी राज्यों में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु संवैधानिक संरक्षण देने के लिए व्यवस्था की गई है। संरक्षणों की सूची संलग्न विवरण म दी गई है?

(ख) अगस्त 1961 में हुई मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक में शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों, अध्यापकों, राजकीय प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यकों की भाषाओं के प्रयोग, सेवाओं में भर्ती आदि के मामलों में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय निकाले गये थे।

(ग) मोटे तौर पर अल्पसंख्यकों की भाषा के माध्यम से प्राथमिक तथा सैकंडरी स्तरों पर शिक्षा के लिए सुविधाओं की अपर्याप्तता, उस भाषा के अध्यापकों तथा पाठ्य-पुस्तकों की कमी, राजकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा के प्रयोग के लिए सुविधाओं की कमी तथा सेवाओं के लिए भर्ती करने में भेदभाव के सम्बन्ध में शिकायतें हैं।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये अल्प-संख्यकों के आयुक्त इन शिकायतों पर गौर करते हैं तथा उनके निराकरण के लिए उन्हें राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकारों की वास्तविक मामलों में मांगों को पूरा करने के लिए भी प्रयत्न किये जाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है। इन रिपोर्टों को संसद में रखा जाता है तथा उनकी प्रतियां राज्य सरकारों को भी भेजी जाती हैं।

विवरण

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण

राष्ट्रीय एकता की पूर्ण प्राप्ति के लिए लोगों की एकता साथ ही सविधान में समाहित उनकी मूलभूत समानता को भी कार्यरूप में परिणित करना आवश्यक है। संविधान भाषा, संस्कृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सेवाओं में भर्ती, व्यापार तथा वाणिज्य के मामलों में समान अवसर आदि के सम्बन्ध में आवश्यक संरक्षणों की व्यवस्था है।

2. वे अनुच्छेद जिनका भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों के लिए सीधा संबंध है यहां पुन: दोहराये जाते हैं:—

अनुच्छेद 29 (1):———भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा।

अनुच्छेड 30(1):—धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

अनुच्छेद 347:—तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय मान्यता दी जाये।

210LSS/74—7

अनुच्छेद 350:—किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक्क होगा।

अनुच्छेद 350(क):—प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाजात अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाये, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

3. संविधान के वे अनुच्छेद जो सभी नागरिकों को मूल अधिकार जैसे विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद-14), धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद-15), तथा राज्याधीन नौकरी के विषय में समान अवसर (अनुच्छेद-16) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी लागू होते हैं।

350-ख(1):—भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जिन संरक्षणों की इस संविधान के अधीन व्यवस्था की जाये उनसे संबद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना और ऐसी अन्तरावधियों पर उन विषयों के संबंध में, जैसे कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा, और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा।

भगवान महावीर के जीवन पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव

4870. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, महाबीर की 25वीं जन्मशताब्दी के अवसर पर उनके जीवन पर एक फिल्म बनाने का है।

(ख) क्या अनेक जैन संस्थाओं और जैन आचार्यों ने इस प्रकार की फिल्म बनाये जाने का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भगवान महाबीर के जीवन पर 'कुन्दनपुर का राजकुमार' नामक फीचर फिल्म के निर्माण के विरोध स्वरूप अनेक तार प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण एक गैर सरकारी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आशा की जाती है कि फिल्म में जैनियों की भावनाओं का आदर किया जायेगा।

(ग) क्योंकि इस विरोध का प्रस्तावित वृत्तचित्र से भी सम्बन्ध हो सकता है, अतएव, मामले पर विस्तार से विचार किया गया है। सुप्रसिद्ध जैन महानुभावों से परामर्श किया गया है। उन्होंने कहा है कि भगवान महाबीर को जीवित मनुष्य के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, अन्यथा, धार्मिक आधार पर उनके आदर्श या अन्य घटनाओं को चित्रित करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वृत्तचित्र जैन संगठनों की पूरी सहायता और सहयोग से बनाया जा रहा है, स्वाभाविक ही इन पहलुओं का ध्यान रखा जायेगा।

निर्धनता स्तर पर प्रति व्यक्ति आय

4871. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारत में इस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) भारत में प्रति व्यक्ति कितनी आय को निर्धनता स्तर की आय समझा जाता है;

(ग) महाराष्ट्र में वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय औसत तथा निर्धनता स्तर की आय से भी कम है; और

(घ) इन क्षेत्रों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित हाल के वर्षों के अनुमानों की जांच की जा रही है। फिर भी, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा शीघ्र ही तैयार किए गए तत्काल अनुमानों के अनुसार 1972-73 के वर्तमान मूल्यों के अनुसार अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 687.6 रुपये तथा 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 337.5 रुपये थी।

(ख) 1972-73 के मूल्यों, जो कि पांचवीं योजना अनुमानों को तैयार करने के लिए अपनाये गये थे, के आधार पर निम्नतम आवश्यक उपभोग का स्तर 40.6 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निजी उपभोग माना गया है।

(ग) **और** (घ). महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता के स्तर से नीचे हैं। जिन क्षेत्रों में यह जन संख्या रह रही है उन्हें बताया नहीं गया है क्योंकि प्रतिव्यक्ति आय के आंकड़ों की गणना सम्पूर्ण राज्य के लिए की गई है न कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए।

Expenditure on Police Force Requisitioned from Various States for Elections in U. P.

4873. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of States from where the Police Force was requisitioned as also the military-men deployed for elections in Uttar Pradesh; and

(*b*) the expenditure incurred on such deployment of police and military force and by whom it was borne?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (*a*) Police contingents from three States were sent to Uttar Pradesh to assist the State Government in maintenance of Law and Order during elections. No army units were deployed for the elections.

(*b*) Information about the expenditure incurred on the forces requisitioned from the State Governments is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible. As per existing procedure the expenditure on this account would be met by the Government of Uttar Pradesh.

Fifth Plan for Bihar

4874. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether the Bihar Government have submitted the outlines of the Fifth Five Year Plan of the state to him for approval;

(*b*) if so, outlines thereof; and

(*c*) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minster of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (*a*) The Bihar Government has submitted a draft Fifth Five Year Plan for the consideration of the Planning Commission.

(*b*) A Statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library *See*. No. L. T. 6562/74].

(*c*) The Fifth Five Year Plans of States, including that of Bihar, have been discussed at official level in the Working Groups and later with the Chief Ministers/Governors, These are, however, still to be finalised in the light of the formulae for the allocation of Central assistance and market borrowings which may be evolved by the National Development Council.

Eradication of Unemployment During Fifth Plan

4875. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether various State Governments have sent their schemes to eradicate unemployment during the Fifth Five Year Plan;

(*b*) if so, the broad features thereof, State-wise; and

(*c*) the nature of assistance proposed to be given to the State Governments by the Central Government for implementation thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (*a*) Eradication of unemployment is a major objective in the Fifth Five Year Plan. It is expected that considerable employment opportunities will be provided in the various States and Union territories during the Fifth Plan period through the implementation of various plan programmes in the sectors of agriculture, soil conservation, major, medium and minor irrigation, command arear development power generation, large, medium and small scale industries, education, public health etc. However, estimates of employment likely to be generated in various States as a result of the implementation of these schemes are not available. Besides the plan programmes mentioned above, and the employment guarantee scheme formulated by the Maharashtra Government for inclusion in its Fifth Plan proposals, some State Governments made proposals for unemployment eradication.

(*b*) The broad features of the various employment schemes State-wise are given in Annexure 'A' enclosed herewith. [Placed in Library See No. L.T. 6563/74].

(*c*) The Central assistance for these schemes would be available as part of the assistance given for the State Plans in so far as they form part thereof. Except in the case of Maharashtra, no

provision in the State Plan sector has been made for unemployment eradication schemes as such. Five Year Plans of the States are yet to be finalized.

उद्योगों की स्थापना के लिए बिहार से आवेदन पत्र

4876. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री औद्योगिक लाइसेंसों के लिए बिहार से आवेदन पत्रों के बारे में 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 4420 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बिहार राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए नवम्बर, 1973 से अब तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों के लिए आशयपत्र तथा लाइसेंस जारी किए गए हैं, और

(ग) अब भी कुल कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उनके बारे में संभवतः कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) नवम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 की अवधि में बिहार के लिए प्राप्त संपूर्ण आवेदनों में से 31 आवेदन नए उपक्रमों के लिए थे।

(घ) दो आशयपत्र तथा चार अस्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं।

(ग) पच्चीस आवेदन अभी तक अनिर्णीत हैं तथा इन की प्राप्ति तिथियों से 90 दिन की अवधि में इन आवेदनों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार सर्किल में अराजपत्रित कर्मचारियों के कब्जाधीन क्वार्टरों का गिराया जाना

4877. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में, विशेषकर पटना में, बहुत से क्वार्टर, जिनमें से अधिकांश में अराजपत्रित कर्मचारी रह रहे हैं, तुरन्त गिरा दिये जाने के लिए कंडम कर दिए गए हैं;

(ख) क्या ये क्वार्टर पहले राज्य सरकार ने बनाये थे, और डाक-तार विभाग ने उन्हें सीधे राज्य सरकार से खरीदा था;

(ग) क्या कर्मचारी संघ ने स्टाफ क्वार्टरों को कंडम करार देने की इस विवेकहीन नीति का वरोध किया है; और

(घ) कितने क्वार्टर कंडम घोषित किये गये हैं और पूरी किफायत और क्वार्टरों की नितान्त कमी को देखते हुए इन क्वार्टरों को कंडम घोषित करने का क्या औचित्य है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। 257 में से सिर्फ 25 क्वार्टर कंडम किए गए हैं।

(ख) ये क्वार्टर काफी पहले 1918 में बने थे और डाक-तार विभाग के रिकार्डों के अनुसार राज्य सरकार ने ये क्वार्टर बनवाए थे।

(ग) क्वार्टर गिरवाने पर विरोध प्रकट किया गया था। क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों को परेशानी न हो, इसके लिए क्वार्टर गिरवाने से पहले उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह दे दी गई थी।

(घ) 257 क्वार्टरों में से सिर्फ 25 क्वार्टर कंडम किए गए थे। इन्हें कंडम करने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि इनके रख-रखाव पर काफी खर्च आता था और ये इमारतें रिहाइश आदि के लायक भी नहीं थीं। इन पुराने क्वार्टरों को गिराने के बाद, उसी जमीन पर किफायती तौर से बहुमंजिली इमारत बनाकर अतिरिक्त क्वार्टरों का इंतजाम करना संभव हो सका है। क्वार्टरों की कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की भी योजना है।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

4878. **श्री के० मालन्ना : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूंजीगत वस्तुओं की आयात के लिए आवेदन भेजने की सरल बनाई गई प्रक्रिया जनवरी, 1974 से लागू हो गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : पूंजीगत सामान के आयात की सरल प्रक्रिया 1-11-1973 से लागू हुई हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृतियों का सचिवालय बनाया गया है। नई प्रक्रिया में विभिन्न अनापत्तियां जारी करने के लिए कालावधि निर्धारित कर दी गई है। इस नई प्रक्रिया में पूंजीगत सामान के आयात के स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात द्वारा 1-1-1974 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें पूंजीगत सामान तथा मशीन टूल्स के आयात के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण दिया गया था।

डीजल इंजनों का आयात

4879. **श्री के० मालन्ना : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरिन तथा आटोमोटिव टाइप के सम्बन्ध में भी डीजल इंजनों का आयात घट कर नगण्य रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

सामान्य रूप से पूरे इंजनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है किन्तु स्वचालित इंजनों के मामले में कुछ इन्जनों के आयात किए जाने की अनुमति तब दी गई थी जब इन्जनों की सप्लाई देश में नहीं की जा सकी। मेरीन इन्जनों के मामले में भी आयात पर केवल तब ही विचार किया जाता है जबकि देश के उत्पादक ऐसे इन्जनों की सप्लाई करने में असमर्थ हों।

(ख) इस नीति के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं को चुनींदा आयात की अनुमति है तथा तकनीकी विकास के निदेशालय द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद उनके गुणावगुणों के आधार पर आयात की अनुमति दी जाती है।

Salary and Allowances Payable to a Jawan of C.R.P.

4880. Dr. Laxminarayan Pandeya. Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) the minimum salaries paid to the Jawans of Central Reserve Police, and

(*b*) the expenditure per Jawan being incurred on the payment of dearness allowance and on providing other amenities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (*a*) The minimum salary is Rs. 75/- in the existing pay scale of Rs. 75-95.

(*b*) In addition to pay, he is entitled to dearness allowance of Rs. 24/- p.m. provisional dearness allowance of Rs. 14/- p.m. and interim relief of Rs. 29/- p.m. It is not possible to work out the expenditure per jawan on other amenities like free medical treatment, rent free accommodation, free leave passes etc.

Alleged non-availability of Postal Stationery in Indore Post Offices.

4881. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(*a*) whether Government's attention has been drawn to a news item in an Indore daily on the 24th December, 1973 in which non-availability of telegram forms and misuse of other forms in the Post Offices in Indore has been reported ;

(*b*) whether telegram forms have not been made available in the city like Indore for a long time, whereas the annual income from telegrams there is to the tune of lakhs of rupees, and

(*c*) if so, the remedial steps taken by the P & T Department in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (*a*) Yes, Sir, However, there was no misuse of forms. Only old forms were utilised to meet the requirements arising out of the temporary shortage.

(*b*) and (*c*) . Yes Sir. The temporary shortage of telegram forms was due to inadequate supply from Government of India Presses on account of paper shortage and restriction on Railway booking. The supplies have since been arranged by diversion from other offices to meet the requirement. Action has also been taken for local printing of these forms.

Supply of new Telephone Directory in M.P.

4882. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :—

(*a*) whether new telephone directory has not been supplied in many telephone Circles of Madhya Pradesh for the last three years despite the fact that the number of new connections has increased and the existing telephone numbers have changed following certain Exchanges having become automatic;

(*b*) whether requests were made to the Circles concerned by the subscribers in this connection; and

(*c*) if so; the time by which new telephone directory would be made avialable to the subscibers ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) By the end of April, 1974.

Recasting of Fifth Plan

4883. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(*a*) whether in a press conference held in the second week of February, 1974 in Gauhati, the Prime Minister expressed the view that there was a possibility of reconsideration of the Fifth Five Year Plan; and

(*b*) if so, the relevancy between her views and the views expressed by him that there is no need for making changes or reconsidering the Fifth Five Year Plan inspite of the economic difficulties ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (*a*) and (b) . At her press conference held in the second week of February 1974, the Prime Minister had stated in reply to a question on the economic situation that it was too early to say whether the Fifth Five Year Plan would have to be recast because of the current economic situation. She further said that she hoped that it may not be necessary to recast the Plan but it was too early to say. Recently in reply to a supplementary raised in Rajya Sabha on 7-3-74, the Minister of Planning had observed that the price situation within our country and the price situation outside our country would have their impact on the Plan and it was on account of this fact that the Planning Commission was assessing and analysing the new trends and it shall take all these trends into account and then draw its conclusions for incorporation in the final draft of the Plan. It will, thus, be seen that there is no inconsistency in the views expressed by the Prime Minister and the Planning Minister.

Administrative Expenditure Incurred on Film Censors Board During 1972 and 1973

4884. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :—

(*a*) the total administrative expenditure incurred on Film Censors Board during 1972 and 1973 respectively; and

(*b*) the expenditure incurred on T.A. and D.A. during the above period respectively out of the said administrative expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (*a*) and (*b*) :

Year	Total administrative expenditure	Amount incurred on TA and DA out of total expenditure shown in Col. 2.
1	2	3
	Rs.	Rs.
1972	5,18,728·00	24,138·00
1973	4,65,788·00	15,708·00

त्रिपुरा में लघु उद्योगों का बन्द होना

4885. श्री बीरेन दत्त : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के अभाव के कारण त्रिपुरा में लघु उद्योग बन्द किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) त्रिपुरा सरकार ने एक एकक के बंद होने की सूचना दी है।

(ख) समस्त देश में जिसमें त्रिपुरा भी शामिल है, कच्चे माल की आम कमी है। सरकार द्वारा उपलब्धि के अनुसार लघु उद्योगों को अतिरिक्त कच्चे माल के आबंटन के प्रयास किए जा रहे हैं।

Recognition to All India Television Technicians' Union

4886. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(*a*) whether all the employees working on contract basis in Television centres have formed an "All India Television Technicians' Union" representing each Television Centre in the country;

(*b*) whether this Union is the only union of the Television Employees and it has requested to the Government for its recognition for long; and

(*c*) if so, action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (*a*) A Union bearing the name "All India TV Technicians' Union" and claiming to represent all cadres of productions technicians has been formed.

(*b*) and (*c*) . This is not the only Union representing Television employees. The request for recognition was received on 20th August, 1973. The Union has been asked to furnish certain information before its request for recognition can be considered.

Mills and Factories under D.I.R.

4887. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the names of the places where Government got the mills and factories started under the Defence of India Rule during 1972-73 and 1973-74; and

(*b*) the names of those, out of the institutions, which are still functioning and the names of those which have been closed down giving facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (*a*) and (*b*). The necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

गिरिडीह और हज़ारीबाग ज़िलों के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

4888. श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गिरिडीह और हजारीबाग जिलों के कितने राजनीतिक पीड़ितों को वर्ष 1973-74 में पेंशन दी गई है और कितने लोगों ने आवेदन-पत्र भेजे थे;

(ख) महालेखापाल बिहार के पास कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को वास्तव में नकद पेंशन मिली है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इन जिलों के राजनीतिक पीड़ितों से प्राप्त 315 आवेदनपत्रों में से 150 आवेदनपत्रों का पेंशन स्वीकृत करने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) . सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

आसाम नागालैंड सीमा विवाद

4889. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आसाम तथा नागालैण्ड सीमा विवाद के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य बातें हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के दौरान आसाम में औद्योगिक परियोजनाएं

4890. **श्री निहार लास्कर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं का विकास करने का निर्णय किया है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम में कौन-कौन सी परियोजनायें स्थापित की जाएंगी?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख). असम सहित विभिन्न राज्यों में पांचवीं योजनावधि में स्थापित किये जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के नाम, उनके स्थापना-स्थल और परिव्यय (जहां तक निर्णय किया गया है) पांचवीं योजना प्रलेख प्रारूप के (भाग-11) के पृष्ठ 151-55 पर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अधीन पांचवीं परियोजना अवधि में नौगांव और कछार में पांचवीं योजनावधि में 102 करोड़ रुपये के पूर्वानुमानित पूंजी-परिव्यय से दो परियोजनायें लगाने पर विचार किया जा रहा है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद की घटनाओं की स्वतन्त्र जांच

4891. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से दिसम्बर, 1973 को कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवादों को लेकर हुई हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में स्वतन्त्र जांच कराने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या

4892. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या का कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सरकार ने दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। 1961 तथा 1971 में की गई जनगणना से ज्ञात होता है कि दिल्ली की जनसंख्या की वृद्धि दर 1951-61 तथा 1961-71 के दशकों के दौरान क्रमशः 52.44 प्रतिशत तथा 52.93 प्रतिशत है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए नमूना पंजीकरण योजना द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 1972 के लिए दिल्ली के जन्म दर तथा मृत्यु दर के कच्चे आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	जन्म दर के कच्चे आंकड़े	मृत्यु दर के कच्चे आंकड़े
ग्रामीण . . .	41.4	12.3
शहरी	28.3	7.4

जनसंख्या वृद्धि के तीन घटक हैं जैसे जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन। दिल्ली की जनसंख्या की अधिक वृद्धि का कारण प्रवसन हो सकता है। 1961 की जनगणना में गिने गये 2.7 लाख व्यक्तियों में से 1.3 लाख व्यक्तियों ने अपना जन्म स्थान दिल्ली से बाहर का लिखवाया था। 1971 के प्रवसन आंकड़ों की प्रक्रिया अभी हो रही है।

उद्योगों की स्थापना के लिए कर्नाटक से आवेदन-पत्र

4893. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान कर्नाटक राज्य से बड़े, लघु तथा मध्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) ऐसे आवेदन पत्रों के निपटान के लिए सरकार ने क्या मापदंड अपनाया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) 1972-73 में कर्नाटक से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 153 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 29 आवेदन अनिर्णीत हैं। तथा शेष निपटा दिए गए हैं। चूंकि लघु उद्योग परियोजनाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। अतः दी गई सूचना उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम के अधीन आने वाली परियोजनाओं से सम्बन्धित है।

(ख) औद्योगिक निधि तथा योजनागत प्राथमिकताओं के अधीन औद्योगिक लाइसेन्स/आशयपत्र हेतु आवेदनों पर विचार करते समय क्षेत्रगत औद्योगिक पिछड़ापन तथा मंझोले व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता जैसी बातों का समुचित ध्यान रखा जाता है।

दिल्ली में विभिन्न पेयों पर लिया जाने वाला चुंगी शुल्क

4894. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा विभिन्न पेयों अर्थात् कोका कोला, फैन्टा, गोल्ड स्पाट आदि पर कितना चुंगी शुल्क वसूल किया जा रहा है;

(ख) अन्य प्राकृतिक पेयों और रस इत्यादि पर भी यदि कोई चुंगी शुल्क लगाया जाता है तो क्या उसी दर से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कोका कोला, गोल्ड स्पाट आदि जैसे पेय पर सीमाकर की दर अनुसूची की श्रेणी IX के मद-संख्या 31 के अधीन 30 पैसे प्रति क्विंटल की दर से वसूल किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। फलों के रस पर सीमा कर की दर अनुसूची की श्रेणी-1 की मद-संख्या 7 के अधीन फलों का रस होने के कारण 9.40 रुपये की दर से सीमा कर वसूल किया जाता है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि चूंकि ये वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हैं, इसलिए वसूली दर भी भिन्न-भिन्न है।

बिम्को द्वारा लघु माचिस एककों को पोटाशियम क्लोरेट की सप्लाई

4895. **श्री एम० कलामुत्तु : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज बिम्को के पास उसका मद्रास एकक अक्तूबर, 1972 से जून, 1973 तक बन्द रहने के कारण अतिरिक्त मात्रा में पोटाशियम क्लोरेट उपलब्ध था ;

(ख) कोविलपट्टी साल्तर शिवकांगी और गडियाट्टाम स्थित लघु माचिस एककों को उक्त अवधि महीने वार और क्षेत्रवार कितनी मात्रा से पोटाशियम क्लोरेट की सप्लाई की गई।

(ग) क्या बिम्को ने अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध सब पोटाशियम क्लोराइड की सप्लाई लघु एककों को की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख) और (घ). यद्यपि मद्रास स्थित बिमको मैच कारखाना अक्तूबर, 1972 और जून, 1973 के बीच बन्द रहा किन्तु बिमको समूह के दियासलाई के उत्पादन पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। बिमको के पास औरों के अतिरिक्त बिक्री के लिए अधिक फालतू पोटाशियम क्लोरेट उपलब्ध नहीं था।

(ख) विभिन्न लघु उद्योग एककों को सप्लाई की गई पोटेशियम क्लोरेट का विवरण निम्न प्रकार है :—

	शिवकाशी		कोविलपट्टी		सातूर		गुडियाथम	
	1973	1972	1973	1972	1973	1972	1973	1972
जनवरी	80.10	71.10	38.00	33.50	33.95	11.65	18.40	7.50
फरवरी	91.80	7.50	37.00	38.60	29.60	16.70	8.75	12.45
मार्च	106.00	94.35	56.95	37.60	28.50	24.80	22.95	12.40
अप्रैल	98.05	52.75	41.05	35.70	34.50	21.30	17.45	15.05
मई	86.30	62.65	38.00	39.00	36.20	12.55	18.80	9.50
जून	76.00	67.05	45.50	24.00	21.35	13.95	23.60	11.25
जुलाई	57.00	68.80	28.50	30.75	28.40	16.80	11.05	13.15
अगस्त	66.50	80.30	19.00	45.08	28.50	22.15	18.68	18.50
सितम्बर	85.50	85.50	28.50	32.55	27.15	25.35	18.68	18.50
अक्तूबर	47.50	72.00	38.00	38.77	20.85	21.30	19.12	6.45
नवम्बर*	—	—	—	—	—	—	—	—
दिसम्बर*	—	—	—	—	—	—	—	—
	794.75	715.00	372.50	356.00	288.60	186.55	168.30	119.85

*उपलब्ध नहीं हैं ।

पुलिस की ज्यादतियां

4896. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रधान मंत्री के नाम लिखे गए तथा 20 जनवरी, 1974 को दिल्ली के एक साप्ताहिक में प्रकाशित एक खुले पत्र की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उसमें वर्णित पुलिस की गंभीर ज्यादतियों के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उन्होंने उक्त आरोपों की जांच कराई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है ।

Setting up of Regional Research Laboratories in Bihar, U.P., M.P. and Rajasthan

4897. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) the position in regard to setting up of 'Regional Research Laboratories' at prominent places in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan;

(*b*) whether the Council of Scientific and Industrial Research is taking up a new project named 'Karim Nagar' project (in Andhra Pradesh) and the above mentioned proposal is being dropped; and

(*c*) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (*a*) During the Fifth Plan, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) has proposals for the establishment of regional research laboratories/CSIR Complexes/Poly-technological clinics in the States of Bihar, Kerala, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, U.P. and West Bengal.

(*b*) Karimnagar, a district of Andhra Pradesh has been adopted by CSIR for extension activities. The project aims at bringing the results of research to the doors of the rural people. The Karimnagar project has no connection, whatsoever with the establishment of the new laboratories by the CSIR.

(*c*) Does not arise.

Glass Cutting Machine

4898. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(*a*) whether the Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta have published the photograph and other details of Glass cutting Machine and called this invention of theirs as very useful for cutting glass, refractories and glass ceramic;

(*b*) whether any action is being taken for manufacturing the machine in the factories;

(*c*) whether foreign exchange can be earned by exporting this machine to other countries; and

(*d*) if so, how much ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The details have been published. It is for the interested factories to fabricate such a machine.

(*c*) and (*d*). It is a low cost simple machine for a specialised use. The possibility of earning foreign exchange by exporting this machine is very little.

वायर ग्लास मशीनों का उत्पादन

4899. **श्री झारखंडे राय :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियेशन शील्डिंग विन्डोज ग्लास स्लैब्स भारत आर्टिकल ग्लास संयंत्र, दुर्गापुर से खरीदी जा रही है और यदि हां, तो सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता रेडियेशन शील्डिंग विन्डोज ग्लास प्लांट द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है ?

(ख) क्या वायर ग्लास कटिंग की स्वदेशी मशीनें (जो कि ग्लास रिफ्रेक्टरीज और ग्लास सिरामिक्स काटने के उपयुक्त हैं) वास्तव में टायसामान ग्लास कटिंग मशीनों से ज्यादा अच्छी हैं और यदि हां, तो इस प्रकार की मूल्यवान विदेशी मशीनों के आयात की क्या आवश्यकता है ; और

(ग) इस प्रक्रिया को पेटेन्ट कराने और इसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) रेडियेशन शील्डिंग विन्डोज़ तैयार करने के लिये 9.7 लाख रुपये मूल्य के ग्लास स्लैब केन्द्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सी० जी० सी० आर० आई०) द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे को पहले ही भेजे जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश ग्लास को सी० जी० सी० आर० आई० में गलाया एवं तैयार किया गया था। ग्लास की पूर्ति को प्रतिस्थापित करने के लिये भारत औप्थैलमिक ग्लास लिमि० से केवल तीन ग्लास स्लैब साधारण दशा में खरीदे गये थे जिनकी प्रविधि (काटना, समतल करना और पौलिश) भी सी० जी० सी० आर० आई० द्वारा तैयार की गई थी।

(ख) रेडियेशन शील्डिंग विन्डोज़ के लिये मोटे ग्लास स्लैबों को काटने की टायसमैन ग्लास कटिंग मशीन वर्ष 1967 में आयात की गई थी। मशीन अच्छी थी लेकिन प्रारम्भ में मशीन को चलाने संबंधी कुछ परेशानियां आई थीं जिन्हें सी० जी० सी० आर० आई० के इंजीनियरों ने समझ लिया था। और मोटे स्लैबों को काटने के लिये मशीन की कार्यक्षमता में सुधार करके काम लायक बना लिया था। थोड़े ही समय की अवधि में इंजीनियरों ने साधारण और सस्ती वायर कटिंग मशीन भी बनाई थी और इसका डिजाइन भी तैयार किया था जो बहुत ही उपयुक्त साबित हुई है। यद्यपि टायसमैन मशीन से इस मशीन की काटने की गति धीमी है। सी० जी० सी० आर० आई० में दोनों मशीनें प्रयोग की जा रही हैं।

(ग) प्रविधि पेटेन्ट करने लायक नहीं है। चूंकि, इसका प्रयोग सीमित है, वाणिज्यिक स्तर पर इसके उत्पादन की संभावना बहुत थोड़ी है।

सेन्ट्रल ग्लास और सिरामिक रिसर्च संस्थान, कलकत्ता में आप्टिकल ग्लास का उत्पादन

4900. **श्री झारखंडे राय :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता द्वारा आप्टिकल ग्लास एकक संयंत्र के कर्मचारियों को उत्पादन बोनस तथा उसी प्रकार की अन्य सुविधाएं नहीं जा रहीं जबकि भारत आप्टिकल ग्लास संयंत्र दुर्गापुर द्वारा दी जा रही हैं।

(ख) क्या भारत आप्टिकल ग्लास संयंत्र, दुर्गापुर द्वारा आप्टिकल ग्लास का उत्पादन सोवियत रूस की तकनीकी जानकारी के साथ किया जा रहा है अथवा सेन्ट्रल ग्लास और सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के साथ ;

(ग) क्या आप्टिकल ग्लास का एक दूसरा नया संयंत्र सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के सहयोग के साथ भारत के किसी भाग में स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ने आप्टिकल ग्लास के उत्पादन की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये हैं जिससे कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ;

(ङ) क्या बड़ौदा (गुजरात) में आप्टिकल ग्लास संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उसकी आयोजना पर क्या व्यय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) केन्द्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सी०जी०सी०आर०आई०) कलकत्ता का औप्टीकल ग्लास यूनिट एक प्रायोगिक संयंत्र है। भारत औप्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर की तरह यह वाणिज्यिक उत्पादन और लाभों के लिये एक वाणिज्यिक यूनिट नहीं है।

(ख) भारत औप्थैलमिक ग्लास लि० दुर्गापुर यू० एस० एस० आर० की तकनीकी जानकारी का उपयोग कर रहा है।

(ग) औप्टीकल ग्लास (प्रकाशीय कांच) का उत्पादन बढ़ाने संबंधी बहुत से प्रस्ताव हैं, लेकिन कोई भी परियोजना अंतिम रूप से अभी तक निश्चित नहीं की गई।

(घ) सी० जी० सी० आर० आई० प्रायोगिक संयंत्र की वार्षिक क्षमता दस-पंद्रह टन की है। औप्टीकल ग्लास उत्पादन की क्षमता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) बड़ौदा में आप्टीकल ग्लास का संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव कुछ दिन पहिले विचाराधीन था लेकिन इसका अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि आवश्कतानुसार गैस उपलब्ध नहीं थी।

सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टिट्यूट कलकत्ता में चिकनी मिट्टी धोने के संयंत्र (क्ले वाशिंग प्लांट) की स्थापना

4901. श्री झारखंडे राय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, कलकत्ता में चिकनी मिट्टी धोने के संयंत्र (क्ले वाशिंग प्लांट) के लगाने पर कितना खर्च आया; और

(ख) उद्योगों में भारतीय चिकनी मिट्टी के प्रयोग के मूल्यांकन के लिये 1000 किलोग्राम (एक टन) प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले क्ले वाशिंग प्लान्ट न लगाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) लगभग अड़तीस हजार रुपये।

(ख) सी० जी० सी० आर० आई० कलकत्ते में स्थित चिकनी मिट्टी धोने का संयंत्र (क्ले वाशिंग प्लांट) एक प्रयोगात्मक इकाई है। इस संयंत्र का कार्य 1971 में शुरू किया गया था। थान (गुजरात)

की मिट्टी के बहुत से नमूनों के कई सामूहिक प्रयोग किये जा चुके हैं। धोने के कार्य में प्रयोग आने वाली अन्य मट्टियों का विकास कार्य किया जायेगा जब उद्योग को इसकी आवश्यकता होगी ।

चमड़ा व्यापार में प्रवेश के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को अनुमति

4902. **श्री इसहाक सम्भली : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब बड़े औद्योगिक गृहों (एकाधिकार गृहों) को चमड़ा कमाने सम्बन्धी उद्योग में प्रवेश की अनुमति दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्योग में पहले ही प्रवेश पा चुके भारतीय तथा विदेशी एकाधिकारी गृहों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख): बड़े गृहों तथा विदेशी कंपनियों के बारे में सरकारी नीति की घोषणा 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट (लोक सभा में 21 फरवरी 1973 को पूछे गए प्रश्न संख्या 281 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गई थी) में की गई थी। प्रेस नोट के परिशिष्ट 1 में दर्ज उद्योगों की सूची में जिनमें साधारण रूप से बड़े गृहों तथा विदेशी कम्पनियों से भाग लेने की आशा की जाती है, चमड़ा कमाने का उद्योग नहीं आता है। फिर भी, यदि उनका उत्पादन प्रधानतया निर्यात के लिये हो तो अन्य उद्योगों के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ग) हाल ही में मैसर्ज टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड को मध्य प्रदेश राज्य के देवारन स्थान पर 130.59 लाख वर्ग फीट तैयार चमड़ा तथा प्रतिवर्ष 1,20,000 चमड़े के वस्त्र बनाने के एक नये उपक्रम स्थापित करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक लाइसेंस दिया गया हैं। लाइसेंस इस शर्त के अधीन दिया गया है कि वे तैयार चमड़े के उत्पादन का 60 प्रतिशत तथा चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्यात करेंगे। फिर भी, इस समय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार टाटा एक्सपोर्टस लिमिटेड टाटा कं० उद्योग समूह से परस्पर सम्बन्ध नहीं हैं ; अतएव एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन उसे नहीं किया जा सकता है।

भारत सरकार के अधीन अवर सचिवों के रिक्त पद

4903. **श्री अम्बेश : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1974 को भारत सरकार के अधीन अवर सचिवों के कितने पद रिक्त थे ;

(ख) आगामी चार महीनों में इस ग्रेड में कितने और पद रिक्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या अवर-सचिवों के आगामी पेनल गठित करने के लिये सब रिक्त पदों पर विचार किया जायेगा ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। अवर सचिव के स्तर के सभी पद किसी सेवा विशेष के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं हैं। ये पद विभिन्न सेवाओं के सदस्यों में से कार्य (जांव) की अपेक्षाओं के आधार पर

210LSS 74—9

उक्त पदों के लिए उनकी उपयुक्तता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए भरे जाते हैं। अतः केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड I (अवर सचिव) की चयन सूची तैयार करते समय अवर सचिव के सभी रिक्त पदों को ध्यान में नहीं रखा जाता।

संयुक्त क्षेत्र के एककों में निजी शेयरों का सरकारीकरण

4904. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री संयुक्त क्षेत्र के एककों के बारे में 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र के ऐसे एककों में, जिनमें निजी शेयर कुल शेयरों की तुलना में एक चौथाई से भी कम हैं, सभी निजी शेयरों को सरकार द्वारा लिए जाने का प्रस्ताव है !

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नए संयुक्त क्षेत्र उद्योग प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : कुछ परियोजनाओं के, जिनके लिये विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं, संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जाने की सम्भावना है। संयुक्त क्षेत्र की योजनाओं के व्यौरे पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार की निर्धारित नीति के अन्तर्गत जिसे 2 फरवरी, 1973 की प्रेस विज्ञप्ति (जिसकी प्रतियां सभा पर 21 फरवरी, 1973 को उत्तर दिये गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के अनुबन्ध के रूप में रख दी गई थी) में स्पष्ट कर दिया गया है, अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

त्रिपुरा और मिजोरम में सीमेंट की कमी

4905. **श्री दशरथ देव**
श्री बीरेन दत्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा राज्य में सीमेंट की कमी है और इसका सिंचाई तथा अन्य निर्माण कार्यों पर भारी प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा तथा मिजोरम को सीमेंट की सप्लाई में वृद्धि करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : फरक्का के आगे रेलवे लाइन की अपर्याप्त क्षमता तथा बार-बार लाने ले जाने की बाधाओं के कारण त्रिपुरा में सीमेंट की कमी हुई है। अतएव सिंचाई तथा अन्य निर्माण कार्यों में कुछ सीमा तक व्यावधान होना संभव हो सकता है।

(ख) रेलवे से निकट सम्पर्क स्थापित करके त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य को भेजी जाने वाली सीमेन्ट की सप्लाई पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। जब कभी भी इन क्षेत्रों में बुकिंग के प्रतिबन्ध

हटाये जाते हैं और माल ले जाना संभव होता है सम्बन्धित कारखानों से कह दिया जाता है कि वहां शीघ्र सीमेन्ट सप्लाई करें ।

पुरी डाक डिवीजन के अन्तर्गत शाखा डाकघर खोलना

4906. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में उड़ीसा सर्किल की पुरी डाक डिवीजन के अन्तर्गत किन-किन गांवों में शाखा डाकघर खोले गये ; और

(ख) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में पुरी डाक डिवीजन के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर शाखा डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जानकारी नीचे दी जा रही है:—

1971-72 :
(4)
1. कुम्हारपुरा
2. पटलादा
3. माटियापाड़ा
4. बी० एम०स्वस्थनिवास

1972-73 :
(14)
1. चक्रधरपुर प्रसाद
2. कलपदार
3. निधिपुर
4. गोवर्धन प्रसाद
5. रामेश्वर
6. गुरचंदपुर
7. घानगुडी पाड़ा
8. कल्याणपुर
9. तुमंडी
10. तुलसीपुर
11. सोराबा
12. पैंकटीगिरिया
13. पांचूगांव
14. सामपुर

1973-74
(1)
दीपीदिउली

(ख) विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही ऐसे स्थान निश्चित किए जाते हैं क्योंकि डाकघर तभी खोले जाते हैं जब वे जनसंख्या के निकटतम डाकघर से दूरी आदि की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

उड़ीसा के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

4907. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य से पेंशन के लिये स्वतन्त्रता सेनानियों से अब तक ज़िलेवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये और कितने आवेदनकर्त्ताओं के आवेदन-पत्र अभी भी विचाराधीन हैं ; और

(ग) सब प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 15 मार्च, 1974 तक पेंशन के लिए 2131 मामलों का अनुमोदन किया गया है, 2446 मामले अस्वीकृत किए गए तथा 301 मामले अपेक्षित सबूत के अभाव में फाइल किए गए। 500 मामलों में आवेदकों अथवा राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। 749 मामलों की अभी जांच होनी है।

(ग) आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 1974 होने के कारण अभी भी आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यद्यपि आवेदनपत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, फिर भी, इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि कार्य कितने समय में पूरा हो जायगा :

विवरण

क्रम सं०	जिलों के नाम	15-3-74 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	बालासोर	1019
2.	बालंगीर	12
3.	कटक	1479
4.	धेनकनाल	689
5.	गंजम	378
6.	कोरापुट	904
7.	कैओनझर	33
8.	कालाहांडी	41
9.	मयूरभंज	36
10.	पुरी	1202
11.	फूलबनी	8
12.	सुन्दरगढ़	210
13.	संबलपुर	116
	जोड़	6127

पुरी जिले में नए डाकघर खोलना

4908. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में उड़ीसा में पुरी जिले में कितने नए डाकघर खोले गए ;

(ख) उक्त डाकघर किन-किन स्थानों पर खोले गए; और

(ग) वर्ष 1974-75 में उक्त जिले में कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

(क) 1971-72 : 7

1972-73 : 16

1973-74 : 1

(ख) **1971-72**

उप डाकघर नया गढ़ कालेज, लाबू निखिया चक और मणिकर्णिका

शाखा डाकघर

1. कुम्हार पुरा
2. पटलादा
3. माटिया पाड़ा
4. बी० एम० स्वस्थ निवास

1972-73

उप डाकघर पुरी सी० बी० रिसर्च लेबोरेटरी, भुवनेश्वर

शाखा डाकघर :

1. चक्रधरपुर प्रसाद
2. कलपदार
3. निधिपुर
4. गोबर्धन प्रसाद
5. रामेश्वर
6. गुरचंदपुर
7. घानगुडीपाड़ा
8. कल्याणपुर
9. तुमंडी
10. तुलसीपुर
11. सोरावा
12. पैकटीगिरिया
13. पांचूगांव
14. सामपुर

1973-74

उप डाकघर : कोई नहीं

शाखा डाकघर : दीपी दिउली

(ग) डाकघरों का खुलना कुछ निर्धारित शर्तों के पूरे होने पर निर्भर करता है । प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि किन स्थानों में नए डाकघर खोले जाएं ।

विश्व बैंक द्वारा औद्योगिक उत्पादन का अनुमान

4909. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक ने भारत के औद्योगिक उत्पादन में 20 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या उक्त अनुमान को सरकार सही समझती है ; और

(ग) भारत में औद्योगिक उत्पादन में कमी होने के बारे में यह अनुमान विश्व बैंक ने किस तरह लगाया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Use of Hindi in Official Work

4910. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether the use of Hindi is being encouraged in the official work in Government offices;

(*b*) if so, whether according to the orders of the Government, the quarterly progress reports are being made regarding implementation in the concerned departments; and

(*c*) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (*a*) Yes Sir.

(*b*) and (*c*) : All Ministeries/Departments of the Government are required to forward quarterly progress reports within one month from the date they become due. Sometimes Ministries/Departments do not submit reports within the prescribed time.

The delay is mostly on account of the fact that the Ministries/Departments have to consolidate the quarterly progress reports for which they have to obtain data from their Attached/Subordinate offices spread all over India.

विभिन्न राज्यों में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की गोली से मारे गए व्यक्तियों की संख्या

4911. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1973 से आज तक सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण राज्यवार कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ख) प्रत्येक मामलों में गोली चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क): कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्यों में तैनात सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण 1-12-1973 से 31-1-1974 तक की अवधि में किसी राज्य में कोई मृत्यु नहीं हुई थी। 1-2-74 से 27-3-74 तक की अवधि के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खोई तथा गेहूं के भूसे से कागज बनाने के लिए सहकारिताओं को प्रोत्साहन देना

4912. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की कमी दूर करने तथा सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए खोई तथा गेहूं के भूसे से कागज बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं को पूंजी प्रधान परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु सरकार ने सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है अथवा देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : अपनी सामग्री में खोई और अन्नों की भूसा आदि जैसे अपरम्परागत कच्चे माल का 40 प्रतिशत से अधिक प्रयोग करने वाले कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में रियायत दी जाती है। यह रियायत सहकारी क्षेत्र के एककों सहित सभी एककों के लिए लागू है ।

हैवी ड्यूटी टायरों की अनुपलब्धता

4913. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि समूचे देश में सामान्य तौर पर तथा महाराष्ट्र में विशेषकर गन्ने की फार्मों से कारखानों तक ले जाने के लिए हैवी ड्यूटी टायर वाले वाहनों के उपलब्ध न होने के कारण चीनी का उत्पादन पिछड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या ऐसे वाहनों के मालिकों को हैवी ड्यूटी टायरों का विशेष कोटा आबंटित करने का प्रस्ताव है जिनका उपयोग गन्ने को किसानों के फार्मों से चीनी के कारखानों तक लाने के लिए किया जाता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) तथा (ख) : टायर और ट्यूबों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने में चीनी फैक्टरियों को विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों को जो कठिनाई हो रही है उनके बारे में भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार को लिखा है। टायरों की सप्लाई की विशेषत: बसों/ट्रकों के टायरों की सप्लाई की इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिए टायरों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने हेतु टायर उद्योग को अतिरिक्त पारियों में साथ ही छुट्टी वाले दिनों तथा रविवारों को काम करने को कहा गया है। बसों/ट्रकों के टायरों के आयात की भी अनुमति दे दी गई है। ट्रक के टायरों के लिए विशेष रूप से नए विस्तार की स्वीकृति दे दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

लघु उद्योगों को कच्चा माल वितरण करने के सम्बन्ध में शिकायत

4914. **श्री ई० बी० विखे पाटिल :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग ने अपने विकास हेतु बड़े उद्योगों की तुलना में ऋण सम्बन्धी सुविधाओं, दुर्लभ कच्च माल के वितरण तथा अन्य सुविधाओं के मामले में भेदभाव बरतने के विरुद्ध शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ज़ियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कच्चे माल के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ।

(ख) सिद्धान्त रूप से यह निश्चित कर लिया गया है कि छोटे कारखानों को उनकी क्षमता के आधार पर तथा उस उद्योग के बड़े कारखानों के बराबर कच्चा माल विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की सीमाओं के अधीन नियत किया जाए। लघु उद्योगों की देशव्यापी गणना की जा रही है इससे लघु उद्योग क्षेत्र की उत्पादन क्षमता का वास्तविक निर्धारण करने में सहायता मिलेगी और जिनके आधार पर विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अध्यधीन कच्चे माल का नियतन किया जा सकेगा। सर्वेक्षण के परिणाम 1974 के अन्त तक मिल जाने की आशा है। परिणामों के मिलने तक 1973-74 की अवधि के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कच्चे माल व अन्तर्वस्तुओं के आयात हेतु आयात नीति को उदार कर दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरना

4915. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये श्रेणी-I, II तथा III में आरक्षित स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरी गई रिक्तियों की प्रतिशतता, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार प्रतिवर्ष एक सेवा से दूसरी सेवा में बदल जाती है। कुछ सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां इन्हीं जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाती हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 1964 से, उन श्रेणी-I, तथा II सेवाओं में जिन में भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के आधार पर की जाती है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां एक दो बार को छोड़कर, जबकि कुछ सेवाओं में मुख्यतया अनुसूचित जन जातियों की भर्ती के सम्बन्ध में कुछ कमी हुई है, इन्हीं जातियों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जाती हैं। किन्तु, अन्य सेवाओं/पदों (अधिकांश तकनीकी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त निर्धारित योग्यताएं आदि रखने वाले इन जातियों के उम्मीद-

वार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं थे। बहुत सी सेवाओं तथा पदों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं। किन्तु सेवाओं की तीनों I, II तथा III श्रेणियों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में स्थिति को दर्शाते हुए आंकड़े रखे गए हैं। वर्ष 1971 के दौरान (सबसे बाद का वर्ष जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) भरी गई आरक्षित रिक्तियों की प्रतिशतता निम्न प्रकार थी ; जिसमें यह दिखाया गया है कि जहां अनुसूचित जातियों के लिए यह प्रतिशतता 50 से काफी ऊपर थी, वहां अनुसूचित जन जातियों की प्रतिशतता 50 से नीचे थी :—

अनुसूचित जातियों द्वारा उनके लिए आरक्षित कोटे में से भरी गई रिक्तियों की प्रतिशतता	श्रेणी I	72.45
	श्रेणी II	73.08
	श्रेणी III	72.22
अनुसूचित जनजातियों द्वारा उनके लिए आरक्षित कोटे में से भरी गई रिक्तियों की प्रतिशतता	श्रेणी I	37.50
	श्रेणी II	21.95
	श्रेणी III	44.36

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने की दृष्टि से किए गए उपायों को संलग्न विवरण में स्पष्ट किया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 6564/74]

नेशनल एडवर्टाईजिंग पब्लिशिंग हाऊस, कलकत्ता की ओर विज्ञापनों की बकाया राशि

4916. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग हाऊस, कलकत्ता द्वारा बेतारजगत, कलकत्ता में विज्ञापनों के कारण सरकार को भारी धनराशि देनी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या इस राशि को वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस फर्म के साथ व्यापार करने की अन्तिम स्वीकृति किस प्राधिकरण ने दी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) लगभग 7.8 लाख रुपये।

(ग) मामला पंचनिर्णयाधीन है।

(घ) आकाशवाणी महानिदेशालय ।

"हाफ-ए-मिलियन जोब्स" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणप्राप्त सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां दिया जाना

4917. **श्री भान सिंह भौरा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग (रोजगार तथा जनशक्ति डिवीजन) ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे उन सभी व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान करें जिन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के लिए वर्ष 1973-74 के "हाफ-ए-मिलियन जोब्स" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है ;

(ख) क्या "हाफ-ए-मिलियन जोब्स" योजना के अन्तर्गत संघ-राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में 'स्टाई-पेंडरी ड्रग्ज इंस्पैक्टर्स' के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को नियमित नौकरी प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां । योजना आयोग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एक शर्त यह भी है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यह आश्वासन देना होगा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् उनको नियमित नौकरी पर रख लिया जाएगा ।

(ख) ओर (ग) : चण्डीगढ़ प्रशासन के लिए "पांच लाख रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत एक स्कीम, अर्थात "औषध नियंत्रण संगठन का सुदृढ़ीकरण" को 28-8-1973 को स्वीकृति दे दी गयी थी । इस स्कीम के अधीन दूसरे शिक्षित लोगों, जिन्हें वजीफा देकर काम पर रखा जाना था, के साथ-साथ तीन फार्मेसी स्नातकों, जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में 8 महीने के लिए वजीफे पर रखा जाना था, के लिए वित्त व्यवस्था की गयी थी । चण्डीगढ़ प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि 1974-75 में 3 ड्रग इन्स्पैक्टरों के पदों का सृजन किया जाए । भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of urgent Public Importance

मद्रास और बम्बई पत्तनों में बाहर से आने वाले जहाजों को ठहरने सम्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध न होने के समाचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): श्रीमन्, मैं नौवहन और परिवहन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"मद्रास और बम्बई पत्तनों में भारतीय नौवहन निगम के बाहर से आने वाले जहाजों को ठहरने सम्बन्धी सुविधाओं के उपलब्ध न होने तथा उसके परिणाम-स्वरूप आवश्यक वस्तुओं की निकासी में विलम्ब के समाचार"

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : तेल वाहक पोत बम्बई पत्तन में बूचर द्वीप के तीन घाटों पर खड़े किये जाते हैं । मूल रूप से घाट 32,000 डी० डब्ल्यू० टी० से अनधिक (48,000 टन विस्थापन) और कुल 700 फुट लम्बाई के तेल वाहक पोतों के लिए बने थे । इनमें से दो का 1969 में सुधार किया गया । तब से वहां 53,000 डी० डब्ल्यू० टी० (70,000 टन विस्थापन) तक के और कुल 750 फुट लम्बाई के तेल वाहक पोत खड़े किये गये हैं ।

2. दिसम्बर, 1973 में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने हल्दिया तेल शोधक कारखाने में कच्चा तेल लाने के लिए "नेता जी सुभाष बोस" तेलवाहक पोत (87,500 डी० डब्ल्यू० टी० 106245 टन विस्थापन और 780 फुट लम्बा) को लेने का प्रस्ताव किया, जिसे उस तेल शोधक कारखाने के चालू करने में देरी के कारण बम्बई में खड़ा किया जाना था । बम्बई पत्तन न्यास ने ऐसे तेल वाहक पोत की धरा उठाई करने में अपने पत्तन की कठिनाइयों पर विचार किया । वे जानते थे कि छोटे जहाजों को लेने के लिए निर्मित उस घाट पर कई समस्यायें आ खड़ी होगीं । यदि ज़हाज अपने

इंजनों को उचित रूप से न चला सका तो समस्यायें पैदा हो जाएंगी। छोटे जहाजों के लिए डोलफिनों से जहाज के बांधने में भी कठिनाइयां होंगी। यदि ऊपरी रस्सियां लंब रस्से या पिछले स्पिरिंग टूट गए तो दोनों जहाज और जेट्टी को गंभीर रूप से क्षति पहुंचेगी। ऐसी घटना या कनहारी में मूल के कारण जहाज के धंसने या जलमार्ग के रुक जाने की संभावना थी। इससे पत्तन बेकार हो जाएगा। कच्चे तेल के आयात और अन्य सप्लाइयों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सब कारणों से, बम्बई पत्तन न्यास ने विचार किया कि ऐसे जहाजों के उन घाटों पर ठहराने से जो कि ऐसा करने के योग्य नहीं हैं, पत्तन और तेल वाहक पोतों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा किसी दुर्घटना के कारण, सागर दूषित हो सकता है। इन शंकाओं के बावजूद बम्बई पत्तन न्यास ने यह सुझाव देकर पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय की मांग पूरी करने के लिए सहमति प्रकट की वे "नेताजी सुभाष बोस" पोत को 6 महीने की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर धरा उठाई करेंगे बशर्ते कि जहाज का अधिकतम अनुमत्य विस्थापन तक भाड़ा रखा जाये और कुछ अन्य शर्तों का पालन करें।

3. "नेताजी सुभाष बोस" जहाज की तदनुसार 17 फरवरी, 1974 को अपने पहले फेरे में बम्बई पत्तन पर धरा उठाई की गई। इस से पूर्व कि पत्तन इसके अनुभव का मूल्यांकन कर सके, 21-2-74 को पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने बम्बई पत्तन न्यास से अनुरोध किया कि वे विदेशी तेलवाहक पोत "ऐम्पाकमायेर्स्क" जिसकी लम्बाई 775 फुट है, को जगह दें। बम्बई पत्तन न्यास को इस जहाज को जगह दे सकने के बारे में संदेह था, परन्तु मदद करने की दृष्टि से जहाज को जगह देने में इस शर्त पर सहमति हुई कि पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय इस बात की पुष्टि करे कि भविष्य में वे ऐसे असाधारण लम्बाई के जहाज को जगह देने के लिए अनुरोध नहीं करेंगे क्योंकि पत्तन इन्हें लेने के लिए सुसज्जित नहीं है। इसके उत्तर में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने बम्बई पत्तन न्यास को आश्वासन दिया कि ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। विशेष मामले के रूप में बम्बई पत्तन न्यास ने इस जहाज की धरा उठाई की।

4. इन दो जहाजों की धरा उठाई से प्राप्त अनुभव के आधार पर बंबई पत्तन न्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भविष्य में इस प्रकार के जहाजों की धरा उठाई करना अत्यधिक जोखिम का और खतरनाक काम होगा। इस बीच "विवेकानन्द" बम्बई पहुंचा। चालक पहले ही बड़े जहाजों की धरा उठाई करने में झिझक रहे थे जब कि उन्हें राजी कराने के प्रयास किये जा रहे थे। "विवेकानन्द" जमीन में धंस गया। इसे कुछ कठिनाई के साथ फिर से चलाया गया। जहाज को हल्दिया की तरफ जाने से पहले हल्का करने के लिए मद्रास की ओर ले जाया गया।

5. 22 मई, 1974 को "नेताजी सुभाष बोस" तेलवाहक पोत अपने दूसरे फेरे में बम्बई पहुंचा। "विवेकानन्द" के पहले अनुभव और धंसने की दृष्टि से चालक जहाज को घाट पर लगाने के उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार न थे। चालकों का विश्वास डिग गया मालूम होता था। परन्तु खतरा लिया गया और जहाज को घाट पर लगा दिया गया।

6. जहां तक मद्रास का संबंध है, इन तेलवाहक पोतों की नई भारती गोदी में धरा उठाई करने में कोई कठिनाई नहीं है। "विवेकानन्द" तेल वाहक पोत जो बम्बई से मोड़ दिया गया था मद्रास में बिना किसी कठिनाई के घाट पर लगा दिया गया क्योंकि गोदी इस आकार के तेल वाहक पोतों की धरा उठाई के लिए बनाया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : आज के आवश्यक वस्तुओं के कृतिम अभाव और उर्वरक के अकाल के संदर्भ में इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का बहुत अधिक महत्व है। उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चा माल

विदेशों से मंगाया जाता है और उसके आयात का कार्यक्रम अस्त-व्यस्त होता है चूंकि बम्बई जैसे पत्तन पर जहाजों को खड़ा करने की सुविधा नहीं है। परिणामतः एक फास्फेट और सल्फर से लदे जहाजों को पत्तन पर स्थान पाने के लिए समुद्र में 15–20 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए खरीदार को विदेशी मुद्रा में लाखों रुपये का विलम्ब शुल्क देना पड़ता है। क्या यह सच है कि देश के इस प्रकार के 25 स्थानों में से केवल एक सल्फर और सुपर फास्फेट जैसे उर्वरक के कच्चे माल के लिए निर्धारित है। क्या भारतीय नौवहन निगम का "नेताजी बोस" तेलवाहक जहाज जिसमें 50,000 टन मिट्टी का तेल है, पिछले 15 दिन से पत्तन पर स्थान पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या बम्बई पत्तन से मोड़ा गया "विवेकानन्द" तेलवाहक जहाज 10 दिन पूर्व ही मद्रास पहुंच सका है जिसमें से 1500 टन अशोधित तेल मद्रास में उतारा जायेगा और शेष तेल हाल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिए है। क्या मद्रास पत्तन के बाहरी भाग की खुदाई का काम जारी है और क्या उसमें तेजी लाई जायेगी। क्या बम्बई और पत्तन पर जहाजों के खड़ा होने के स्थान की जो व्यवस्था है वह 100 वर्ष पुरानी है। क्या वहां बड़े तेलवाहक जहाज खड़े नहीं हो सकते। क्या हमारे पास समुद्र से गाद निकालने के लिए उपयुक्त मशीनरी नहीं है। क्या इस समय बम्बई पत्तन पर बहुत अधिक भार रहता है चूंकि 50 प्रतिशत अनाज और खाद वहीं उतारा जाता है। क्या मद्रास और विशाखापतनम पत्तनों सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य तेजी से हो रहा है। क्या आयात कों तथा सीमा शुल्क और पत्तन अधिकारियों के बीच कोई सांठ-गांठ है और आयातक जानबूझकर अपना माल पत्तन पर रखते हैं। और देर से उठाते हैं। चूंकि पत्तन से बाहर के गोदामों की दर बहुत अधिक है इसलिए वे पत्तन पर विलम्ब शुल्क देना पसन्द करते हैं। क्या अधिकारियों की सांठ-गांठ से ऐसा किया जाता है। क्या मद्रास और विशाखापत्तनम को गहरा करने के लिए विशेष उपाय किये जायेंगे और यह कार्य कब तक पूरा होगा? बम्बई पत्तन पर बहुत अधिक कार्यभार को देखते हुए क्या मद्रास में बाहरी पत्तन सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी। क्या नवा शेवा परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता नहीं है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य के कुछ प्रश्नों का उत्तर तो मैं पहले ही अपने वक्तव्य में दे चुका हूं। हां, यह सच है कि कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण 'विवेकानन्द' और 'नेताजी बोस' तेलवाहक जहाजों को पत्तन में स्थान देना सम्भव नहीं था। जो जहाज गाद में धंस गये थे, उन्हें बाहर निकाल कर मद्रास भेजा गया, और मद्रास से उन्हें हाल्दिया भेजा गया। यह भी सच है कि बम्बई पत्तन पर अभी बड़े तेलवाहकों को खड़ा करने का कोई स्थान नहीं है। यह कहना गलत है कि जहाज खड़ा करने के सभी स्थान 100 वर्ष पुराने हैं। बचर द्वीप में बर्थ 1969 में बनाया गया और मद्रास में भी बर्थ को गहरा करके 1972 में चालू किया गया। हां, यह मैं मानता हूं कि अधिकांश बर्थ पुरानी और अपर्याप्त हैं और उनमें सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इससे अपेक्षाकृत बड़े जहाजों को भी वहां खड़ा किया जा सकेगा। यह कठिन है कि 750 फुट लम्बी जैटी पर 87,500 डी० डब्ल्यू० टी० तेलवाहक खड़े किये जायें उस पर केवल 53,300 डी० डब्ल्यू० टी० टैंकर ही खड़े किये जा सकते हैं। अतः 'विवेकानन्द' और 'नेताजी सुभाष बोस' नामक तेलवाहकों को वहां खड़ा न किये जाने के लिए पत्तन अधिकारियों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक आयातकों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ का प्रश्न है, इसका उत्तर सम्बद्ध मंत्रालय ही देगा। जहां तक नवा शेवा परियोजना का सम्बन्ध है, इस पर योजना आयोग विचार कर रहा है और जैसे ही इसे स्वीकृति मिल जायेगी पत्तन न्यास अधिकारी और अन्य सम्बद्ध मंत्रालय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, हम उर्वरकों और अनाज से लदे जहाजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जहांजों के ठहरने का जितना स्थान बनाया गया

था, वह अचानक अनाज का आयात करने से बहुत अधिक कम पड़ गया है। कृषि मंत्रालय उर्वरक और अनाज के जहाजों के लिए बम्बई पत्तन पर और अधिक स्थान की मांग कर रहा है किन्तु हमारे पास स्थान सीमित है इसलिए कुछ जहांजों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उर्वरक को जहाजों से उतारने को तो हम प्राथमिकता दे ही रहे हैं। साथ ही उर्वरक के लिए बाहर से आने वाले कच्चे माल को शीघ्र उतरवाने के प्रश्न पर भी हम ध्यान देंगे और हर सम्भव सहायता करेंगे।

प्रो० मधु दन्डवते : मैंने पूछा था कि क्या मद्रास और विशाखापत्तनम पत्तनों के बाहरी भागों से सम्बन्धित योजनाओं को पूरा करने में शीघ्रता लाई जायेगी ? क्या तलछटाई का कार्य 12 घंटे के स्थान पर 24 घंटे करने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : ये सभी योजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हैं। चूंकि पांचवीं योजना अभी विचाराधीन है, इसलिए इन योजनाओं के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सर्वप्रथम मैं इस बात का विरोध करता हूं कि दो तेलवाहकों का नाम स्वामी विवेकानन्द और नेताजी सुभाष बोस के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार का नामकरण भी कुछ समझदारी से किया जाना चाहिए। तेलवाहकों का नाम किसी बड़े इंजीनियर या प्रसिद्ध आयात-निर्यात व्यापारी के नाम पर रखा जाना चाहिए था। इस नामकरण से स्वामी विवेकानन्द और नेताजी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अतः मैं इन तेलवाहकों का नाम विवेकानन्द के स्थान पर 'वी' और नेताजी सुभाष बोस के स्थान पर 'एन' नाम से पुकारूंगा।

भारतीय और विदेशी सभी नौवहन कम्पनियों की यह शिकायत है कि उनके जहाजों को ठहरने के लिए बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर स्थान शीघ्र नहीं मिलता और उनके सामान को उतारने और उन पर सामान चढ़ाने में बहुत अधिक विलम्ब होता है। कुछ जहाजों को हफ्तों और महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए नौवहन कम्पनियां विलम्ब शुल्क भी मांगती हैं। इसका कुछ अधिकारी व्यापारियों के साथ सांठगांठ करके नाजायज फायदा उठाते हैं। इन सब बातों से मूल्यों में वृद्धि होती है। यह समस्या नयी नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पत्तनों की बर्थ-क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में क्या कदम उठाय। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों को गहरा करके वहां बर्थ-क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये। सरकार ने इतने वर्षों तक इस दिशा में ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की ? हाल्दिया पत्तन पर जिस पर सामान का लदान और उतराई शुरू हो चुकी है, किन कारणों से ये तेलवाहक पोत नहीं भेजे जा रहे हैं। क्या वहां तल की छटाई नहीं की गई है या वहां इतना पानी नहीं है कि ये पोत आ-जा सकें। क्या यह सच नहीं है कि हुगली नदी में फरक्का बांध से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता और उसी कारण से हुगली में बड़े तेलवाही पोत नहीं आ सकते और उन्हें बम्बई और अन्य पत्तनों पर जाना पड़ता है। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ? आपने 'वी' और 'एन' टेंकरों को बम्बई, परीक्षण के लिए ही सही, क्यों भेजा, जबकि उनके ठहरने के लिए वहां स्थान नहीं था ? आपने यह जोखिम क्यों उठाया ? बर्थ बड़ी बनाने, तल की छटाई करने जैसे कार्यों के अलावा सरकार कौन-से अन्य कार्य शीघ्र कर रही है जिससे देश के पत्तनों

पर बड़े जहाज और टैंकर आ-जा सकें और देश का आयात और निर्यात व्यापार उचित रूप से बढ़े।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि जहाजों को बर्थ पाने के लिए कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी है। 1 दिसम्बर, 1973 को सामान्य माल से भरे 26 जहाज 24 अक्तूबर से प्रतीक्षा कर रहे थे, अनाज से भरे 9 जहाज 6 नवम्बर से इंतजार कर रहे थे, और उर्वरक से लदे दो जहाज 4 नवम्बर, 1973 से प्रतीक्षा कर रहे थे। 26 मार्च, 1974 को सामान्य माल वाला केवल एक जहाज 24 मार्च से इंतजार कर रहा था, अनाज से लदे 6 जहाज 12 मार्च से और उर्वरक से भरे चार जहाज 17 मार्च से प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय सदस्य की यह बात मैं मानता हूं कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है और चिन्ताजनक है। किन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि अनाज के आयात को हमने कम कर दिया था, और उसी के अनुसार बर्थ उपलब्ध करने का कार्यक्रम बनाया गया था किन्तु अचानक अधिक अनाज और उर्वरक बाहर से मंगाना पड़ा और तदनुसार उपरोक्त कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा। यदि हम अनाज और उर्वरक से भरे जहाजों को प्राथमिकता देते हैं तो अन्य जहाजों को उतने समय तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि प्राथमिकता प्राप्त जहाजों का माल उतर नहीं जाता। दूसरे, सभी बर्थों पर माल उतारने-चढ़ाने के लिए मशीनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए जहाजों को दो-चार रोज अधिक इंतजार करनी पड़ती है। फिर भी हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे जहाजों को इंतजार कम करना पड़े। तीन पारियां शुरू करके भी हमने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है। जहां माल उतारने चढ़ाने का कार्य मशीनों द्वारा नहीं किया जाता वहां कार्यक्रमानुसार ऐसी मशीनें लगाई जा रहीं हैं।

हाल्दिया पत्तन पर 1968 में "जैटी" चालू की गई थी और वहां "विवेकानन्द" जहाज को ठहराना कठिन नहीं है। दूसरे, तेलवाही पोत सामान्यतः रास्ते के सभी पत्तनों पर थोड़ा-थोड़ा तेल उतारता चलता है, चाहे वह किसी पत्तन विशेष के लिए निर्धारित हो।

माननीय सदस्य ने जहाजों के नाम स्वामी विवेकानन्द और नेताजी के नाम पर रखने का कड़ा विरोध किया है। ये माननीय सदस्य के वैयक्तिक विचार हैं। हमें इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आती। सम्पूर्ण विश्व में ऐसी परम्परा है। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के नामों पर भी अन्य दो जहाजों के नाम रखे गये हैं।

फरक्का जल और हल्दिया परियोजना के चालू किये जाने के बारे में सभा में अनेक बार बताया जा चुका है। इनसे सम्बन्धित सभी तथ्यों का माननीय सदस्यों को पता है तथा इस बारे में बार-बार प्रश्न करने का कोई लाभ नहीं है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण पर 1 अप्रैल, 1972 से 30

सितम्बर, 1972 तक की अवधि सम्बन्धी अर्थ-वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल० टी०** 6550/74)।

राज्य सभा से संन्देश

MESSAGES FROM RAJAYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा को गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 25 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोकसभा द्वारा 25 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोकसभा द्वारा 25 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को विनियोग विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 25 मार्च, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

गैर सरकरी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

38वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMITTEE

100 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन के अध्याय 6—संघ सरकार (सिविल)—राजस्व प्राप्तियां—दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विक्रय-कर प्राप्तियां—के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 74वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 100वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

Shri Jannathrao Joshi (Shajapur) **:** Sir, I have received complaints from Lucknow regarding use of unfair means in the elections. Capitalist are offering money to the voters. Besides, the Law Secretary has made an untimely statement.

अध्यक्ष महोदय : उन बातों की जांच करने का अधिकार चुनाव आयुक्त को ही है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।

मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यसूची में श्री एल० एन० मिश्र के वैयक्तिक स्पष्टीकरण क बारे में कोई उल्लेख नहीं है। निदेश संख्या 115(3) और 115(5) में निहित उपबंधों का भी पालन नहीं किया गया। वक्तव्य के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप गलत निदेश का हवाला दे रहे हैं। निदेश संख्या 115 (सी) को देखिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! मुझे सूचना दी जानी चाहिये थी जिसमें कि मैं तैयारी करके आता। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके अंतिम पैरा में कहा गया है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं तथा काल्पनिक हैं। जब वह सभा में उपस्थित ही नहीं थे तो उन्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने क्या कहा है ? महोदय ! निदेश 115(5) पर आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें निदेश 115 सी के अन्तर्गत वक्तव्य देने की अनुमति दी है। इस नियम के अन्तर्गत पहले भी अनुमति दी जाती रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निदेशानुसार मुझे इसकी सूचना मिलनी चाहिये थी। यदि आप इस प्रकार अनुमति देते हैं तो यह अनुचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जा सकती है तथा मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये भी जिससे मैं उन बातों का खण्डन कर पाने में समर्थ होता जो गलत हों।

श्री एल० एन० मिश्र : इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 21 मार्च को माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर मुझ पर कुछ आरोप लगाये जो नितांत निराधार तथा शरारतपूर्ण (मिस्चीवियस) हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 357 के अन्तर्गत कोई विवादास्पद बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा है कि जो कुछ मैंने कहा वह शरारतपूर्ण है। क्या आप शरारतपूर्ण (मिस्चीवियस) शब्द कहने की अनुमति दे रहे हैं ? मंत्री महोदय को यह शब्द वापस लेना चाहिये (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप शरारती हैं अथवा नहीं, इस बारे में हम वाद-विवाद करेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय सदस्य ने जिस नगेन्द्र सिंह का उल्लेख किया है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उसे कभी नहीं देखा। उन्होंने "सर्चलाइट" समाचारपत्र का उल्लेख भी किया है। इस समाचारपत्र ने स्वतंत्रता संग्राम काल में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया था। (**व्यवधान**)। यह समाचारपत्र बिहार की जनता का प्रेरणा स्रोत रहा है। यह कहना हास्यास्पद है कि मैंने

कभी उस पत्र को खरीदने का प्रयास किया है। इस समाचारपत्र के सम्पादकों और प्रबन्धकों के साथ मेरी मित्रता रही है।

उपचुनावों के दौरान मधुबनी तक आने-जाने वाली रेलगाड़ियों को रद्द किये जाने के बारे में मेरे सहयोगी ने सभा में वक्तव्य दे दिया है। गत कुछ महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण कई स्थानों पर कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ीं थी। भारत सेवक समाज के बारे में मैंने 2 जून, 1971 को सभा में वक्तव्य दे दिया था। जहाँ तक पटना न जाने का सम्बन्ध है, मुझे सभा में अनुदानों की मांगों और प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर देने थे। वैसे दो दिन पहले ही मैं पटना गया था। मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य कुछ निहित स्वार्थों की बातों पर विश्वास न करें। सचाई जानने का प्रयत्न करें।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्य करने के लिए 4 जून, 1974 से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिये अपने में से 4 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्य करने के लिए 4 जून, 1974 से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए अपने में से 4 सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

मध्य और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय गाड़ियों में अपराध

श्री धामनकर (भिवंडी) : बम्बई से प्रकाशित एक मराठी समाचारपत्र **नव शक्ति** में गत सोमवार की शाम को पश्चिम रेलवे में पहले दर्जे के डिब्बे में एक महिला यात्री पर पाशविक आक्रमण तथा जंजीर छीनने की घटना का उल्लेख किया गया है।

कुमारी ओमन जार्ज नामक एक महिला पश्चिम रेलवे पर पहले दर्जे के सवारी डिब्बे में यात्रा कर रही थी। उस डिब्बे में एक गुंडा घुस आया तथा उसने महिला की जंजीर छीनने का प्रयास किया। उक्त महिला ने उसका मुकाबला किया। साथ के डिब्बे में बैठे यात्री सब कुछ देख रहे थे किन्तु इस डिब्बे में नहीं आ सकते थे। उन्होंने जंजीर खींची। किन्तु वह गुंडा जंजीर छीन कर भाग गया तथा

उस महिला को चलती गाड़ी से नीचे धक्का दे गया । महिला को के० ई० एम० अस्पताल में भरती कराया गया । वहीं उसने यह दर्दनाक घटना सुनाई और कुछ समय बाद उसका देहान्त हो गया ।

महोदय ! मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे पर इस प्रकार की लूटपाट और आक्रमण की घटनाएं होती ही रहती हैं । कल्यान और थाना के बीच मंडा पाटनकर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई । लगभग 15 दिन पहले जरीना दस्तूर नामक एक महिला यात्री से एक गुंडे ने सोने की जंजीर छीनने का प्रयत्न किया था किन्तु उसने गुंडे को बहादुरी से पकड़ लिया । मीरा रोड जैसे सुनसान स्टेशनों पर गुंडे छुपे रहते हैं तथा यात्रियों को लूटने की ताक में रहते हैं ।

मंत्री महोदय से बार बार अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिये । रेल बजट के अवसर पर भी मैंने ये बातें उठाई थीं किन्तु मंत्री महोदय ने उनके उतर में कुछ नहीं कहा । मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिये शीघ्र कोई प्रभावकारी कदम उठाये जायें ।

श्री वयालर रवि : महोदय ! मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उस महिला ने कहा था कि मैं गुंडे को पहचान सकती हूं किन्तु पुलिस उसकी मृत्यु से पहले ठीक समय पर नहीं पहुंची । गृह मंत्री ने कहा था कि भाषाई अल्प संख्यकों की सुरक्षा की जाएगी किन्तु सुरक्षा की नहीं गई ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं प्रक्रिया को भंग नहीं करुंगा ।

अनुदानों की मांगें 1974–1975

DEMAND FOR GRANTS, 1974—1975

औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The hon. Minister has admitted the fact that. industrial production has gone down. At page 13 of the economic survey for 1973-74 it has been stated that the various industries have not been utilizing their full capacity as a result of which production of steel, aluminium and fertilizer has declained.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*) :

The Financial Express has also indicated 17 percent fall in fertilizers for kharif crops. The total requirement of fertilisers for kharif crops has been estimated to the tune of 15·43 lakhs tonnes. According to the statement of the Minister of Heavy industries, published in the 'Hindustan Times' of 17th August, due to the partial utilisation of the rated capacity of the industries, estimated production could not be achieved during the fourth plan period. Producuction targets for cotton for the Fourth Plan period could not be achieved. Similarly, we failed to achieve targetted production of steel and fertilizers. These shortfalls have adversly affected our economy. So far as Textile Industry is concerned, availability of coarse cloth has decreased. But on the other hand, production of Art Silk and Rayon has increased. A number of Industries are being closed due to non-availability of steel, cement, agricultural equipment and power. It has even been accepted by the hon. Minister in his Ministry's Report for the year 1973-74 that Industrial production has declined and have listed a few reasons for this. Attention should be paid towards improving these things.

Certain Industries were not utliting their capacity because of defects in designs. We know that targets of steel production could not be achieved due to this factor. Same position is with regard to cement. Its demand is increasing but the Government has failed to make available adequate quantity of cement to the people. Licences have been given for the setting up of Cement factories but there had been delay in the setting up of factories. A number of sites in Madhya Pradesh were considered during the fourth Plan period. Cement Corporation of India has failed to set up Cement factory at Neemuch.

Thousands of Crores of rupees have been invested in Public Sector undertakings but these Public Sector undertakings are incurring losses. Steps should be taken to see that these undertakings earn profits.

The Government has failed to control Monopoly Houses effectively. Their assets are increasing. The Public Undertakings did not get adequate encouragement due to this factor also. The hon. Minister had once mentioned about Joint Sector, but the concept has not so far been explained. It should clearly be explained. The Government should not persue the policy of discrimination between Public, Private and Joint Sectors. Our only concern should be to increase production, so that our economy could become strong.

Influence of foreign capital is increasing in our country. There is no objecton to obtaining foreign know-how, but increase of foreign capital is a matter of concern. The Government has recently permitted investment of Foreign Capital in 72 new Industries. It would increase foreign influence. These foreign companies repatriate large sums of money. Therefore, Government should have a definite policy with regard to repatriation of profits and should fix a ceiling in this regard.

An expert body of the Planning Commission had indicated that delays in imports had resulted in a loss of Rs. 335 crores. Similarly, unnecessary delays take place in exports and cause losses. These losses should be checked.

It was declared in a recent conference that we should cut down internal consumption of Cement and sugar so that these commodities could be exported in more qualities. No doubt we need foreign exchange but we cannot deprive our people of their needs. Therefore, there should be certain balance between internal consumption and exports.

There is imbalance in the development of various regions of the country. some parts are developing rapidly while others are lagging behind. The Government had declared that preference would be given to setting up of Industries in backward areas but that declaration is not being implemented. There are potentialities for setting up of industries in Bastar, Sarguja and Rajasthan.

Our Planning is very defective. We depend too much on foreign techniques, foreign know. how, etc. We should change this outlook. There are technical persons in our country who could set up industries Government should encourage them.

The Government is setting up industrial estates around big cities. But if there estates are set up around small cities industries have to face difficulty in getting raw materials. electricity, etc. They have to approach District Officers and when they are satisfied they recommend their requirements to state Capital. There should be some practical solution for this. Permits and licences should be issued to small Industries in the District itself. Similarly, Industrial Development Bank, Commercial Banks and State finance Corporations should be asked to encourage small industries.

There should be clear-cut demarcations for production of various items in big or small industries. Certain items of production should be reserved for small scale sector. Production of items, such as coarse cloth, towels, bed-sheets etc. should be reserved for Handlooms and power looms. Similarly, production of soaps and cosmetics should be earmarked to small industries. It would help in improving rural economy.

At present power to grant licences vests in the Central Government. This policy should be changed and this power should be decentralised.

The working of the public sector undertakings in not upto the mark. On the other hand working of the private Industries is also affected due to fear of Nationalisation. Due to this fear, industrialists are not making investments in their industries. The Government should announce the time upto which no Industry would be Nationalised.

Demand for counsumer goods is increasing but their availability is decreasing. Small industries should contribute in the manufacture of these goods but these goods are being manufactured by foreign owned and foreign financed firms. The Government should check their activities and resort to Indianisation of foreign Companies.

Machines are imported by National Small Industries Corporation but machines imported long ago are still lying un-utilised. Their utilization should be ensured. Steps should also be taken to improve the condition of leather and coir industries.

There has been adequate production of opium in my area. Many factories could be set up there for production of opium bye-products.

The Government should bring about a radical change in its present policy and formulate a National Industrial policy to ensure equal development of all parts of the country.

Shri M. C. Daga (Pali) : Our policies may be good but people can not be benefited unless these policies are implemented sincerely and honestly. We are not in favour of concentration of economic power. There is Industrial Policy Resolution of 1956, licensing Policy and M.R. T.P. Act, but in spite of these measures, assets of monopoly houses are increasing. It appears that Capitalism is on the increase in our country and there is a fear that capitalists would dominate our politics and pose a grave danger to our Democracy. This growth of Capitalism in the country should be checked.

There is imbalance in the development of various areas of the country, though the Government is itself against it. Rajasthan has been badly neglected in the matter of economic development. Commercial banks made per capita investment in Rajasthan to an extent of Rs. 18·2 as against Rs. 69·4 for the country as a whole and Rs. 231·6 in Maharashtra and Rs. 136·7 in West Bengal.

There is too much of centralisation of power in the hands of the Central Government, with the result that there is shortage of Power and raw materials. Applications for raw materials remain pending for a long time. A certain time-limit should be fixed for disposal of these applications.

Third Five Year Plan provided that for the peaceful revolution of the economic condition on a democratic basis, it was essential that workers participation in the management should be accepted as fundamental principle. But it has not so far been implemented even in Public Sector Undertakings.

Problem of brain drain is very serious in our country. Our Research Institutes are not doing research work properly. Most of the expenditure incurred on these Institutes is of recurring nature.

Pali is a backward area but it has not been declared as such. There are a number of poor people in Pali District doing work through hand processes. Hence this District should also be declared backward.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन): मैं विदेशी फर्मों का विरोधी नहीं हूं परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विदेशी फर्मों को भारतीय उद्योगों का शोषण नहीं करने देना चाहिये। देश में औद्योगिक विकास के पहले चरण में हमने विदेशी कम्पनियों की सहायता प्राप्त की। औद्योगिक विकास के बाद विदेशी फर्मों पर निर्भरता समाप्त होनी चाहिये, परन्तु यह निर्भरता बढ़ रही है और सरकार इन विदेशी कम्पनियों को अभी भी प्रोत्साहन दे रही है जिसका भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फाईजर, ग्लैक्सो लेबोरेटरीज़, फायरस्टोन आदि विदेशी कम्पनियों की परिसम्पत्तियों में कई गुणा

वृद्धि हुई है। फाइजर की साम्य पूंजी प्रारम्भ में दो लाख रुपये थी जो अब बढ़ कर 5.6 करोड़ रुपये हो गई है। कम्पनी की परिसम्पत्तियों का मूल्य लगभग 52 करोड़ रुपया है और वर्ष 1972 में कम्पनी ने लगभग 68.21 लाख रुपये का अमरीका को प्रत्यावर्तन किया। यही स्थिति अन्य कम्पनियों की है। मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये कि 300 करोड़ रुपये के वार्षिक सिगरेट उत्पादन में से 160 करोड़ रुपये का उत्पादन आज भी विदेशी कम्पनियों के हाथ में क्यों है। कोका-कोला का उत्पादन कार्य विदेशी कम्पनी को क्यों सौंपा गया है ? विदेशी कम्पनियों ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है परन्तु सरकार ने फिर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। अनेक सम्बद्ध मंत्रालयों ने इस प्रश्न पर विचार करके मामला मंत्रिमंडलीय उपसमिति को भेजा जिसने कुछ निर्णय लिया। परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

इस बात के बारे में निरन्तर सतर्क रहने की आवश्यकता है कि निर्यात संवर्धन और साम्य पूंजी के परिसमापन आदि के नाम पर विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों की तुलना में अनुचित अवसर न प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से इस बात पर भी विचार किया जाये कि अधिक क्षमता पर चलने वाली कम्पनियों ने इस से पूर्व अनाधिकृत क्षमता स्थापित कर रखी है तथा क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा उन्हें अनाधिकृत क्षमता के आधार पर कच्चे माल का नियतन किया जाता था और यदि हां तो क्यों ? क्या इस अनाधिकृत क्षमता का भारतीय कम्पनियों के उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ा ? इस अनाधिकृत क्षमता से उन कम्पनियों ने कितना अतिरिक्त लाभ कमाया और कितने धन का प्रत्यावर्तन किया ?

इसके साथ ही सरकार को मध्यम स्तर के उद्योगों के लिये लाइसेंस लेने की पद्धति को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिये। भारतीय कम्पनियों को अपने उपकरणों में छोटे-मोटे परिवर्तन करके उत्पादन के विविधीकरण की अनुमति होनी चाहिये।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के प्रतिवेदनों को प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों के समान महत्व दिया जाये और उन्हें कार्यान्वित किया जाये। 230 पिछड़े जिलों के विकास के लिये जो ओ० जी० लाइसेंस नीति है वह केवल भारतीय उद्यमियों के लिये होनी चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों में वित्त लगाने के बारे में वाणिज्यिक संस्थाओं पर जो प्रतिबन्ध हैं वे हटाये जाने चाहियें। भारतीय उद्योगों के विकास और संवर्धन की दृष्टि से फायर स्टोन, मैसर्स एबट एंग्लों फ्रेंच तथा अन्य विदेशी कम्पनियों के आकार पर रोक लगनी चाहिये। विदेशी फर्मों को दिये गये सी० ओ० बी० लाईसेंस जो गलत जानकारी के आधार पर हों, तत्काल रद्द किये जायें।

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): The subject of Industrial Development has to be viewed from three angles viz., the difficulties being faced by small scale entrepreneurs in the promotion of small scale industries, our performance and achievements in small scale industries sector inspite of those difficulties and our programmes for the development of small scale industrial sector and for the development of khadi and village industries.

There is no doubt that there are financial constraints and scarcity of raw materials, which have created basic difficulties in the development of small scale industries. No doubt there is shortage of raw material but in order to solve this problem import policy in respect of imported raw material has been liberalised. Even in case of indigenous raw material which is scarce particularly Iron and Steel and other non-ferrous metals, is being supplied to small scale industrial sector in larger quantity than before. However these steps will not solve the problems as such. It has been pleaded that there is some discrimination between small scale sector and large Scale Sector in so for as raw material is concerned. In this connection I may state that the basis

of supply of raw material to small scale industrial units are quite diffierent frcm large scale units because we do not have clear picture of requirements of raw material for small scale units. Bhatt Committee has given several valuable suggestions in order to promote small scale industrial units and one of the suggestions is that there should be census of small scale industrial units on large scale in the entire country. The work of census has already been started and we hope that we shall have clear picture in respect of small scale industrial sector by the end of this year. We have already accepted the report submitted by Balchandran Committee but it was difficult to implement it in the absence of any data. There are some other difficulties also and we are trying to overcome them. As regards our perfoimance and achievements in the Fourth Plan, the number of registered units, their employment pctential, their capital investment and production and export by the small scale Industries sector has increased considerably and there are statistics to show that development of small scale industries sector is not stagnant. No doubt the development is not according to our expectation but it is not stagnant.

It is true that small scale sector is more important than large scale sector in view of economy of the country and employment. We are not complacent with the development of large scale sector but we have our own limitations. However no body can check the growth of small scale Ihdustrial Sector.

Some honble members have observed' that there is some discrimination in the matter of declaration of backward areas and backward districts. But the fact remains that the Planning Commission declares a particular area or a district backward in consultation with state Government on the basis of certain norms. It is just possible that some districts, which might have been actually backward might have been left out. We come into picture only after an area is declared as backward. We go into the reasons of backwardness of that area. There are various reasons such as absence of infra, structure, proper entrepreneurship, back' of technical know how and similar other factors. We have proposed several incentives so that entrepreneurs may set up industries in these areas. As regards our approach to the development of small scale industries sector in the Fifth Five Year Plan, more stress as being laid on the integrated assistance to small scale industries. There has been no proper coordination between different institutions and organisations promoting development of small scale industries. Emphasis is now being laid on providing integrated assistance to small scale entrepreneurs in the field of management consultancy, training of personnels credit availability and facilities of technical know how. Our main thrust in the Fifth Plan would be to take measures to use raw material locally available tin the backward areas for industrial growth. We have to find out whether local entrepreneurs are available in these areas or not and in case they are not available there we have to ask entrepreneurs available in other parts of the country of to set up industries there by using locally available raw material. We propose to open new branches of N.S.I.C. This corporation has been facing some difficulties and a committee was appointed to go into them. The report submitted by the aforesaid committee is under consideration of the committee. We propose to streamline the working of this corporation in the light of tne recommendation of that Committee. It is proposed that this corporation should work as a refinancing institution for states. This preposal is under consideration and it this suggestion may be implemented in various stages. We want the N.S.I.C. should work as refinance institution upto Rs. 1 lakh. But at second stage we want to get the entire work done through the states or institutions of the states.

The activities of the khadi and village Industries Commission are not merely industrial, a programme of social uplift is also conneted with it. I cannot say that there are no defects in its working but efforts are being made to remove them. Steps are being taken to increase production by using new model 'charkhas'. It would increase production as well as wages of the workers. A new programme of 'lok vastra' is likely to be introduced. It will be a cheaper cloth which can be used by the common man.

I want to make one thing clear that Government is not in favour of mechanising coir industry in the manner in which it may create problem of unemployment. We are however, in favour of modernisation to the extent than it may not increase unemployment and on the other hand

increase production which can be exported. The Government had decided in 1961 that one-third products of coir industry may be mechanised and as a result of this decision three mechanised units were set up in three mechanised sector.

I would like to congratulate the All India Silk Board for the research work done by them in the field of development of sericulture. We used to lay emphasis on nueberry seed so far but now a new programme is under consideration which relates to development of oak tusser and if necessary an oak Tusser Development Corporation will be set up. We have to take steps to develop silk industry to earn more foreign exchange keeping in view the great demand of Indian silk.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : आज मुझे अहमदाबाद से एक तार मिला है कि पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध न होने के कारण अनेक कारखाने बन्द होने जा रहे हैं। क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय इस सम्बन्ध में कोई ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे इस प्रकार की स्थिति पैदा न होने पाये। सामान्यत: देखा गया है कि जब कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर जिम्मेदारी डालने का प्रयत्न करता है। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में कोई संतोषजमक योजना बनाई जानी चाहिए।

नेफथा के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की गई है। यह सम्भव है कि यह कार्यबाही मजबूरी में की गई हो। परन्तु प्रश्न यह है कि इस मूल्य वृद्धि का उन उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो इसकी सप्लाई पर निर्भर करते हैं? इसका एक परिणाम यह होगा कि उपभोक्ता को प्लास्टिक के एक बैम के लिए 9 रुपये के बजाय 21 रुपये खर्च करने होंगे। इससे मुद्रा-स्फीति का प्रसार होगा। अत: औद्योगिक विकास मंत्री को मंत्रिमण्डल में इन उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिये संघर्ष करना चाहिए।

सीमेंट के बारे में सरकार की नीति विचित्र है। दो वर्ष पूर्व देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध था। इतना ही नहीं निर्यात के लिए भी कुछ बच जाता था। फिर अचानक ही विस्तार रोक दिया गया। अब फिर अभाव की स्थिति पैदा करने के बाद उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार की नीति औद्योगिक विकास अथवा देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है।

प्रतिवेदन में लिखा है कि औद्योगिक कारखानों को मंजूरी देने के सम्बन्ध में प्रक्रिया में सुधार किया गया है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद औद्योगिक कारखानों की मंजूरी शीघ्र दी जा रही है? क्योंकि मुझे पता है कि इस मंत्रालय को लिखे गये पत्रों का उत्तर भी शीघ्र नहीं मिलता। मैंने बिनौलों में से तेल निकालने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि औद्योगिक एकक को कई महीनों तक उत्तर नहीं मिला था, परन्तु उसका आज तक मुझे भी उत्तर नहीं मिला। अत: मेरा निवेदन यह है कि केवल प्रक्रिया निर्धारित करने से काम नहीं चल सकता। उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए ताकि काम शीघ्र हो।

सरकार आयोग की नियुक्ति 18 फरवरी, 1970 को की गई थी और उसे 2 फरवरी, 1971 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। परन्तु अब उस आयोग की अवधि 17 फरवरी, 1975 तक बढ़ा दी गई है। परन्तु इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आयोग 2 फरवरी, 1971 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत क्यों नहीं कर सका। क्या इस बात का अनुमान पहले ही नहीं लगाया जा सकता था कि आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में

इतना अधिक समय लगेगा? फिर अब भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 1975 तक में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा या नहीं?

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : निहित स्वार्थ और एकाधिकार गृह इस मंत्रालय की सदा आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि उत्पादन कम हो गया है। वे यह भी कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि यह मंत्रालय ठीक प्रकार से लाइसेंस जारी नहीं करता। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, वनस्पति तथा अन्य खाने-पीने की वस्तुओं के उत्पादन पर गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं का पूरा नियंत्रण है। क्या इन एकाधिकार गृहों और बहु-राष्ट्रीय कारपोरेशनों को विस्तार करने और इस देश के समुच्चय आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन को प्रभावित करने की अनुमति देगी? विश्व के अनेक देशों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां पर इस प्रकार के बहु-राष्ट्रीय कारपोरेशनों ने राष्ट्रीय निहित स्वार्थों के साथ गठबन्धन किया और फिर राजनीतिक लाभ उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन देशों की लोकतंत्रीय संस्थाओं को ही समाप्त कर देने का प्रयत्न किया। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस तथ्य को सदा ध्यान में रखें।

उत्पादन बढ़ाने के नारे से एकाधिकार गृहों को अधिक विस्तार करने का प्रोत्साहन मिलता है। मैं निश्चय ही चाहता हूं कि लघु उद्योग स्थापित करने वाले और स्थानीय उद्यम-कर्ता और उद्योग स्थापित करें और अधिक पूंजी निवेश करें। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। इन सभी बड़े व्यापार गृहों को उत्पादन के नाम पर सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, यदि यही स्थिति रही तो ये एकाधिकार गृह निहित स्वार्थों के साथ सहयोग करेंगे और देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न करते रहा करेंगे।

इससे पहले मुझे लघु उद्योग विकास निगम के विरुद्ध शिकायत रही है लेकिन अब नहीं। मंत्री महोदय ने इसके कार्य में सुधार लाने के लिये स्वयं रुचि ली है। छोटे उद्योगपतियों को मशीनें देने का कोई कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन पैसा जमा करने के बावजूद भी उन्हें अभी तक मशीनें नहीं दी गई हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मंत्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि कागज निगम की स्थापना 1976 तक की जायेगी। सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

नारियल जटा तथा खादी का जिक्र किया गया है। केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन करने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में केरल सरकार को किस प्रकार की सहायता प्रदान करने जा रही है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह सब हम आपसे जानना चाहते हैं।

श्री वयालार रवि : इस हेतु आपको कम से कम 15 करोड़ रुपये देने चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : समस्या पैसों की नहीं बल्कि किसी और चीज की है।

श्री वयालार रवि : यदि समस्या पैसों की नहीं तो मुझे बहुत खुशी है। इस वर्ष के लिए 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जबकि हम 3.5 करोड़ रुपये की आशा कर रहे थे। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मंत्री महोदय को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिए।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : कुछ वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र मंद गति से चल रहा है। हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान निरूत्साहित करने वाली स्थिति के क्या कारण हैं और इन कारणों का हम किस प्रकार निवारण कर सकते हैं।

देश की अर्थ नीति पर हमें पुनः विचार करना चाहिए। स्वीडन द्वारा अपनाये गये प्रजातांत्रिक समाजवाद के मार्ग पर हम चलें तो देश की अर्थव्यवस्था एक नये मोड़ की ओर मुड़ेगी।

इस देश में पैसे तथा मुद्रा का महत्व घटता जा रहा है जिसके कारण हमें अभाव तथा मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे देश में कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है। कोयला जैसी अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन में स्थिरता आ गयी है। हम आज बहुमुखी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कहीं बिजली नहीं, कहीं कोयला नहीं और कहीं अनिवार्य वस्तुओं के परिवहन हेतु वैगन नहीं।

हमारे लिये वित्तीय तथा ऋण परिवर्तन लाना भी जरूरी है

जिस ढंग से हम संकटग्रस्त एककों का रख-रखाव कर रहे हैं, वह विचारणीय है।

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये]

[Shri Naval Kishore Shinha in the Chair]

मैं बताना चाहता हूं कि संकटग्रस्त एककों के रख-रखाव द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था को बड़ी क्षति पहुंच रही है।

लाइसेंस सम्बन्धी नीति में भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि 10 से 12 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि से राज्य को प्रति वर्ष 1,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है। हमें अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का बनाना चाहिये।

हम बेरोजगारी की बातें करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी बेरोजगारी नहीं मिटी। मेरा अनुमान है कि हमें लगभग एक करोड़ रोजगार खोलने चाहिएं जिसके लिए प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश चाहिए। इतने धन का लगाना असम्भव है। ऐसी स्थिति में, मैं शिल्प-उद्योग चलाने के लिए सुझाव दूंगा क्योंकि इस पर पूंजी भी कम लगती हैं और काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने का अवसर मिलता है।

कृषि पर आधारित उद्योगों से पिछले दस सालों के दौरान उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस बार कृषि के लिए सीमित राशि रखी गई। यदि कृषि सम्बन्धी अन्य व्यय में भी कमी की गयी तो कृषि उत्पादन में बहुत कमी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं औद्योगिक विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन को यदि आप पढ़ें तो आपको मालूम हो जायेगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने सराहनीय कार्य किये हैं और देश के

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने में वे बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बहुत कम वित्तीय व्यवस्था की गयी है।

लाइसेंस सम्बन्धी नीति की भी चर्चा हुई है और कहा गया है कि एकाधिकारियों का दमन किया जाना चाहिए ताकि सारा लाभ उन्हीं को न मिले। यह प्रश्न विचारणीय है लेकिन वर्तमान स्थिति में, सरकारी, गैर-सरकारी तथा विदेशी हर प्रकार की पूंजी का उपयोग देश के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।

सीमेंट सम्बन्धी लाइसेंस नीति में परिवर्तन कुछ पहले ही किया जाना चाहिए था क्योंकि यह एक भारी उद्योग है और इसमें पूंजीपति ही धन लगा सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र की दो फर्में हिन्दुस्तान साल्ट्स और साम्भर साल्ट्स महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। छोटे छोटे लवण पटलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी उचित कदम उठाय जाने चाहिए। लवण पटल का कार्य करने वाले लोगों को नमक भेजने के लिए पास अथवा परमिट लेने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए।

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में कमी होने के कारण रबड़ की कमी हो गयी है। प्राकृतिक रबड़ का निर्यात यदि इतनी ही मात्रा में चलता रहा तो हमें विदेशों से रबड़ का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए रबड़ के निर्यात पर पाबंदी लगानी चाहिए।

रुपये की घटती कीमत को ध्यान में रखते हुए छोटे उद्योग की परिभाषा भी बदली जानी चाहिए और इसकी पूंजी सीमा साढ़े सात लाख रुपये से अधिक बढ़ायी जानी चाहिए।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के प्रबन्ध की जांच की जानी चाहिए। वहां के कर्मचारियों का व्यवहार एकाधिकारियों जैसा है, ये ग्राहकों का निरादर करते हैं।

श्री सी० एम० स्टिफन (मुवत्तुपुजा) : हमारे सामने मूल्य वृद्धि तथा बेरोजगारी दो प्रमुख समस्याएं हैं। इनके समाधान बिना राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना सम्भव नहीं है। मेरे माननीय मित्र जी श्री डी० डी० देसाई ने बेरोजगारी को दूर करने का उपाय बताया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख है। पहली योजनाओं की तुलना में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दुगनी राशि का नियतन किया गया है सरकार द्वारा बनायी गयी रूपरेखा तथा किया गया मूल्यांकन बुरा नहीं है। हम यह किस प्रकार मानें कि योजना में उल्लिखित बातें कार्यान्वित की जायेंगी तथा उन्हें व्यवहार में लाया जायेगा। उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जब तक उद्यमियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा उस समय तक बेरोजगारी कम नहीं होगी। छोटे उद्योगों को हर प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कृषि क्षेत्र द्वारा ही किया जा सकता है। यदि यह सम्भव नहीं है तो क्या होगा? इसके फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक तनाव बढ़ेगा और स्थिति बिगड़ेगी। गांधी जी ने कहा था कि इस देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान छोटे उद्योगों की स्थापना द्वारा ही सम्भव है। क्या हम गांधी जी द्वारा बताये गये मार्ग पर नहीं चल सकते? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम अधिकाधिक उत्पादन कैसे करें और रोजागार के अधिकाधिक अवसर कैसे पैदा करें। आज की प्रमुख आवश्यकता अधिकाधिक उत्पादन तथा अधिकाधिक रोजगार का प्रदान किया जाना है।

Dr. Kailas (Bombay-South) : I support the demands of Industrial Development, Science & Technology. This Ministry has been provided with meagre funds for the development of Science and Technology which will prove to be a great hurdle for fulfilling the fixed targets.

We should pay special attention towards forest wealth and minerals.

Industrial production is declining inspite of more licences and letters of intent issued for setting new industries. We have been talking so loudly about public, private and cooperative sectors but those who dare to set up industries in the backward areas as condemned as monopolists etc. etc .

The Government has done great injustice towards medium and small industries. Young engineers are not getting due encouragement from the Government. Long time is taken for considering their application. Government should also manage to supply iron and cement to the medium and small scale industries. Hindustan Photo Films Manufacturing Company is not functioning properly. In case it is run properly it can easily surpass kodak and Agfa. The Government should look into this matter.

There is acute shortage of paper in the country. Today there is no paper for printing children's text books and there is acute shortage of newsprint as well. The Hindustan Paper Corporation Ltd., had planned to set up pulp and paper factories at four places. There is a need to see as to what difficulties are being faced by the corportion in this regard.

Our Ministry is not giving proper attention to the development of Khadi and Village Industry. In case proper attention is paid towards this industry, the problem of unemployment could be solved to some extent. There is enough export potential in this industry.

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : वर्ष 1973 में औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है। इसके मुख्य कारण ये बताये गए हैं : वर्षा का न होना, बिजली की कमी, औद्योगिक सामग्री का एक स्थान पर जमा हो जाना, आशोधित तेल जैसे औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में भारी वृद्धि। इसके अन्य कारण, जिनका मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है--ये हैं--अकुशल प्रशासन, योजना आयोग द्वारा त्रुटिपूर्ण योजना बनाना, मुख्य परियोजनाओं को निर्धारित समय में क्रियान्वित न करना, अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न करना, हड़तालें तथा श्रमिकों में व्याप्त असंतोष।

यह कहा जाता है कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और अब लाइसेंस शीघ्रता से जारी किये जाते हैं। अक्तूबर, 1973 के अन्त तक विभिन्न, मंत्रालयों में लाइसेंसों के लिये कुल 3,861 आवेदन पत्र विचाराधीन थे। इनमें से 1,692 आवेदन पत्र 1972 से तथा इससे पहले से विचाराधीन थे। अतः जब तक लाइसेंस देने सबन्धी प्रक्रिया में सुधार नहीं होता, इस बारे में विलम्ब अवश्यम्भावी है।

योजना तैयार करते समय हम वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाते। हम अधिक उत्पादन करने के लिये योजना न बनाकर, कमी को दूर करने के लिए योजना बनाते हैं। योजना बनाने की इस प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

योजना तैयार करते समय हम वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं लेकिन अन्त में हम यह घोषणा करते हैं कि हमने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं और हम कभी भी वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं होते।

देश में विभिन्न संयंत्रों में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। अधिकांश भारी उद्योगों में 85 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग होता है और वास्तव में यह 75

प्रतिशत से भी कम होती है। कम से कम 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए और उक्त लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

सरकार अनेक परियोजनाओं की क्रियान्विति निर्धारित समय में नहीं करती। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निर्माण में हो रही वर्तमान प्रगति के अनुसार उक्त इस्पात संयंत्र का निर्माण आगामी 15 वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। मंगलौर मुख्य पत्तन पर निर्माण कार्य 1965 में आरम्भ किया गया था और 15 वर्ष के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

हड़तालों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय मजूरी नीति होनी चाहिए। जब तक देश में कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते, हड़तालों का दौर चलता रहेगा। हड़तालों को रोकने का एक मात्र उपाय राष्ट्रीय मजूरी नीति निर्धारित करना है। इस समय केन्द्र, राज्य और सरकारी क्षेत्र में भिन्न-भिन्न वेतनमान हैं।

बोनस का लाभ से सम्बन्ध होना चाहिए। यदि बोनस का लाभ से सम्बन्ध होगा तो कर्मचारी कारखानों में लाभ के लिए प्रयास करेंगे और कारखानों में उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम 103 संकटग्रस्त मिलों को चला रही है। इनमें से अधिकांश मिलें लाभ में चल रही हैं। उक्त निगम द्वारा उत्पादित 4,500 लाख मीटर कपड़े में से केवल 20 प्रतिशत नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया जाता है। निगम को बढ़िया किस्म के कपड़ा के निर्यात के लिए उत्पादन करना चाहिए। बाकी नियिंत्रित कपड़े का उत्पादन करना चाहिए। देश से यदि गरीबी दूर करनी है तो जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज और कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। गरीब लोगों के लिए नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध होना चाहिए। देश में बेरोजगार हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा धागा उपलब्ध करवाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में एक, मध्य प्रदेश में दो और आन्ध्र प्रदेश में दो नये सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव प्रशंसनीय है।

बड़े औद्योगिक गृहों को नियमों से हट कर प्रोत्साहन देने की बात समझ में नहीं आती। पिछड़े क्षेत्रों का तभी विकास हो सकता है जब बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन न देकर लघु उद्योगपितियों को प्रोत्साहन दिया जाये। इन बड़े औद्योगिक गृहों को प्रोत्साहन देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लघु उद्योग सम्बन्धी भट्ट आयोग की सिफारिशों को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) **:** It has been stated that the selection of backward districts is made by the Planning Commission on the recommendations of the State Governments. We want to know on what basis selection of the backward districts were made in the case of Bihar ? I want to request the hon. Minister that Sitamarhi, Muzaffarpur and Hazipur districts of Bihar should be included in the list of backward districts at the time when the next selection in the regard is made.

A large number of educated people want to set up small scale industries in Bihar. They have submitted their application for this purpose but necessary sanction has not been given to them. They are required to give bribes. There should be a list in every office showing the date

on which a particular application for the licence was submitted and the date on which the licence was sanctioned. The Government should take immediate steps to stop bribery, otherwise the situation in Bihar is likely to become explosive. The Government should take next steps that the educated people in Bihar could get justice.

Sinki industry in Bihar is an important small scale industry. The Government should take that industry under its own control. The Government should make arrangements for the sale of the goods manufactured from **Sinki,** so that the poor people could earn their livelihood.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध लगाये गये सब ग्रारोप झूठे, गलत ग्रौर बेबुनियाद हैं। श्री सुब्रह्मण्यम ने बहुत ही ग्रच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ग्रौर इस बारे में कोई भी बात छिपाने का प्रयास नहीं किया है।

यदि हम देश में विकास दर 5.5 प्रतिशत प्राप्त करना चाहते हैं तो उद्योगों में 9 से 10 प्रतिशत से कम उत्पादन नहीं होना चाहिये। ग्रब जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है अत: उपभोक्ता वस्तुग्रों का उत्पादन 10 से 11 प्रतिशत ग्रवश्य होना चाहिये।

ग्रान्ध्र प्रदेश पहिले बहुत पिछड़ा हुग्रा प्रदेश था। श्री सुब्रह्मण्यम के प्रयासों से उस राज्य नें ग्रौद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। समस्त देश के विकास के लिये ग्रान्ध्र प्रदेश में ग्रौर कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें।

श्रीकाकुलम जिले में सालुर में सहकारी पटसन उद्योग की स्थापना की जानी चाहिये। भद्राचलम में ग्रखबारी कागज परियोजना स्थापित की जानी चाहिये। देश में 40,000 टन ग्रखबारी कागज का उत्पादन होता है ग्रौर हमें दो लाख टन कागज का विदेशों से ग्रायात करना पड़ता है। ग्रत: उक्त ग्रन्तर को दूर करने के लिये ग्रान्ध्र प्रदेश में ग्रखबारी कागज के कारखानों की स्थापना की जानी चाहिये।

कोटागुडम ग्रौर विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। इन क्षेत्रों में कोयला ग्रधिक मात्रा में उपलब्ध है। ग्रान्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाने शीघ्र प्रस्थापित किये जाने चाहिए। विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र में ग्रभी तक कोई काम ग्रारम्भ नहीं हुग्रा है।

ग्रान्ध्र प्रदेश में कच्चा माल बहुत ग्रधिक मात्रा में उपलब्ध है। राज्य के लिये पहले ही तीन सीमेन्ट कारखानों की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन उनमें काम ग्रारम्भ नहीं हुग्रा है। इन कारखानों में शीघ्र काम ग्रारम्भ किया जाना चाहिये।

उद्योगपतियों को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित किया जाना चाहिये। जो कारखाने ग्रपनी निर्धारित क्षमता से 20 से 30 प्रतिशत ग्रधिक उत्पादन करें उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

ग्रवैध रूप से धन कमाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री के० गोपाल (करनर): दक्षिण भारतीयों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दिये जाने का ग्रारोप लगाया गया है। वास्तविकता यह है कि दक्षिण भारत के लोग ग्रधिक बुद्धिमान हैं, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Natural resources should be utilised through scientific methods for industrial development of the country. So long as this is not done, we will not be able to make sufficient progress.

On the one hand, our small scale industries have to face competition from big industries and on the other hand small scale industries are not getting any encouragement. As a result of it,

these industries are not making any progress. There is regional disparity due to lack of perspective planning. In orders to remove this disparity, the Government should provide at least one per cent of its income for the development of backward areas. In case if is not done, the backward areas will never be able to develop and they will continue to be a burden on the whole of the country.

It is sad, that although there are lot of forests and raw materials in the hilly areas of Uttar Pradesh, yet nothing has been done for setting up industries there. All the raw materials of Uttar Pradesh are being sent to plains and are being utilised there. So, the hill areas continue to remain backward. There is a lot of wool in the hilly areas of U.P. But there is no coordinated scheme for its development. According to experts the wool of Uttar Kashi is the best in India. But it is taken to Panipat and the local people have to be contented with the inferior quality of wool. The Government should take steps for the utilisation of natural resources.

The education should be provided in such a manner that the people of hilly areas may be able to utilise the natural resources available there and thus they may be able to earn their livelihood.

Amendments should be made in the National Industrial Policy regulations, if necessary, for the development of backward areas.

The one reasons for non-development of the backward areas is that there is shortage of infra-structure. The hon. Deputy Minister has also accepted it. The implementation of the schemes should be ascertained by organising on the spot verifications of facts regarding the needs and aptitudes of the people of the areas concerned. Much more attention should be paid to the setting up of resource-based and employment-oriented industries in the hilly areas. Only then you can develop them.

To me Khadi Gramodyog is a white elephant and its contribution to our areas has been nil. For instance, the ready-made garments which are sold in our area are produced in Ahmedabad I would insist that the Khadi Gramodyog Commissions should form the cooperatives of the people of those very areas, get clothes prepared from them and then sell them. This would provide work and employment to the people there. Similar endeavour could be made in respect of honey, wood-work, herbs etc. Then maximum encouragement should be given to silk industry in the hill areas.

Finally, I would point out that in the third Plan there was a scheme to set up a cement factory near Kalsi in Dehradun. But I am sorry to say that scheme has not been taken up even during the Fourth plan. This should be taken up at least in the ensuring Fifth Plan and, in case it cannot be taken up by the cement corporation of India, let the U.P. cement corporation be given a letter of intent therefor, so that some employment opportunities come up.

श्री जगन्नाथराव (छतरपुर) : देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र का दायित्व संभालने वाले इस मंत्रालय को सामने दो मूलभूत कार्यवाहियां हैं : एक है एकाधिकार गृहों का निरन्तर संवर्धन और उनका अनियंत्रित उत्पादन तथा दूसरे माल की कमी। जब तक ये कार्यवाहियां हल नहीं होतीं तब तक देश में औद्योगिक विकास सुनियोजित ढंग के नहीं हो सकता।

एकाधिकार गृहों का अस्तित्व तो बहुत पहले से ही हमारे देश में है और ये गृह तकनीक, संसाधन तथा प्रत्येक क्षेत्र में साधन सम्पन्न रहे हैं और इनका विस्तार बड़ी तेजी से होता गया और आर्थिक शक्तियां इनके राज्यों में केंद्रित होती रही हैं।

इसका मुकाबला हम अपने सरकारी क्षेत्र का विस्तार करके तथा उसमें उत्पादन बढ़ाकर ही कर सकते हैं। परन्तु खेद है कि हमारे सरकारी क्षेत्र अपना विस्तार करने में बहुत ही ढीले हैं जिसके कारण हमें वित्तीय संसाधनों की कठिनाई हो रही है। हम देखते हैं कि आज विद्युत, कोयला,

सीमेंट, इस्पात आदि सभी चीजों का देश में अभाव है। आज सभी ओर आभाव की स्थिति है और ऐसी स्थिति में औद्योगिक विकास हो पाना बढ़ा मुश्किल नजर आता है।

प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया है कि मध्यम श्रेणी के कितने उद्योगों को लाइसेंस दिये गये हैं तथा कितने ऐसे उद्योग पनप रहे हैं। मध्यम क्षेत्र के विकास से ही एकाधिकार गृहों का मुकाबला किया जा सकता है। इस संबंध में कम से कम अगले वर्ष तो विवरण दिया ही जाये।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास न हो पाने का वहां उद्योगों को न पनपने के लिये सरकार को दोष देना न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो राज्य सरकारों को ही उन क्षेत्रों में आवश्यक आधार-भूत ढांचा तैयार करना चाहिये, जिन्हें पिछड़े क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके पश्चात ही केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को लायसेंस देते समय कह सकती है कि वह पिछड़े क्षेत्र में जाकर अपना उद्योग स्थापित करे। अतः राज्य सरकारों को आवश्यक आधार भूत ढांचा तैयार करना चाहिये।

लघु उद्योग हमारी अर्थ-व्यवस्था की समृद्धि में बड़ा सहायक होता है। 167 मदें केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित की गई हैं और इस उद्योग ने प्रगति भी खूब की है। परन्तु बड़े पैमाने के उद्योग धन्धे केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहे हैं और उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी स्थापना से वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुद्धढ़ होगी।

प्रत्येक छोटे या बड़े उद्योग के पास एक अनुसंधान तथा विकास स्कन्ध होना चाहिये जिसमें अनुसंधान कार्य तथा नये-नये तरीकों की खोज होती रहे। मुझे खुशी है कि सरकार तकनीकी जानकारी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में करार कर रही है।

वस्तुतः लायसेंस देने के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। उसे इस प्रकार बिल्कुल स्वछन्द नहीं छोड़ा जाना चाहये। हम यहां हमेशा सरकारी क्षेत्र तथा इसके उपक्रमों की कार्यों की तो समीक्षा करते हैं परन्तु निजी क्षेत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। अब मंत्रालय औद्योगिक नीति संकल्प की क्रियान्वति के माध्यम से निजी क्षेत्र पर कुछ अंकुश रखने का प्रयास कर रहा है जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र को केवल अपने कार्यकरण के बारे में ही नहीं बल्कि अपनी क्षमता के उपयोग, किस्म नियंत्रण उत्पादकता आदि का विवरण मंत्रालय को देना होगा। जब सरकारी क्षेत्र के बारे में संसद इतनी समीक्षा कर सकती है तो फिर निजी क्षेत्र के बारे में भी कर सकती है।

इन शब्दों के साथ में मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब मेरे सामने तीन सदस्यों के नाम हैं और मंत्री महोदय ने 4 बज कर 40 मिनट पर उत्तर देना है। इसलिये माननीय सदस्य 5 मिनट की समय सीमा से आगे न बढ़े।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापूत) : मैं औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

देश में बड़े उद्योगों का विकास हमारी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करता है परन्तु जब उन्हें वन-प्रदेशों तथा आदिवासी क्षेत्रों में लगाया जाता है तो उन क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनके कारखानों में आदिवासियों को काम करने का अवसर नहीं दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन उद्योग में इन लोगों को पर्याप्त अवसर देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अभी श्री जगन्नाथ राव ने बताया कि निजी क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के कल्याण की परवाह नहीं करते हैं। साथ ही देश में वायु-प्रदूषण तथा जल-प्रदूषणं बढ़ रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार इसे रोकने के लिये निजी उद्योगों को समुचित निदेश जारी करे।

प्रधान मंत्री ने एक पत्र द्वारा मुझे बताया है कि अगले वित्त वर्ष से आरम्भ होने वाली पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक मंत्रालय के लिये क्षेत्रवार धन का नियतन किया जा रहा है। मंत्री महोदय बतायें कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये किस प्रकार नियतन किया जा रहा है अर्थात् इन क्षेत्रों में कितने बड़े तथा छोटे उद्योग लगाये जा रहे हैं। यदि बड़े उद्योग लगाये जायेंगे तो तकनीकी कार्यकुशलता तथा कौशल न होने के कारण हमारे आदिवासी लोगों को उनमें रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिये वहां लघु उद्योग लगाये जायें और वे उद्योग भी वन-सम्पदा तथा कृषि पर आधारित हों तथा ऐसे हों जिनमें वहां के लोग काम कर सकें और उनका औद्योगिक विकास हो सके।

मेरे चुनाव क्षेत्र में जो केल्शियम कार्बाईड, सीमेंट तथा कागज के कारखाने तथा धुनाई मिल लगाई जा रही हैं वे पांचवीं योजना में लग जाने चाहियें ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास मंत्रालय ने पांचवीं योजना म आदिवासी क्षेत्रों के लिये कितनी राशि रखी है और क्या राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास की कोई योजना केन्द्र को पेश की है।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastiqur) : I support the proposed demands fully. I congratulate the Ministry for providing sufficient new incentives for the rural and backward areas. The development of small scale industries, commissioner Shri K. L. Nanjappa has said in his foreword that during this period of one and a half decade, we have made all these things but the problem, though formidable, has been constantly engaging the attention of the Government Industrialisation of backward areas (i.e. 5 lakhs villages) in a country like India is admittedly a difficult task.

The opposition parties had criticised the allocation of Rs. 2,000 crores for the development of twin cities of Bombay. They urged for allotment of at least Rs. 10,000 crores for the development of backward areas.

Shri Subramaniam is a very experienced man and I am sure he would see what I have indicated indirectly.

Then there was an All India Backward Conference and we had demanded Rs. 16 crores for the development of hill areas. *I would like to say that important letter* on the Table of the House*. It was signed by as many as 85 M.Ps.

North Bihar, with a population of 3 crores is a poverty-stricken area having only one or two sugar Mills.

Khadi and Village Industries Commissions head office is at Bombay but in case you want to set up 20,000 *Gobar* Gas plants in all the areas having plenty of live-stock, you should have its offices at other places also.

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा तदन्तर आवश्यक अनुमति प्रदान न किये जाने के कारण कागजात/दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the Paper/Document was not treated as paper laid on the Table.

There is only one Paper Mill in Bihar and that has been lying closed for several years. Nothing has so far been done to open or restart it. Let the hon. Member look into that.

Shri Basheshwar Nath Bhargava (Ajmer) : I rise to support the demands proposed by the Ministry of Industrial Development. Industrial development is very vital in the countext of our economic growth. I particularly drawn the attention of the hon. Minister to the regional inbalances in the country. He should look into that and take steps to minimise them. It has been said here that the capitalists of Rajasthan go to distant places to set up their industries. That is only because no infrastructure is available there from the very beginning. History reveals that the Rajas of Rajasthan gathered only the sources of luxuries and cared the least for the poor people.

Drought are very frequent in Rajasthan therefore, request you to look into the problems of Rajasthan more particularly of its backward areas recongnised as such. Ajmer faces drought every alternate year and the per capita income there is very low. This area should have been declared backward.

Masanda synthetics were given licence for Vijay Nagar, but later on when Government declared certain facilities for the setting up of industries in backward areas, they by hook or by crook, got the venue shifted to a place about 8 miles away in order to get these facilities. This has resulted in a loss of Rs. 5 to 7 lakhs to the Government. I,therefore, insist that this case should re-reviewed since the reason extenaed by the firm is meaningless.

Although Government itself sets up industrial estates in areas where labour is available in plenty, yet it is strange that no help has been provided to Indira Gandhi Rural Industrial Estate in Byawar which has been set up by the the people themselves. There is no cement and other material available to them and they feel very much disappointed, discouraged and frustrated.

Some industries are not getting raw material where as some others which have yet to come up, are selling raw material in black market. It is very serious matter and should be gone into deeply. Gota-Badla Industries in Kishangarh of District Ajmer came up by providing old and worn out equipment and it got raw material as well as import licence. You cannot get a licence and raw material until you are able to establish unfair contacts with the concerned officials. This matter too needs serious thought.

A good quality of lime stone is available in Byawar. Let the cement corporation set up a cement industry there without delay.

The policy regarding getting foreign collaboration is not being followed properly and discrimination is being made in the matter. Despite the existence of Micronics Industries which manufactures electrical goods in Kucheel, Distt. Ajmer, you have allowed collaboration between M/S Nalini P. Seth of Bombay and Cambric Thermonik corporation of the U.S.A. for the manufacture of the same goods. I request you to look into that also.

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : आज देश बड़े भारी संकट से गुजर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। परन्तु सरकार निष्क्रिय नहीं है और साथ ही सभा के समक्ष भी उसने सारी स्थिति स्पष्ट रूप से पेश कर दी है। कठिनाईयों को देखते हुए, हमें कुछ कड़े शब्द भी सुनने पड़ रहे हैं और हम भी उनका बुरा न मानकर अधिक उत्साह से प्रयास करने को कृतसंकल्प होते हैं।

वर्ष 1965-66 में औद्योगिक विकास सूखे की वजह से दो वर्ष के लिये रुक गया था परन्तु उसमें फिर तेजी आ गई थी। मगर फिर भी अभी तक औद्योगिक उत्पादन आवश्यकता के अनसार बढ़ नहीं पाया है। वर्ष 1973 में तो औद्योगिक संबर्धन शून्य प्रतिशत भी नहीं हुआ।

औद्योगिक अवरोध का अनमान करने तथा उसे दूर करने के उद्देश्य से किसी एक या दो पहलुओं पर नहीं बल्कि समूची स्थिति पर विचार करना होता है। गत दो-तीन वर्ष के अनभव से हमने पाया है कि देश में औद्योगिक संवर्द्धन के लिये अपेक्षित आवश्यक मूलभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, उद्योगों के लिये संचालन शक्ति चाहिये और उसके लिये कोयला और विद्युत चाहिये। फिर परिवहन व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से देश में तीनों ही चीजों की स्थिति ठीक नहीं है। विद्युत प्रजनन के लिये कोयले का उत्पादन तथा उसको बिजली घरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है और इसके लिये रेलें चलनी चाहियें। इस प्रकार अनेक बातें परस्पर सम्बद्ध हैं। सरकार इन सभी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किये हुए है।

दुर्भाग्य से यह मामला केवल तकनीकी कठिनाइयों का ही नहीं, बल्कि मानवीय समस्याओं का भी है, विशेषकर रेलवे विभाग में जब श्रमिक संबंध बिगड़ते हैं तो सारी स्थिति बिगड़ जाती है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे अभी मेरे एक मित्र ने रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजा गया अखिल भारतीय हड़ताल का नोटिस दिया है। इसका देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब कुछ सोचने और अनुभव करने की ज़रूरत है।

जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वे इससे प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन इस से देश में और लोगों के लिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और निर्धन वर्ग इससे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि समृद्ध वर्ग तो स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। अतः इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा प्रयत्न मूलभूत ढांचे में सुधार करना है। सभी सम्भव उपायों पर विचार किया जा रहा है और उनका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग तथा कुशल ढंग से करना होगा।

इस्पात औद्योगिक उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है परन्तु आजकल उसकी भी कमी है। अलौह धातु और विशेषकर एल्यूमीनियम का उत्पादन कम हो गया है। अतः हमें स्थिति का सामना करना होगा।

विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का ध्यान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ही रखा जा सकता है। इन मंत्रालयों में समन्वय होना आवश्यक है तभी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। इसीलिए हाल ही में औद्योगिक व्यापार सम्बन्धी मंत्रिमंडल स्तर की समिति का गठन किया गया है। इसमें मंत्रालयों की आपसी कठिनाइयों पर चर्चा की जाती है और शीघ्र निर्णय किए जाते हैं।

लघु इस्पात संयंत्रों पर यह रोक लगाई गई थी कि वे केवल साधारण इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इस्पात की अन्य किस्में मिलने की कठिनाई हुई तो हमने यह निर्णय किया कि लघु इस्पात संयंत्रों को उत्पादन के विविधीकरण की अनुमति दी जाए। मेरे विचार में यह निर्णय क्रियान्वित भी किया जा चुका है।

मंत्रालयों द्वारा पत्राचार की पुरानी पद्धति को त्यागकर हमने आमने-सामने बैठकर आपसी समस्याओं को हल करने का निर्णय किया है। हम इसमें सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उद्योगों का कृषि के साथ गहरा सम्बन्ध है क्योंकि उद्योगों को वस्त्र, पटसन, चीनी तथा तेल कृषि द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। जब कभी फसल नही होती कच्चे माल की कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कृषि भी उद्योग की सहायता के बिना नहीं चल सकती। अतः कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं।

अतः हमें एक समन्वित तथा सूझ-बूझ कर निर्णय लेना होगा जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा ।

पहले कहा जाता था कि वर्षा न होने के कारण कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ा परन्तु आज वर्षा न होने के कारण औद्यौगिक उत्पादन भी प्रभावित होता है क्योंकि 40 प्रतिशत बिजली पन बिजली परियोजनाओं से पैदा की जाती है। जब बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं पैदा होती तो इससे न केवल औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है : अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्णय लेकर ही हम वर्तमान स्थिति से मुक्ति पा सकते हैं।

बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या आज भयंकर रूप धारण कर रही है । इसका मुख्य कारण उत्पादन में गतिरोध तथा मुद्रा उपलब्धि का बढ़ना है। यदि दोनों के बढ़ने का अनुपात एक जैसा होता तो शायद मंहगाई न होती। कृषि उत्पादन में गतिरोध भी मुद्रास्फीती का एक कारण है । इससे समूची अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः हमें हर क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना होगा ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी औद्योगिक नीति बनानी होगी । जहां तक औद्योगिक लाइसेंस देने का प्रश्न है हमने फरवरी, 1973 के प्रकाशन में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया था कि बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां केवल उन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश पा सकती हैं, जो क्षेत्र पूंजी प्रधान हैं और जहां उद्योग स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है । यदि मध्यम दर्जे के उद्यमकर्त्ता और बडे औद्योगिक गृह के बीच प्रतियोगिता हो जाती है तो पहले को ही प्राथमिकता दी जाती है। बड़े औद्योगिक गृह अथवा विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी का चयन तभी किया जाता है जब मध्यम दर्जे का उद्यमकर्त्ता उपलब्ध न हो और वस्तु का उत्पादन करना अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हो। सीमेंट बनाने की विधि अब सामान्य हो गई है। अतः हम इसे बड़े औद्योगिक गृहों को क्यों सौंपे ? अतः क्यों हमने यह निर्णय किया कि इस उद्योग को बड़े औद्योगिक गृहों से मुक्त करके मध्यम दज के उद्यमकर्त्ताओं को सौंपा जाए । लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे उद्यमकर्त्ता न मिलने के कारण उत्पादन रुक गया। अतः हमने यह काम बड़े औद्योगिक गृह को सौंपने का निर्णय कर लिया है। लेकिन उस समय भी हमने सरकारी उपक्रम की क्षमता को ध्यान में रखा । 6 नई परियोजनाएं शुरू की गईं। इसके बाद हमने राज्य औद्योगिक विकास निगमों को प्राथमिकता दी । तीसरी प्राथमिकता मध्यम दर्जे के औद्योगिक गृहों को दी गई। इसके बाद ही हमने बड़े औद्योगिक गृहों को यह काम सौंपा । सीमेंट आयात करने अथवा उसकी कमी बर्दाश्त करने की अपेक्षा ऐसा करना अधिक संगत था।

कागज उत्पादन के लिए कागज निगम की स्थापना की गई है। 40,000 टन कागज उत्पादन के लिए हम 50 से 60 करोड़ रुपया लगाते हैं। कागज निगम के प्रबन्ध में सुधार किया गया है और अब कुशल पदाधिकारी काम कर रहे हैं। यदि उच्च पदाधिकारी कुशल हों तो सारी स्थिति ही बदल जाती है। हैवी इलेक्ट्रीकल्स जो पहले कभी घाटे में चल रहा था, इस समय अच्छी स्थिति में है। 'हिन्दुस्तान फोटो फिल्म' भी अकुशल प्रशासन के कारण ठीक ढंग से नहीं चल रहा था परन्तु हमने वहां का प्रबन्ध बदल दिया है और अब अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकारी परियोजनाओं का कार्यकरण अच्छा होता जा रहा है।

वर्ष 1973 के दौरान सामान्य औद्यौगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी परन्त सरकारी परियोजनाओं में विकास की दर 1973 में 1972 की तुलना में 7.2.1 थी। सरकारी परियोजनाएं अब लाभ पर चल रही हैं और लाभ वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है।

श्री के० एस० चावड़ा : ऋणों को साम्य पूंजी में बदल कर सरकारी उपक्रम लाभ दिखा रहे हैं। यह लाभ केवल कागजों तक सीमित है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं केवल वित्तीय लाभ की नहीं बल्कि वास्तविक उपयोग के बारे में भी बता रहा हूं। हमें यह देखना है कि इस एकक का पहले का उत्पादन और वर्तमान उत्पादन कितना है। जहां तक सरकारी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, यह उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। निश्चय ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विस्तार की भी सीमाएं हैं, हमें इस वृद्धि को स्थिर करके ही आगे बढ़ना चाहिये।

सभी 75 या 80 औद्योगिक गृहों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही जाती है परन्तु राष्ट्रीयकरण करने के उपरान्त झगड़े पैदा होते हैं, बिना सहायक परिस्थितियाँ बनाए आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। इसके लिए पहले सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और अन्य राष्ट्रीयकृत परियोजनाओं को सफल बनाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को राजनीति में घसीटा जाता है। नए उपक्रमियों, विशेषकर छोटे तथा मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को नए उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसीलिए हमने श्री भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। पांचवीं योजना में अधिक से अधिक व्यक्तियों को उपक्रम चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे ये व्यापक बन सकें न कि कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो जाएं। अन्ततः राष्ट्रीय हित में हमें गैर सरकारी क्षेत्र के विशेषकर बड़े औद्योगिक ग्रहों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस पर अभी विचार किया जा रहा है। अनेक लोग हम पर आशावादी होने का आरोप लगाते हैं पर आशावादी दृष्टिकोण कुछ परिस्थितियों पर ही लिया जाता है। चूंकि विदेशी मुद्रा की स्थिति के कारण कच्चे माल की कमी होने का प्रश्न नहीं है तो हमें कोयला, बिजली, आदि के क्षेत्र में जो स्थिरता आ गई है उसे समाप्त करना पड़ेगा अन्यथा राष्ट्र को नुकसान उठाना पड़ेगा। सूत, पटसन, गन्ना आदि कच्चे माल की उपलब्धता से उत्पादन बढ़ेगा। हम इस को सुनिश्चित करेंगे कि कोयला, इस्पात, परिवहन तथा विद्युत् का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस व्यवस्था के लिए बेहतर सम्बन्ध की आवश्यकता है।

अनेक माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि औद्योगिक लाइसेंस देने में विलम्ब किया जा रहा है। मुझे दुःख है कि उन्होंने वस्तुस्थिति को नहीं देखा है। जब से इस बारे में 90 दिन की समय-सीमा वाली नई व्यवस्था लागू की गई है तब से स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा तैयार की जाती है। प्रत्येक कार्यवाही को समय-सीमा में बांधा हुआ है। सौभाग्यवश गत पांच महीनों से यह व्यवस्था कारगर ढंग से चल रही है और 90 दिन के अन्दर लाइसेंसों के लिए 95 प्रतिशत आवेदनपत्रों का निपटान किया गया है तथा शेष 5 प्रतिशत आवेदनपत्रों का निपटान कुछ सप्ताह में हो जाएगा। निश्चय ही माननीय सदस्य नवम्बर से पूर्व आए हुए आवेदनपत्रों के निपटान के बारे में चिन्तित हैं। 1 नवम्बर 1973 को आए 3848 आवेदन-पत्रों में से 1 मार्च 1974 को 2071 आवेदन-पत्र शेष रह गए थे। आगामी छह महीनों में इन आवेदनपत्रों का भी निपटान कर दिया जाएगा। आशय-पत्र को जारी करना ही पर्याप्त नहीं होता है। हमने आशय-पत्र प्राप्त करने वाले के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वह छह महीनों के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा दे। यदि वे ब्यौरा नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह समझा जाता है कि वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने से उनका आशय-पत्र अथवा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इस नई प्रक्रिया के अन्तर्गत उनको आशय पत्र जारी करने के समय से उपक्रम खड़ा करने तक चेतावनी दी जाती है। इस प्रकार हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि न केवल लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों का निपटान

शीघ्रता से हो अपितु आशय-पत्र को अमली रूप भी दिया जाए । इस सम्बन्ध में यदि किसी माननीय सदस्य की कोई शिकायत हो तो मैं उस पर कार्यवाही करने को तैयार हूं ।

माननीय सदस्य श्री के० एस० चावड़ा ने यह सुझाव दिया है कि उद्योगों में विविधीकरण करने की अनुमति दी जाए ताकि उत्पादन में 40 प्रतिशत तक वृद्धि हो सके । उन्होंने कहा है कि ऐसी अनुमति विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों को छोड़कर बड़े उद्योग गृहों सहित प्रत्येक को दी जाए । हमने वस्तुत: विभिन्न उद्योगों को अपना उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है । बड़े उद्योग गृहों और विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों को केवल कुछ ही मामलों में उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है ।

मेरे पास उपलब्ध आंकड़े यह बताते हैं कि पूंजी निवेश बढ़ रहा है । वर्ष 1973-74 के पहले 11 महीनों में 152 करोड़ रुपए मूल्य का पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति दी गई थी जबकि वर्ष 1972-73 की उसी अवधि में यह 113 करोड़ रुपए थी । वर्ष 1973-74 के प्रथम छह महीनों में 554 करोड़ रुपए की कुल प्राधिकृत पूंजी वाली 1824 कम्पनियां पंजीकृत की गई थी जबकि 1972-73 की उसी अवधि में 176 करोड़ रुपए की कुल प्राधिकृत पूंजी वाली 1437 कम्पनियां थीं । वित्तीय संस्थाओं ने 1973-74 के प्रथम छह महीनों में 178 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया था और 111 करोड़ रुपए दिए जबकि इनकी संख्या 1972-73 में क्रमश: 137 करोड़ रुपए और 79 करोड़ रुपए थी । इससे यह सिद्ध होता है कि पूंजी निवेश की स्थिति काफी सुधरी है ।

वित्तीय संस्थाओं के बारे में कहा गया है कि ये समय बहुत लेती हैं । हमने इसीलिए औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया के साथ इसको मिलाया है । इन दोनों के बीच समन्वयता तथा सम्बन्ध बनाया गया है । क्षेत्रीय संतुलन लाने के लिए भी यह उचित पग है । दुर्भाग्यवश क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए हम कुछ नहीं कर सके हैं । हमें उन कारणों पर विचार करना पड़ेगा जिसकी वजह से उद्योग इन पिछड़े क्षेत्रों में नहीं जाते हैं । हमें इन पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे विकास केन्द्रों का पता लगाना होगा जहां उद्योग स्थापित करने हेतु आधारभूत सुविधाएं दी जाएं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी पिछड़े क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगा कर वहां के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता है । यदि ऐसा होता तो बिहार, जहां सरकारी क्षेत्र के सबसे अधिक उपक्रम हैं, आज अन्य राज्यों के मुकाबले में आगे होता । इसके लिए चहुंमुखी विकास जैसे क्षेत्रीय विकास, कृषि विकास आदि करने की आवश्यकता होगी, पंजाब में कोई बड़े उद्योग तो स्थापित नहीं हैं परन्तु देश में उसका स्थान शीर्ष पर है । हमें इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा । हम विकसित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं जिससे पिछड़ेपन को दूर करने में मदद मिल सकेगी ।

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, उनमें पर्याप्त प्रगति हो रही है । नि:सन्देह कुछ संकट ग्रस्त लघु उद्योग हैं परन्तु हम उनकी सहायता कर रहे हैं, जिन देशों ने औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में प्रगति की है उनमें वैज्ञानिकी तथा प्रौद्योगिकी क्षमता है, जब तक हम वैज्ञानिकी तथा प्रौद्योगिकी क्षमता हासिल नहीं करते हैं तब तक हमारा विकास हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकेगा । इसीलिए हमने सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास को महत्व दिया है । मैंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर जो योजना का प्रारूप सभा पटल पर रखी थी, उसे माननीय सदस्य देखने की कृपा करें । वे मुझे इस सम्बन्ध में अपने सुझाव भेज

सकते हैं । इस प्रारूप को तैयार करने में लगभग 2,000 वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविज्ञ लगे । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी हमें विद्यमान संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की विधि बताएगा । जहां तक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, हमने इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । फसल कटाई के उपरान्त हमारा बहुत अनाज बरबाद जाता है । इस लिए फसल कटाई के पूर्व की टैक्नोलाजी उतनी ही आवश्यक है जितनी फसल कटाई के बाद की टैक्नोलाजी ।

दूसरा क्षेत्र ईंधन तथा ऊर्जा का है । तेल संकट से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जो हमारे लिए वरदान सिद्ध हुई है । हमने उन वस्तुओं के बारे में कभी भी खोजबीन नहीं की जो विदेशों से सस्ते में प्राप्त हो जाती है । पी० एल० 480 के अन्तर्गत विदेशों से सस्ता खाद्यान मिलता था । इसलिए कृषि की ओर हम आंखें मूंदे रहे । इसी प्रकार अशोधित तेल के सस्ता मिलने के कारण कोयले के विकास तथा उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाएं स्थागित कर देनी पड़ी थीं । अब हम विज्ञान का उपयोग इस क्षेत्र में कर सकेंगे ।

चूंकि हमारा प्रयास हमेशा विदेशों से जानकारी ही लेने का रहा इससे औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता आ गई । हम हमेशा आयातित कल-पुर्जों अथवा कच्चे माल पर निर्भर रहे । इससे हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले गए । हम विदेशी सहायता में ही कटौती करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते बल्कि इसके लिए हमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास करना पड़ेगा । इसलिए कोयले के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करके हम इसका अधिकतम उपयोग ऊर्जा तथा ईंधन के लिए कर सकते हैं, हमें ऊर्जा के वैज्ञानिक साधनों का विकास करना पड़ेगा ।

गृह अनुसंधान तथा प्रत्येक औद्योगिकी एकक के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा । हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं । इस क्षेत्र में अन्य देशों में जो प्रगति हुई है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए । प्रत्येक उद्योग में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना बनाई गई है ।

यह पूछा गया है अनुसंधान तथा विकास में कितना व्यय किया जाएगा । यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक देश को अपने कुल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर व्यय करना चाहिए । परतु दुर्भाग्यवश साधनों की कमी के कारण इस कार्य के लिए 1033 करोड़ रुपया रखा गया । हमारे वैज्ञानिकों ने कम आवंटित राशि होने के कारण प्राथमिकता सूची बनाई है । यहां प्रतिभावान युवा वैज्ञानिक हैं । विदेशों में भी हमारे वैज्ञानिक हैं । वे यहां रोजगार के अवसर न होने के कारण नहीं आ रहे हैं । हमें उनके लिए यहां उचित कार्यक्षेत्र बनाना होगा तभी वे विदेशों से भारत आ सकेंगे । देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं के कारण हमें भविष्य पर विश्वास है ।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या आप भारतीय फर्मों को अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता का 40 प्रतिशत तक विविधिकरण करने की अनुमति देंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हमारी भारतीय फर्मों में रुचि है, हम उन्हें हर सहायता दे रहे हैं । उन्हें 25 प्रतिशत तक अपना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी हुई है । मैं विचार करूंगा कि क्या इसको बढ़ाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : डा० सरदीश राय के नाम पर कटौती प्रस्ताव हैं । मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 29 से 45 तक मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 29 से 45 तक मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut motion No. 29 to 45 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands for Grants-on Account for the year 1974-75 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
57	औद्योगिक विकास मंत्रालय	1,94,26,000	—
58	उद्योग	4,07,52.000	35,27,37,000
59	ग्रामीण और लघु उद्योग	23,52,84,000	44,08,88,000

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands for Grants on Account for the year 1974-75 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
99	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	4,96,98,000	1,10,40,000
100	भारतीय सर्वेक्षण	10,44,60,000	—
101	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	25,10,02,000	—

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सभापति महोदय : यह सभा **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** से सम्बन्धित मांग संख्या 60 से 62 तक पर विचार करेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	26,66,000	—
61	सूचना और प्रचार	9,98,84,000	1,72,92,000
62	प्रसारण	16,99,69,000	14,68,33,000

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
60	1	**श्री ज्योतिर्मय बसु**	समाचारपत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीयकरण के लिए विधान बनाने सम्बन्धी दिये गये आश्वासन को पूरा करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
,,	2	,,	समाचारपत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्तावित योजना को त्याग देने और उसके स्थान पर बड़े व्यापार गृहों से समाचार पत्रों को असम्बद्ध करने की योजना का प्रस्ताव रखने के कारण ।	,,
,,	3	,,	पिछले दरवाजे से बड़े व्यापार गृहों के शिकंजे को समाचार पत्रों पर कायम रखना ।	,,
61	4	,,	छोटे समाचारपत्र वित्त निगम स्थापित करने सम्बन्धी दिए गए आश्वासन को पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	5	,,	छोटे और मध्यम समाचारपत्र विज्ञापनों से अधिकतम लाभ उठा सकें उस के लिए श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन सम्बन्धी नीति में तुरन्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
61	6	**श्री ज्योतिर्मय बसु**	प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो को सत्ताधारी दल के प्रचार तंत्र के रूप में बदला जाना और विपक्षी दलों द्वारा अभिव्यक्ति विचारों का दबाया जाना।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	7	,,	प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो का कार्य संचालन	,,
,,	8	,,	अखबारी कागज की अत्यन्त कमी और उसकी अधिक कीमत के कारण छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के सामने गम्भीर संकट।	,,
,,	9	,,	अखबारी कागज का कोटा आबंटित करने के मामले में बड़े समाचारपत्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया।	,,
,,	10	,,	"प्राइस पेज़ शेड्यूल" को पुनः लागू करने में असफलता।	,,
,,	11	,,	बड़े समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज का काला बाजार किये जाने को रोकने में असफलता।	,,
,,	12	,,	सभी राजनीतिक विचार धाराओं को संसदीय वाद-विवाद में संतुलित स्थान देने के लिए देश के बड़े समाचार पत्रों को परामर्श देने में असफलता।	,,
,,	13	,,	देश में समाचार एजेंसियों, बड़े समाचार पत्रों और अन्य प्रचार साधनों को वित्तीय सहायता देने की मात्रा।	,,
62	14	,,	'बेतार जगत' और 'आकाशी' के लिए केवल एक विज्ञापन एजेंसी मैसर्स नेशनल एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिशिंग हाउसिंग कलकत्ता को तीन वर्ष के लिए विज्ञापन सम्बन्धी अधिकार देना।	,,
,,	15	,,	आकाशवाणी का सत्ताधारी दल के मुखांग के रूप में कार्य करना।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
62	16	श्री ज्योतिर्मय बसु	आकाशवाणी से समाचारों को तरोड़-मरोड़ कर और प्रयोजनार्थ प्रसारित किया जाना।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	17	,,	संसद् में विपक्षी सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित वृत्त चित्र 'टूडे इन पार्लियामेंट' में उचित स्थान देने में असफलता।	,,
,,	18	,,	आकाशवाणी में भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद।	,,
,,	19	,,	आकाशवाणी को तुरन्त एक स्वशासी निगम बनाने की आवश्यकता।	,,
60	20	डा० लक्ष्मी-नारायण पाण्डेय	आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निगम बनाने में सरकार की असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
,,	21	,,	सरकार द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में पक्षपात।	,,
,,	22	,,	मध्यप्रदेश के 'नई दुनिया', 'नवभारत' व 'स्वदेश' नामक दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में भेदभाव की नीति।	,,
,,	23	,,	आकाशवाणी को जनवाणी न रखते हुए सत्ताधारी पक्ष के दलीय हित में उपयोग करना।	,,
,,	24	,,	समाचार पत्रों को अखबारी कागज देने में असमर्थता।	,,
,,	25	,,	मध्य प्रदेश के बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र बनाने में विफलता।	,,
,,	26	,,	प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो के पुनर्गठन की आवश्यकता।	
,,	27	,,	आकाशवाणी की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की युक्तियुक्त मांगों को पूरा करने में विफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
60	28	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो के कार्य संचालन में सरकारी दल के दबाव को रोकने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
,,	29	,,	कतिपय बड़े समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज की कालाबाजारी को रोकने में असमर्थता।	,,
,,	30	,,	आकाशवाणी की विभिन्न इकाइयों में व्याप्त अनियमितताएं, भ्रष्टाचार एवं मनमानी को रोकने में विफलता।	,,
,,	31	**श्री एच० एन० मुकर्जी**	कलकत्ता और बम्बई में विदेशी नियंत्रण वाले मैट्रो सिनेमा के अर्जन की योजना के मामले में विकृत गोलमाल।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	32	,,	समाचार पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने तथा उसे बड़े धनी वर्ग के हितों से असम्बद्ध करने की योजनाओं के सम्बन्ध में, जिनके लिए वचन दिया गया था तथा जो पूरा नहीं किया गया, जानबूझ कर निष्क्रियता।	,,
,,	33	,,	चलचित्र उद्योग के मजदूरों का वेतन तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने सम्बन्धी विधान बनाने के बारे में संसद को अनेक बार दिए गए आश्वासन को क्रियान्वित करने में पूर्णतया अविवेकपूर्ण विलम्ब।	,,
,,	34	,,	प्रकाशनों का उचित रूप से संगठन करने तथा उनका गुणप्रकार और अधिकतम परिचालन सुनिश्चित करने के मामले में अव्यवस्था तथा खराबी।	
,,	35	,,	कुख्यात विदेशी चलचित्र कम्पनी, मेट्रो गोल्डिविन मेयर के स्वामित्व तथा नियंत्रण को गुप्त रूप से विदेश अन्तरित करने के बुरे परिणामों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा रोकने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
61	36	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	मध्यप्रदेश के मंदसौर नामक स्थान में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना में विफलता।	राशी में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
,,	37	,,	मध्यप्रदेश में टेलीविजन सुविधा देने में विफलता।	,,
,,	38	,,	अखबारी कागज का संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी होते हुए भी सरकार द्वारा उस ओर उचित कदम उठाने में असफलता।	,,
,,	39	,,	विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसमें परिवर्तन करने में विफलता।	,,
62	40	,,	विरोधी दलों के संसद् सदस्यों के वक्तव्यों एवं भाषणों को आकाशवाणी में उचित स्थान देने में सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति।	,,
62	41	**श्री सुरेन्द्र महन्ती।**	कटक में 100 कि० वा० का संपूर्ण रेडियो स्टेशन स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर रुपया कर दी जाए।
62	42	,,	आकाशवाणी के कटक स्टेशन के लिए कटक में भूमि खरीदने में अनियमितताएं।	,,
62	43	,,	निर्वाचन के दौरान आकाशवाणी का सत्ताधारी दल के पक्ष में उपयोग।	,,
62	44	,,	आकाशवाणी के कटक स्टेशन से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का स्तर गिरना।	,,
62	45	,,	उड़िया भाषा के पाठों का प्रसारण आरम्भ करने में आकाशवाणी द्वारा उड़िया भाषा की उपेक्षा।	,,

इन गलत प्रसारणों के कारण लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। प्रसारणों को सुन कर लोग स्टेशनों पर जाते हैं और वहां जाकर स्थिति प्रसारणों के विपरीत पाते हैं।

आल इण्डिया रेडियो का यह दुरुपयोग चुनावों के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के भाषणों का प्रसारण किया जाता है और इसके विपरीत विपक्षी नेताओं के भाषणों को बहुत कम समय दिया जाता है। विपक्ष के महत्वपूर्ण भाषणों की उपेक्षा कर दी जाती है। इस सब से स्पष्ट होता है कि आल इंडिया रेडियो द्वारा केवल सत्ताधारी दल के हितों की ही रक्षा की जाती है।

देश के बड़े व्यापारिक गृहों का अभी भी समाचारपत्रों पर नियन्त्रण व प्रभाव है। यद्यपि इस विषय पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है, परन्तु फिर भी सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार ने छोटे समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक वित्त निगम की स्थापना करने की दिशा में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आजकल अखबारी कागज की बहुत कमी है और इस कमी का प्रभाव छोटे समाचारपत्रों पर अधिक पड़ा है। दार्जिलिंग से नेपाली भाषा में एक समाचार पत्र 'अग्रदूत' प्रकाशित होता है। पिछले 3-4 मास से इस छोटे समाचार-पत्र के लिए अखबारी कागज की मांग की जा रही है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राष्ट्रीय एकता के हित में प्रादेशिक भाषा के इस समाचारपत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। सरकार को छोटे समाचारपत्रों को कम मूल्य पर अखबारी कागज सप्लाई करने की भी कोई योजना तैयार करनी चाहिए।

सरकारी विज्ञापनों के सम्बन्ध में भी छोटे समाचारपत्रों की उपेक्षा की जा रही है। यदि इन समाचारपत्रों को समुचित सरकारी विज्ञापन प्राप्त हों तो उनकी वित्तीय कठिनाइयां काफी सीमा तक दूर हो सकती हैं।

प्रेस सूचना ब्यूरो के कार्यकरण को देखते हुए इसे 'पार्टी सूचना ब्यूरो' का नाम दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि परिवार नियोजन उपायों के प्रचार की दृष्टि से मंत्रालय ने 2.5 करोड़ रुपये के व्यय पर एक "निरोध कैलेण्डर" प्रकाशित किया है। इस प्रकार व्यय से परिवार नियोजन कार्यक्रम का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणपत्र देने में बहुत अधिक समय लिया जाता है। इस प्रमाणपत्र के प्राप्त करने की प्रक्रिया ही इस प्रकार की है कि उसमें बहुत अधिक समय लगता है। प्रमाणपत्र देने के संबंध समय की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

कच्ची फिल्मों की कमी के कारण फिल्म उद्योग, विशेषरूप से प्रादेशिक फिल्म उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार, प्रादेशिक भाषाओं के फिल्म निर्माताओं को सस्ती दर पर कच्ची फिल्में सप्लाई करने के प्रयत्न करे। इसके साथ ही, उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाये जिससे कि उक्त उद्योग का विकास हो सके। वृत्त चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित नीति नहीं अपनाई जाती। सरकार को वृत्त चित्रों में सच्चाई का प्रदर्शन सुनिश्चत करना चाहिए।

हमारे देश में अच्छी सड़कें नहीं, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं, गांव बिजली के बिना अन्धेरे हैं। इन परिस्थिति में टेलीविजन पर इतना अधिक व्यय करना उचित नहीं है।

बाल फिल्म सोसायटी के कुछ अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के बारे में सदन में आरोप लगाये गये और उनके अनुसरण में एक जांच समिति नियुक्त की गई। राज्य सभा में भी यह मामला उठाया गया। परन्तु आज तक जांच समिति के निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए गये। यह भी नहीं बताया गया कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास*

REHABILITATION OF REFUGEES FROM FORMER EAST PAKISTAN

श्री समर गुह (कन्टाई) : इतिहास में कहीं पर इस प्रकार का उदाहरण नहीं मिलता कि जनता ने अपने नेताओं पर पूर्ण विश्वास के साथ स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी हो परन्तु बाद में उन नेताओं ने उनको धोखा दिया हो।

बंगाल का बंटवारा हुआ और उसके पश्चात् 1950 में तीन मास की अवधि में 30 लाख से अधिक शरणार्थी सीमा पार करके भारत आए। उसके पश्चात् नेहरू-लियाकत समझौता हुआ जो उनके साथ अगला धोखा था। अब पुनर्वास मंत्री द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के मेल-जोल से उनके साथ और धोखा किया जा रहा है। सम्पूर्ण पूर्वी भारत के लोगों को शरणार्थियों के आगमन के परिणामस्वरूप कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। शरणार्थी समस्या अभी तक हल नहीं की जा सकी है परन्तु सरकार द्वारा "शरणार्थी" शब्द का प्रयोग करना बंद किया जा रहा है जिससे प्रतीत हो कि समस्या हल की जा चुकी है। मैं चेतावनी देता हूं कि यदि इस प्रकार का षड़यंत्र किया गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग 61.68 लाख शरणार्थी भारत आए। इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य गैर पंजीकृत शरणार्थी भी थे। इस प्रकार अनुमान है कि 65 लाख शरणार्थी 1971 के अन्त तक भारत आए। दूसरी ओर पश्चिम पाकिस्तान से आए लोगों की संख्या 47 लाख है। पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को ट्रांसिट शिविरों से सीधे पुनर्वास स्थलों पर ले जाया गया जिससे कि उनके पुनर्वास की समस्या एकदम हल हो गई। उनको लगभग 70 लाख एकड़ भूमि दी गई और लगभग साढ़े छ: लाख ग्रामीण मकान दिये गये। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा बनाई गई बस्तियों में उन्हें लगभग दो लाख से अधिक मकान दिये गये जिनका मूल्य लगभग 90 करोड़ रुपया है। इसके साथ लगभग 100 करोड़ रुपये के मूल्य के शहरी मकान, औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठान उन्हें दिये गये। पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के एवज में उन्हें दी गई क्षतिपूर्ति की राशि को मिला कर कुल 561 करोड़ रुपये व्यय किये गये। दूसरी ओर, भूतपूर्व पाकिस्तान के शरणार्थीयों की राहत तथा पुनर्वास पर लगभग 218 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। इनके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति का उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास पर प्रति व्यक्ति 1,035 रुप का व्यय किया गया, दूसरी ओर, पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति केवल 181 रुपये व्यय किया गया। सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति कुल 1,192

---

*आधे-घण्टे की चर्चा।

Half-an-Hour Discussion

रुपये व्यय किये गये जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति 335 रुपये का व्यय किया गया। यह आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं और इन से सिद्ध होता है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया। यह पूर्णतया अनुचित है।

नेहरू-लियाकत समझौता करते समय पंडित नेहरू ने सोचा था कि इसके परिणामस्वरूप लोग पूर्वी पाकिस्तान में अपने घरों को वापिस चले जायेंगे परन्तु हुआ इसके विपरीत। यह भी उपबन्ध था कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले एवं वहां जाने वाले अपनी सम्पत्ति का निपटान अथवा विनिमय कर सकेंगे। परन्तु इसके बावजूद उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। 1965 के युद्ध के पश्चात् उनकी सम्पत्ति को शत्रु-सम्पत्ति घोषित करके जब्त कर लिया गया।

1965 के पश्चात् सरकार ने निर्णय किया कि पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में "शत्रु-सम्पत्ति" के रूप में जब्त की गई सम्पत्ति के लिये 25 प्रतिशत तक अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जाए। परन्तु वहां पर भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कम रकम प्राप्त हुई। और फिर यह राशि वास्तविक व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुई। यह राशि प्राप्त करने वाले 50 प्रतिशत व्यक्ति बम्बई के हैं जो सिलचर अथवा पश्चिमी बंगाल से आए थे। इसके संबंध में पश्चिम बंगाल के समाचारपत्रों में समुचित प्रचार भी नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप केवल 6,000 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जबकि पूर्वी पाकिस्तान से आए सारे 65 लाख व्यक्ति इसके हकदार हैं।

अब 'शरणार्थी' शब्द का प्रयोग समाप्त किया जा रहा है। परन्तु क्या इसकी पेचीदगियों पर विचार किया गया है। इस शब्द के प्रयोग को समाप्त करने का अर्थ होगा कि इनकी सभी समस्याएं हल हो चुकी हैं। ऐसी अवस्था में पाकिस्तान एवं बंगला देश सरकारों के साथ निष्क्रांत सम्पत्ति के बारे में उनके अधिकारों पर बातचीत करने में कठिनाई होगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 150 करोड़ रुपये की एक बृहत् योजना तैयार की है। वास्तव में शरणार्थी समस्या राष्ट्रीय नेताओं के निर्णय से उत्पन्न हुई समस्या है। अतः इस संबंध में तैयार योजना के निष्पादन एवं कार्यान्वियन पर व्यय राज्य सरकार को नहीं केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिये। यह राज्य सरकार के सहयोग से दिया जा सकता है। अतः उसे उस राज्य सरकार पर ही नहीं लादा जाना चाहिये।

अभी भी 1.10 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल से बाहर के 22 शिविरों में 25–26 वर्षों से रह रहे हैं। इनको बसाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। 1967 में एक अन्तः-विभागीय दल अण्डमान भेजा गया था। उस उच्च शक्ति प्राप्त निकाय ने एक नोट तैयार किया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसमें बताया गया था कि 75,000 शरणार्थियों को 1970 तक और 1.50 लाख शरणार्थियों को 1972 के अन्त तक अण्डमान में बसाया जायेगा। परन्तु अब सरकार इस बारे में चुप है। लोग वहां पर जाने को तत्पर हैं परन्तु सरकार उनके अनुरोध अथवा मांग को मान नहीं रही है।

यह कहा गया है कि शरणार्थी पुनर्वास शिविर छोड़ कर चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि उक्त शिविरों में उनके आर्थिक पुनर्वास का कोई प्रबन्ध नहीं रहता। कहीं भी और किसी भी जगह उन्हें बसाने का यही परिणाम होगा। तराई क्षेत्र, दण्डकारण्य क्षेत्र, अण्डमान में बसाये गये शरणार्थी तो वहां से वापस नहीं आए। अतः उनके आर्थिक विकास की समुचित व्यवस्था भी यदि की जाये तो वे वहां से वापस नहीं आएंगे। यदि इनके पुनर्वास के लिये राज्य सरकारों को पैसा दिया जायेगा तो वे उसका उचित उपयोग नही करेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इन 22 शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास की भी योजना तैयार करनी चाहिये।

विस्थापितों को अनुगृह—पूर्वक क्षतिपूर्ति देने का कार्य वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं वरन् पुनर्वास मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये। यह पुनर्वास विभाग की समस्या है। इसके साथ ही पुनर्वास विभाग को कलकत्ता में अपना कार्यालय स्थापित करना चाहिये व अगरतला एवं गोहाटी में अपनी शाखाएं स्थापित करके अनुगृहपूर्वक क्षतिपूर्ति के लिये फिर से आवेदन-पत्र मांगने चाहिएं।

पुर्नविलोकन समिति का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त होने वाला है। सरकार का इस बारे में आगे क्या दृष्टिकोण है? यदि सरकार यह समझती है कि यह समस्या अब हल हो चुकी है तो यह भी षड़यंत्र है कि इस समिति का फिर से गठन किया जाना चाहिये। इसे शरणार्थी समिति, शरणार्थी कल्याण समिति अथवा कोई भी अन्य नाम दिया जाये परन्तु इसे विभिन्न शिविरों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं असम में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं के हल, विभिन्न कार्यों के पुर्नविलोकन व मूल्यांकन का कार्य सौंपा जाना चाहिये।

इन लोगों ने क्रांति जगाई। ढाका में दो क्रांति केन्द्र थे। वरिसाल में इन्हीं लोगों के बलिदान के परिणामस्वरूप "बन्दे मातरम्" राष्ट्र गीत बना। भूतपूर्व पूर्वी बंगाल की प्रत्येक जेल का इनके कार्यों से सम्बन्ध है। सरकार इन लोगों को अब तक धोखा देती रही है परन्तु अब इन की भावी पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम प्रकट हो सकते हैं।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरनेलवेली) : देश के विभाजन के पश्चात् 58 लाख शरणार्थी भूतपूर्व पाकिस्तान से हमारे देश में आए। केन्द्र सरकार ने सभी शरणार्थियों का पुनर्वास करने का आश्वासन दिया था, परन्तु अब तक केवल 12 लाख शरणार्थी ही बसाये जा सके हैं और 46 लाख शरणार्थियों को अभी भी बसाया जाना है। सरकार अब उस आश्वासन से फिर जाना चाहती है। इसी दृष्टि से अपने उत्तरदायित्व को राज्य सरकार पर सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इनके पुनर्वास के बारे में अपनी बृहत् योजना अब केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की और केन्द्र सरकार ने उसे कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पुर्नविलोकन समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर उसके कार्यकाल में वृद्धि की जायेगी? सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों में भेदभाव किया है। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को क्षतिपूर्ति देने के साथ-साथ मुफ्त मकान भी दिये गये परन्तु पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये दिल्ली में एक कालोनी बनाई गई जिसमें उनसे 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से पैसे लिये गये। मेरी मांग है कि इन लोगों से लिये गये पैसे उन्हें वापस किये जायें और उन्हें मुफ्त मकान दिये जायें।

श्रीमती श्रीमावो भंडार नायक-इन्दिरा गांधी समझौते की शर्तों के अनुसार, 1979 के अंत तक भारतीय मूल के 5,25,000 व्यक्ति भारत आएंगे। इनमें से अधिकांश तमिल भाषी हैं। सरकार को इनका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर नहीं डालना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : There are 25,000 refugees in my constitutency. These refugees have been given lands but proprietary rights have not been given to them and due to this they are unable to obtain loans from Banks. The matter was taken up with the State Government and it was stated by them that it is the responsibility of the Central Government. A number of letters have been written to Hon. Minister but no reply has so far been received.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

The land on which they were settled had been taken over from a Sugar Mill. There are no adequate irrigation facilities. Tube-wells should be installed there, otherwise they should be given loans to make arrangements in this regard.

The State Government should recognise their educational certificates and degrees and provide them with employment so that they could be economically rehabilitated. But when it has failed to do all this, the Central Government should realise its responsibility and make all these arrangements.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : यह समस्या बहुत ही स्पष्ट है और हमने शरणार्थियों, विशेषकर कि भूतपूर्व पाकिस्तान जो अब बंगला देश है, की दयनीय दशा पर कई बार हम इस सभा में चर्चा कर चुके हैं। मुझ से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने व्याप्त असमानताओं को स्पष्ट रूप से बता दिया है। पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भारत में सम्पत्ति आदि की सुविधा देने के साथ-साथ उन्हें उनकी पेंशन की राशि उनकी मूल्यवान वस्तुओं और उनकी सेवा की लाभ आदि की सहूलियत भी दी गयी है। इन दो लाख से अधिक पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी कार्यालयों में नौकरियां भी दी गयी हैं। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के मामले में कठिनाई से 322 नौकरियां दी गयीं। इस अन्तर पर ध्यान दीजिये।

शिविर शरणार्थियों के मामले में भी माननीय मंत्री ने इस अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आसाम में 7 शिविर हैं। आप अपने उत्तर को ही देखिये। आपने बताया है कि कुल व्यक्ति 5,311 हैं और कुल परिवार 1,339 हैं।

आज के 'पेट्रियाट' में प्रकाशित हुआ है कि आसाम सरकार पुनर्वास विभाग बन्द कर देगी। और ऐसा ही मेघालय, त्रिपुरा, बिहार और कई अन्य स्थानों के बारे में किया जायेगा।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वहां 1,339 परिवार हैं और आसाम सरकार के पुनर्वास मंत्री के अनुसार वहां 3,500 परिवार हैं। मुझे मालूम नहीं है कि कौन से आंकड़े सही हैं। इसी प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न भागों में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या के बारे में भिन्न-भिन्न आंकड़े दिये गये हैं। भूतपूर्व पाकिस्तान से विस्थापितों, भूतपूर्व सैनिकों और बर्मा और श्रीलंका से आये स्वदेश आये हुये व्यक्तियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया है। मैंने एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की असमानता कभी भी नहीं देखी है। सभी तरह से और हर प्रकार के मानदंड के अनुसार क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं? मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या इन शरणार्थियों के साथ वास्तविक रूप से मानवतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ? बंगला देश के शरणार्थियों के मामले को भी सरकार के दृढ़ संकल्पित इच्छा से निपटाया जा सकता था। पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों के मामले का दृढ़ संकल्पित इच्छा से सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया है। इसके लिये इस सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिये। दुर्भाग्यवश पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। उसमें उनके लिये करने की क्षमता तो है, किन्तु वह ऐसा करना नहीं चाहती है। वास्तव में इस मंत्रालय ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में उन लोगों के साथ जो धोखा किया है, इसकी मिसाल संसार में नहीं है। पुनर्वास मंत्रालय इन लोगों के विनाश की जो स्थिति पैदा कर रही है, इसके लिये भावी पीढ़ी कभी भी क्षमा नहीं करेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मुझसे पूर्व बोलने वालों सदस्यों द्वारा कही बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बीच भेदभाव किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय

सरकार ने राज्य सरकारों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की सरकारों को निदेश दिए हैं कि पुनर्वास विभाग को बन्द कर दिया जाए। समाचार पत्रों में आसाम के बारे में कुछ तथ्य प्रकाशित हुए हैं कि अधिकारियों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि पुनर्वास विभाग को बन्द किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पुनर्वास विभाग में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजने अथवा उनकी छंटनी करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र ने कहा है कि शरणार्थियों को रोजगार देकर अथवा उन्हें भूमि पर वास्तविक अधिकार देकर उनका आर्थिक रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए।

यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल से बाहर 21,300 शिविर के शरणार्थियों को पांचवीं योजना म बसाया जाएगा, किन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि यह शरणार्थियों के परिवारों की संख्या है अथवा व्यक्तियों की। क्या यह संख्या कुल शरणार्थियों की है जिन्हें बसाया जाता है ?

मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप केन्द्र में तथा पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के पूर्वी राज्यों में पुनर्वास विभाग को बन्द करने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो असम सरकार ने इस विभाग को बन्द करने तथा अधिकारियों को अन्य विभागों में भेजने अथवा इनकी छटनी करने के आदेश किस प्रकार जारी किए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुल कितने परिवार हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर के शिविर शरणार्थी कहा जाता है, जिनका पुनर्वास किया जाता है ? क्या यह सच नहीं है कि हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी उचित समय के भीतर पुनर्वास किए जाने की जरूरत है ? क्या यह भी सच नहीं है कि जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास का सम्बन्ध है, पश्चिम पाकिस्तान, श्रीलंका तथा बर्मा शरणार्थियों की अपेक्षा भेदभाव किया गया है ? मंत्री महोदय को इन सभी बातों को अपने उत्तर में स्पष्ट करना चाहिए।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने नोटिस में ही बताया है कि वह चाहते हैं कि निम्न बातों पर चर्चा की जाए ... (**व्यवधान**) (1) पुनर्वास में विलम्ब के कारण (2) अंडमान में पुनर्वास की उच्च शक्ति समिति की सिफारिशें और (3) इस प्रश्न के संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार को सौंपी गई जिम्मेदारी। माननीय सदस्य को गत वाद-विवाद के पश्चात् इस चर्चा को चर्चा आरंभ करने की अनुमति नहीं दी गई थी ... (**व्यवधान**)। सदस्यों को यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि जब वे चर्चा अथवा आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहते हैं, तो यह कुछ बातों तक सीमित होनी चाहिए और उन्हीं आधारों को लेने की आवश्यकता नहीं है।

मैं अन्य बातों के बारे में संक्षेप में उत्तर दूंगा जो मेरे विचार में इस आधे घंटे की वर्तमान चर्चा की परिधि से बिल्कुल बाहर है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह लगभग एक परम्परा बन चुकी है कि यद्यपि कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के आधार पर आधे घंटे की चर्चा की मांग की जाती है, तथापि आखिरकार इस चर्चा का विस्तार कर दिया जाता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों के बारे में बताएंगे।

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही यह वचन दे दिया है कि जहां तक व्यावहारिक हुआ, वह उत्तर देंगे।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के समूचे मामले के संबंध में वाद-विवाद उठाया है। बिहार के माननीय मित्र ने बिहारी शरणार्थियों का उल्लेख किया है।

मैं इस बात को मानता हूं कि विभाजन एक दुर्घटना थी। इसमें सबसे अधिक हानि बंगालियों को हुई। इन सभी बातों को मानते हुए भी हमें सरकार पर किसी प्रकार के भेदभाव करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। भेदभाव करने का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं है। केन्द्रीय सरकार शरणार्थियों के प्रति अपने दायित्व के बारे में सदैव पूरी तरह से जागरूक रही है। परन्तु हमारे सभी प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद भी अभी तक हमारे पास पश्चिम बंगाल से बाहर कुछ शरणार्थी रह गए हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, यह कहना गलत होगा कि वहां के मुख्य मंत्री हां में हां मिलाने वाले हैं। मैंने वहां के पुनर्वास मंत्री तथा मुख्य मंत्री के साथ इस समस्या पर चर्चा की है। वहां की सरकार शरणार्थियों की समस्या को हल करने के प्रति अत्यधिक उत्सुक प्रतीत होती है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक बहत् योजना पेश की है और वह चाहते हैं कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर देने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।

मैंने गत अवसर पर कहा था कि 150 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। अब हमने इस वर्ष पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हमने उन्हें भूमि के अधिकार दे दिए हैं और उनके ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उन्हें इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसे मूलतः मानवीय समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने बताया है कि ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी छोटे ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है या कि उन्हें कुछ शर्तों पर बट्टे खाते में डाला गया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : अतः, किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। मैं उस सुझाव को भी पूर्ण रूप से नामंजूर करता हूं।

हमें नई विकास योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें भूमि आदि देकर उनमें स्वामित्व की भावना का संचार करना चाहिए और उनका पुनर्वास करने के लिए कोई न कोई मार्ग ढूंढना चाहिए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के परामर्श से इस उत्तरदायित्व को ले लिया है। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल की विस्तृत विकास योजना में सहायता देने के बारे में जो कुछ भी नहीं निर्णय किया गया है, वैसा नहीं किया जाएगा।

मुआवजे के प्रश्न के संबंध में, नेहरू–लियाकत अली समझौते के संबंध में स्थिति यह है कि यह बंगला देश पर लागू नहीं होता। इन सभी मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए . . .

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। तर्क की मुख्य बात यह है कि वर्तमान बंगला देश की सरकार से मुआवजों की मांग न की जाए। मुख्य धारणा तो यह है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को कोई मुआवजा नहीं मिला और अभी तक उनके मामले पर विचार किया जाना है और इस मामले को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु माननीय मंत्री दूसरी बात कह रहे हैं . . .

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री समर गुह : मैंने यह कहा था कि इन शरणार्थियों द्वारा पीछे छोड़ी सम्पत्तियों के लिए उनके मुआवजे का अधिकार अभी तक बना हुआ है। मैं स्पष्ट राजनीतिक कारणों से चुप रहा कि यह अधिकार किस तरह पूरा किया जाएगा अतः, इस मामले पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ऐसा समय आ सकता है जब इसका समाधान करना पड़ सकता है और हमें कोई रास्ता निकालना पड़ सकता है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने मुआवजे का उल्लेख नहीं किया है। मैंने तो नेहरू-लियाकत अली समझौते के प्रभावों का उल्लेख किया है। इस समूचे मामले को पश्चिम पाकिस्तान की तरह निपटाया जा सकता था। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया जा सका। मैं इस समय मुआवजे के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे शायद और कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं।

बिहार में लगभग 25,000 शरणार्थी हैं। उनका पुनर्वास किया जा चुका है। हमने उन्हें ऋण दिया है तथा उन्हें भूमि का स्वामित्व देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है और यह अधिकार शीघ्र ही दे दिया जाएगा। जहां तक अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमने उनका दायित्व अपने जिम्मे ले लिया है। केवल बात यह है कि हम यह कार्य बिहार सरकार के माध्यम से कर रहे हैं।

अंदमान में अब तक कुल 560 परिवारों को बसाया जा चुका है अभी हाल में 126 परिवार और वहां गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों को वहां जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के 1,100 परिवारों को अंदमान में बसाया जाएगा जबकि कुल 2,200 परिवारों को वहां बसाए जाने की संभावना है। श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों की समस्या भी है। हमें उनका पुनर्वास करना है और हम उनमें से कुछ को वहां बसाने का प्रयास कर रहे हैं. . . (**व्यवधान**) ऐसी कोई सम्भावना नहीं है और इस क्षेत्र को एक राज्य तथा अन्य क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे देने का सुझाव देना गलत है। संघीय राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अधीन है और हम श्रीलंका से स्वदेश लौटने वालों तथा पूर्वी पाकिस्तान के आए शरणार्थियों दोनों को वहां बसाएंगे।

सभी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में मैं केवल यही कहना और दोहराना चाहता हूं कि हमने शरणार्थियों के साथ भेदभाव करने का ही प्रश्न नहीं है।

हम यह बात पूरी तरह महसूस करते हैं कि शरणार्थियों के 23,000 परिवार अभी तक शिविरों में रह रहे हैं। आगामी वर्षों में हम उन्हें दण्यकारण्य के समीप पोटेरू परियोजना में बसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः, हम उन्हें पश्चिम बंगाल में बाहर बसाने के लिए भी हर सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं यह देखूंगा कि कम से कम कुछ रुचि रखने वाले लोग अंदमान निकोबार द्वीप समूह जाएं और स्वयं देखें कि वहां क्या-क्या है और साथ ही उन समस्याओं को भी देखें कि इसका विस्थापितों के पुनर्वास के लिए उपयोग किए जाने से पूर्व किन-किन समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 28 मार्च, 1974/7 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 28th March, 1974/Chaitra 7, 1896 (Saka).